
RNI. Regn. No. MPBIL/2009/32366
Postal Regn. No. L4/N.P./2010-12
Jabalpur M. P.

THE INDIAN LAW REPORTS OUTPINING M. P. SERIES

CASES DECIDED BY THE SUPREME COURT OF INDIA AND THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

Year-4

Vol.2



Index

April-May-June

2012

(All Rights Reserved)



LAW REPORTING COMMITTEE OF ILR, M. P. SERIES 2012

PATRON

Hon'ble Shri Justice Sushil Harkauli Acting Chief Justice

PRESIDENT

Hon'ble Shri Justice K.K. LAHOTI

MEMBERS

Shri R. D. Jain, Advocate General, (ex-officio)
Shri Rajendra Tiwari, Senior Advocate
Shri P. R. Bhave, Senior Advocate
Shri Rohit Arya, Senior Advocate
Shri G.S. Ahluwalia, Advocate (ex-officio)
Shri Ved Prakash, Principal Registrar (Judl.), (ex-officio)

SECRETARY

Shri G.S. Ahluwalia, Advocate, Editor, (Part-time), (ex-officio) Shri D.K. Mishra, Assitt. Editor.

REPORTERS

Shri Ravindra Gupta, Advocate, Reporter, (Part-time)
Shri Alok Tapikar, Advocate, Reporter, (Part-time)

PUBLISHED BY

Shri Awdhesh Kumar Shrivastava, Principal Registrar, (ILR)

(Note: An asterisk (*) denotes Note number)

A.P. Singh Gaharwar Vs. State of M.P.	(DB)*51
Agrawal Medical Agencies (M/s.) Vs. Govind Prasad	942
Ajay Jha Vs. Late Shri Bisambhar Dayal Agrawal	1208
Alok Badal Vs. State Bank of Inodre	1044
Ambika Refinery (M/s.) Vs. State of M.P.	(DB)122
Anand Construction (M/s) Vs. Divisional Dy. Commission	er,
Commercial Tax, Indore	(DB) 858
Anil Alias Noni Panda Vs. State of M.P.	1081
Anil Bhatt Vs. State of M.P.	1146
Anil Kumar Vs. State of M.P.	*52
Anil Sharma alias Anil Namdev Vs. State of M.P.	(DB)*53
Annu @ Anil Vs. Rajesh	1460
Aruna Gautam (Smt.) Vs. Smt. Arti	1410
Ashish Kumar Vs. Smt. Rukmani Devi	1275
Ashok Kumar Vs. Krishna Chand	985
Ashok Pateria Vs. State of M.P.	1142
Avneesh Vs. State of M.P.	1466
Aziz Khan Vs. Akram Hussain	1391
B.K. Sahoo (Dr.) Vs. Central Bureau of Investigation	(DB)1077
Bablu Alias Dilip Vs. State of M.P.	*54
Babulal Vs. Ramkali Bai	1271
Badri Prasad Tiwari Vs. State of M.P.	1423
Balbeer Singh Vs. State of M.P.	1068
Banco Construction Co. (M/s.) Vs. Union of India	840
Bankelal Soni Vs. State of M.P.	1434
Beena Pandey Vs. Mamta Devi	861
Betu Vs. State of M.P.	1290
Bhagwandeen Choudhary Vs. State of M.P.	869
Rhaiiu @ Karan Singh Vs. State of M.P.	(SC) *42

Bharat Kumar Patel Vs. Shri Ram Janki Hanuman Mandir	1262			
Bhawani Shankar Singhal Vs. State of M.P.	*55			
Bhupendra Singh Tomar Vs. State of M.P.	1119			
Brijpal Singh Vs. Pramod Kumar	1092			
Chakresh Kumar Jain Vs. State of M.P.	1251			
Chanda Bai (Smt.) Vs. State of M.P.	1469			
Chandralata Gupta Vs. Umesh Kumar Sinhal	1037			
Chandrashekhar Vs. State of M.P.	(DB)1321			
Chhote Khan Vs. State of M.P.	1095			
Commissioner of Income Tax Vs. Shri Kamal Kishor Lath	(DB)1103			
Dal Chand Ahirwar Vs. State of M.P.	902			
Deepak Sahu Vs. State of M.P.	1441			
Dhansampat Vs. State of M.P.	(DB)1032			
Ditya (Deleted) through L.Rs. Vs. Kidi	956			
Dwarka Soni Vs. State of M.P.	1060			
G.V.P.R. Engineers Limited (M/s.) Vs. State of M.P.	(DB)1227			
Gopi Nath Vs. Shiv Prasad	*56			
Gudda Alias Sultan Singh Vs. State of M.P.	(DB)*57			
Gulab Vs. State of M.P.	1055			
Hanumant Singh Vs. State of M.P.	*58			
Hari Narayan Sharma Vs. State of M.P.	(DB)865			
Hari Prasad Mishra Vs. District Magistrate, Indore	(DB)1123			
Harish Chandra Yadav Vs. State of M.P.	(DB)1107			
Hyder @ Munda Vs. State of M.P.	(DB)1361			
Hyder Khan Vs. State of M.P.	1063			
Indar Singh Vs. State of M.P.	1451			
Jagdish Kapoor (Mamaji) Vs. Dilip Alias Banti Nagori	1395			
Jagdish Singh Alias Jagdish Pratap Singh				
Vs. Mohanlal Agrawal	982			

Jageshwar Prasad Raidas Vs. M.P. State Electricity Board	1150
Jodhraj Vs. Shri Bhuteshwar Mahadev Mandir	i
Trust, Mandsaur	(DB)853
Jujhar Singh Vs. State of M.P.	(DB)998
Kailashnarayan Dubey Vs. State of M.P.	916
Kashi Bai (Smt.) Vs. State of M.P.	1414
Kuldeep Sharma Vs. State of M.P.	907
Lakhpati Prasad Vs. Rajni Gupta	1464
LML Limited Vs. Shri Kailash narain Rai	1471
Madhu Gupta (Smt.) Vs. Veer K. Shrivastava	1097
Maharani Laxmi Bai Mahila Bahu Uddeshiya	,
Sahkari Samiti Vs. State of M.P.	890
Maihar Cement (M/s.) Vs. Union of India	*59
Managing Committee Dargah Sharif Vs. M.P. Wakf Board	11 <u>7</u> 0
Manisha Lalwani (Smt.) Vs. Dr. D.V. Paul	*60
Manohar. Vs. Central Bank of India	991
Maya Choudhary (Smt.) Vs. State of M.P.	895
Maya Devi (Smt.) Vs. State of M.P.	1214
Meena Bai Vs. State of M.P.	(DB)1025
Meena Singh (Smt.) Vs. The Indian Oil Corporation Ltd.	*61
Mohani Mehrotra (Smt.) Vs. Smt. Shilpi Mehrotra	1099
Mohd. Fareed Vs. State of M.P.	(DB)928
Mohd. Shafi Vs. Abdul Wahid (Deceased) Through L.Rs.	(DB)*43
Mukesh Tiwari Vs. State of M.P.	937
Mukesh Vs. State of M.P.	1014
Mumbi Bai (Smt.) Vs. State of M.P.	1164
Munna @ Mahendra Vs. State of M.P.	*62
Murtaza Malik Vs. Indore Development Authority	(DB)*63
Nagar Palika Parishad Mihona Vs. Ram Nath	1282

Narayan Singh Vs. Babulal	1404
Narayan Vs. State of M.P.	(DB)1376
Naval Kishore Sharma Vs. State of M.P.	1444
Nitu Agrawal Vs. Shireesh Agrawal	1129
Oliya Begum (Smt.) Vs. Abdul Rashid	1419
Om Prakash Tiwari Vs. Smt. Neetu Tiwary	(DB)974
P.K. Plastics Vs. Commissioner of Commercial Tax	(DB)1112
Pappu Alias Bharatsingh Vs. State of M.P.	(DB)*64
Pawan Shukla Vs. State of M.P.	(DB)1019
Pheraniya Vs. Mauji Lal	968
Phool Singh Vs. State of M.P.	1368
Pillu Alias Pyarelal Vs. State of M.P.	1309
Prahlad Gattani Vs. State of M.P.	1454
Prakashrao Vs. Smt. Jyoti	(DB)962
Praveen Kumar Vs. State of M.P.	(DB)1327
Premdas Ahirwar Vs. State of M.P.	(DB)1381
Purshottam Choubey Vs. Smt. Gayatri Bai	1399
Pushpa Arora Vs. Dr. Smt. Anita Arora	911
Raghu Thakur Vs. State of M.P.	1447
Rajendra Jain Vs. State Bar Council of M.P.	1196
Rajendra Singh Saluja Vs. State of M.P.	*44
Rajesh Asnani Vs. State of M.P.	883
Rajesh Vs. Keshar Singh	951
Rajeshwar Rao Vs. Union of India	(DB)1218
Rakesh Kumar Dhingra Vs. M.P. Pollution Control Board	1493
Ram Bharose Kamal Vs. State of M.P.	1181
Ram Krishan Vs. Prabhu Baiga	*45
Ram Kumar Baishander Vs. State of M.P.	*65
Ram Lakhan Vs. State of M.P.	*66

Ram Mohan Agrawal (dead) Through L.Rs. Vs. State of M.I	?. (DB)*46
Ram Singh Vs. State of M.P.	1302
Ramesh @ Durga Singh Lodhi Vs. State of M.P.	*67
Ramesh Chandra Dixit (Dr.) Vs. State of M.P.	*68
Ramesh Das Tyagi Vs. Babulal	1045
Ramjilal Kulshrestha Vs. State of M.P.	1186
Ramveer Singh Tomar Vs. State of M.P.	1134
Rashik Hasan Vs. Nagar Nigam, Bhopal	*69
Rattiram Vs. State of M.P.	(SC)*47
Ravindra Chourasia Vs. Ramashankar	1402
Roop Singh Vs. State of M.P.	1048
Roopa Singh (Smt.) Vs. State of M.P.	1159
Royale Highway Services (M/s.) Vs. Hindustan	, , , , ,
Petroleum Corporation Ltd.	*48
Sadhana Tripathi (Smt.) Vs. Banarsi Devi	1041
Sandipika Sharma Vs. M.P. Housing Board	*49
Sanjay Mehra Vs. State of M.P.	1430
Santosh Kumar Vishwakarma Vs. M.P. Housing Board	1156
Santosh Singh Vs. State of M.P.	1339
Shankar Prasad Gupta Vs. State of M.P.	(DB)876
Shivnarayan Mahant Vs. Registrar, Public Trust	*70
Shivraj Sahu Vs. State of M.P.	*71
Shivram Vs. State of M.P.	(DB)1009
State of M.P. Vs. M/s. Dewas Udyog	(DB)*72
State of M.P. Vs. Nand Kishore	1296
State of M.P. Vs. Nanhe Singh	(DB)1073
State of M.P. Vs. Onkar Lal	(DB)1105
State of M.P. Vs. Rubai Singh	1372
State of M.P. Vs. Shri Govind Gaushala Datia	1125

State of M.P. Vs. Smt. Munni Bai	(DB) 847		
Subhashchandra Joshi Vs. State of M.P.	. (DB)*73		
Sujjet Kumar Nigam Vs. State of M.P.	1257		
Sukhdeo Vs. State of M.P.	1345		
Sukku Alias Sukhrat Vs. State of M.P.	994		
Sulochani (Smt.) Vs. Smt. Jiwaraniya	972		
Sunderlal Vs. State of M.P.	1313		
Surendra Shrivastava Vs The General Manager	.,1244		
Surendra Trivedi Vs. State of M.P.	(DB)*74		
Toran Singh Vs. Imrat Singh	1233		
Union of India Vs. Registrar General, High Court			
of M.P., Jabalpur	(FB)837		
Vinod Jayant Vs. Union of India	1175		
Virendra Kumar Dwivedi Vs. Tirath Prasad	1286		
Virendra Kumar Mahéshwari (Dr.) Vs. State of M.P.	*50		
Vishwa Nath Laharia Vs. State of M.P.	934		
Vrijlal Ghosi Vs. State of M.P.	(DB)1351		

COMPARATIVE TABLE

Other Journals=ILR (M.P Series) 2012

(Note: An asterisk (*) denotes Note Number)

012 (1) 1		269	=	.L.R. (2012)M.P.	*72	2012 (2) MPHT 50 = I.L.R. (2012	 :)M.P.	1068
··- ('/ "		303	= •	v	. •	837	88 = *		1092
		703	₌ •	ı	•	1150	" 174 (DB) = "	•	853
		710	_ •	,	•	911	253 (DB) =	•	962
1012 (2) I	UPI J	27	=	I.L.R. ()	2012)M.P.		265 = .	•	1339
.012 (2) 1		37	= :		•	890	303 =		1044
	, .	75	<u>.</u> .			1142	* 305 = *	٠.	1164
ı		82	= '		•	1146	" 310 (DB) = "		928
ı		86		•		956	* 317 = *		911
ı		90	= '		•	895	322 (DB) =		1019
1 1		110	= '			*61	* 328 = *		1041
r	٠.	128	=			883		•	1129
		147	=			942	331 = 389 = 389 = 389		968
		205	_		•	968	* * 394 = * , .		1119
i	٠.	209	=			*48	* 434 (DB) = *		865
		218	=		•	1119	434 (DB) = 445 (DB) =		1073
		326	=		•	*55	445 (DD) = 477 = 477		1150
		337	=			1410	498 = "		1399
-	٠.	380	_			1134	• 502 = •	•	1159
		386	_			*65			1081
•		407	_			*50	515 = 2012 (3) MPHT 7 (DB) = I.L.R. (201	ou d	
		418	-			1414		2 jm.r.	1327
		426	-			916	36 ⁷ (DB) = ".	. ,	*55
			_			1159	75 =		1441
-		435	_			928	82 =		*68
•		448	-			907	* 86 = *		1414
		453	. = .			1164	125 = 1		937
		456	, <u>=</u> .			1041	130 = 1		1032
	٠.	527 534	=			1044	" 134 (DB) = "		985
•		543	=		,	1129	140 = "		1402
		543 547,	_			1037	146 = 1		1233
			-			962	170 = 1		1181
		552 579	_			840	1 179 = 1 179 = 1 179 = 1 179 (20)	10\11 E	
			-			1419	2012 (1) MPJR 24 = I.L.R. (20	ızım.r	
		687	_		•	991	28 = *		1119 1339
		* 704	_			1404	33 = '		956
		• 707 • 742	=	• '		1271	37 = 1		1262
		713	_			1286	59 = 1 SN 2 = 1		
0040 /41	MPO P	* 715	=		/2042\11		ON Z	40/16 5	1014
2012 (1)	MPH				(2012)M.F	837	2012 (1) JLJ 18 = 1.L.R. (20	12)M.H	837 . 9
		* 382(FB			· •	1107	170 -		
-		* 397 (DI			, "		187 =		*43
Ţ	•	516	=	•,	-	942	• 285 = • •	•	951

INDEX.

(Note: An asterisk (*) denotes Note number)

Accommodation Control Act, M.P. (41 of 1961), Section 12(1)(a)—Arrears of Rent — As per lease deed the tenant had to pay 10% increased rent every after two years, w.e.f. 1st April, 1994 onwards — The period of the lease was for five years — No further renewal of the lease deed but the defendant continued in the shop as tenant as per said lease deed — Held — Term of the lease deed shall not cease its effect until changed or renewed. [Agrawal Medical Agencies (M/s.) Vs. Govind Prasad]

Accommodation Control Act, M.P. (41 of 1961), Section 12(1)(a), Evidence Act (1 of 1872), Section 114, General Clauses Act (10 of 1897), Section 27 — Demand Notice — Service — Notice was returned back with the note of postman that despite information defendant has not received the notice — Defendant has not disputed the address, as given in the notice — Held — The service of the notice sent on the correct address by registered post may be presumed to be effective service of the said notice — Trial Court erred in law in refusing the decree of eviction on account of non-service of demand notice. [Agrawal Medical Agencies (M/s.) Vs. Govind Prasad] ...942

Adverse Possession — Party pleading adverse possession has to plead the actual possession but has also to plead the period and date from which he claims the possession — It has to prove that possession was continuous, exclusive and undisturbed to the knowledge that he is the real owner of the land — Also required to demonstrate hostile title and has to communicate his hostility to the real owner. [Ashok Kumar Vs. Krishna Chand]

Advocate Act (25 of 1961), Section 30, Forest Act (16 of 1927), Sections 19 & 72 – Powers of Authorities – Right to represent through an Advocate in confiscation proceedings – Not permissible. [Kuldeep Sharma Vs. State of M.P.]

Advocate Act (25 of 1961), Section 30 – See – Forest Act, 1927, Section 52 [Kuldeep Sharma Vs. State of M.P.] ...907

Agriculture (Horticulture) Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service recruitment Rules (M.P.), 1987, Rule 11 – Civil Services (General Conditions of Service) (M.P.) Rules, 1961 – Rule 12(4) – Seniority (Note: An asterisk (*) denotes Note number)

स्थान नियंत्रण अधिनियम, म.प्र. (1961 का 41), धारा 12(1)(ए) — किराया का बकाया — पट्टा विलेख के अनुसार किरायेदार को 1 अप्रैल, 1994 के बाद से प्रमावी रुप से प्रत्येक दो वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत बढ़ाये गये माड़े का मुगतान करना होगा — पट्टे की कालावधि 5 वर्षों के लिए थी — आगे पट्टा विलेख का नवीनीकरण नहीं परंतु उक्त पट्टा विलेख के अनुसार दुकान में प्रतिवादी की किरायेदारी जारी रही — अभिनिर्धारित — पट्टा विलेख की समयावधि अपना प्रमाव समाप्त नहीं करेगी जब तक कि वह बदली या नवीनीकृत न की जाये। (अग्रवाल मेडिकल एजेंसीज (मे.) वि. गोविन्द प्रसाद)

स्थान नियंत्रण अधिनियम, म.प्र. (1961 का 41), घारा 12(1)(ए), साध्य अधिनियम (1872 का 1), घारा 114, साघारण खण्ड अधिनियम (1897 का 10), धारा 27 — मांग नोटिस — तामीली — नोटिस पोस्टमेन के इस टीप के साथ वापिस किया गया कि सूचना के बावजूद प्रतिवादी ने नोटिस स्वीकार नहीं किया — प्रतिवादी ने नोटिस में दिये गये पते को विवादित नहीं किया — अमिनिर्घारितं — सही पते पर रिजस्टर्ड डाक द्वारा मेजी गये नोटिस की तामीली को उक्त नोटिस की प्रभावी तामीली होने की उपघारणा की जा सकती है — विचारण न्यायालय ने मांग नोटिस की ना—तामीली के कारण बेदखली की डिक्री से इंकार में विधि की मूल की। (अग्रवाल मेडिकल एजेंसीज (मे.) वि. गोविन्द प्रसाद) ...942

प्रतिकूल कब्जा — प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक् करने वाले पक्षकार को वास्तिवक कब्जे का अभिवाक् करना होता है किन्तु उसे अवधि और दिनांक का मी अभिवाक् करना होता है जबसे वह कब्जा होने का दावा करता है — उसे साबित करना होगा कि कब्जा उसकी जानकारी में अविरत, अनन्य और शांतिपूर्ण था कि वह मूमि का वास्तिवक स्वामी है — उसे प्रतिकूल हक मी दर्शाना आवश्यक है और अपनी प्रतिकूलता वास्तिवक स्वामी को संसूचित करनी होगी। (अशोक कुमार वि. कृष्ण वन्द)

अधिवक्ता अधिनियम (1961 का 25), धारा 30, वन अधिनियम (1927 का 16), धाराएँ 19 व 72 — प्राधिकारियों की शक्तियां — जब्ती कार्यवाही में अधिवक्ता के जरिये प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी — अनुज्ञेय नहीं! (कुलदीप शर्मा वि. म. प्र. राज्य)

अधिवक्ता अधिनियम (1961 का 25), धारा 30 – देखे – वन अधिनियम, 1927, धारा 52 (कुलदीप शर्मा वि. म.प्र. राज्य) ...907

कृषि (जद्यान कृषि) अराजपत्रित (अननुसचिवीय) सेवा मर्ती नियम (म.प्र.), 1987, नियम 11 – सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) (म.प्र.) नियम 1961 – नियम 12(4) – ज्येष्ठता – याचीगण व प्रत्यर्थी क्र. 3 का चयन किया गया और राज्य - Petitioners and respondent No. 3 were selected and the State Government issued the gradation list placing them at appropriate place observing the rules - Representation of various persons were also rejected as per the decision of the Committee formed by the State Government - Respondent No. 3 thereafter was made senior from the petitioner by Government ignoring the decision of committee-Held-Order, granting seniority to respondent No. 3, passed by respondents No. 1 and 2 is contrary to the provisions of the Rules which can not be sustained in law - Order quashed. [Ramveer Singh Tomar Vs. State of M.P.] ...1134

Arbitration and Conciliation Act (26 of 1996), Section 7-Arbitration Agreement-First Respondent filed Writ Petition against appellant and Zila Panchayat for outstanding amount of contract work - Writ Petition was disposed of with a direction to release the admitted amount along with an observation that if the Writ Petitioner has already so applied, the matter shall be referred to an Arbitrator to resolve the dispute between the parties -On realizing, that there was no arbitration agreement, the appellants filed a Review Petition and in the Review Petition the said observation regarding referal of matter to Arbitrator was recalled - During intervening period between passing of the order of Writ Petition and order of recall in Review Petition, a joint meeting between the parties was convened and a Retired High Court Judge was appointed as Arbitrator-The Arbitrator so appointed over ruled the objection raised by the appellants regarding jurisdiction in light of the recall order passed in Review Petition and passed the award for Rs. 16,77,56,010/-- The appeal filed against said award was also dismissed by the District Judge - Held - The order passed in Writ Petition by which the matter was directed to be referred to an Arbitrator under the provisions of the Act of 1996 to resolve the dispute between the parties, was passed on the wrong notion that there exists a written arbitration or clause for reference of the dispute between the parties to an Arbitrator - Having recalled the said order in review petition, it can not be said that the parties have entered into the agreement for arbitration so as to cover it under the term arbitration agreement - In the absence of any arbitration agreement between the parties, the whole proceedings of arbitration, the award passed by the Arbitrator and the order of learned District Judge upholding the award are liable to be set aside - Appeals allowed. [State of M.P. Vs. M/s. Dewas Udyog]

(DB)...*72

सरकार ने नियमों का पालन करते हुए उन्हें उचित स्थान पर वरीयता सूची में रखा — राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के निर्णयानुसार विमिन्न व्यक्तियों के प्रत्यावेदन मी अस्वीकार किये गये — प्रत्यर्थी क्रं. 3 को तत्पश्चात सरकार द्वारा समिति के निर्णय की अवहेलना करते हुए याची से ज्येष्ठता प्रदान की गई — अमिनिर्धारित — प्रत्यर्थी क्रं. 1 व 2 द्वारा प्रत्यर्थी क्रं. 3 को विश्वता प्रदान करने का आदेश नियमों के उपबंधों के विपरीत है जिसे विधि में कायम नहीं रखा जा सकता — आदेश अमिखंडित। (रामवीर सिंह तोमर वि. म.प्र. राज्य) ...1134

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम (1996 का 26), घारा ७ – माध्यस्थम अनुबंध - प्रथम प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी तथा जिला पंचायत के विरुद्ध ठेकेदारी कार्य की बकाया रकम के लिए रिट याचिका प्रस्तुत की - रिट याचिका का इस निदेश के साथ निपटारा किया गया कि स्वीकृत रकम को मुक्त किया जाये इस सम्प्रेषण के साथ कि यदि रिट याचिकाकर्ता ने ऐसा पहले ही आवेदन किया है कि पक्षकारों के मध्य विवाद के निपटारे के लिये प्रकरण माध्यस्थम को निर्देशित किया जावेगा यह ध्यान में आने पर कि कोई माध्यस्थम अनुबंध नहीं था, अपीलार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की और पुनर्विलोकन याचिका में माध्यस्थम को मामला निर्देशित करने के संबंध में उक्त संप्रेक्षण को वापस लिया गया – रिट याचिका के आदेश पारित करने और पुनर्विलोकन याचिका में वापस लेने के आदेश के मध्यकाल के दौरान पक्षकारों के मध्य संयुक्त मीटिंग बुलाई गई और एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को मध्यस्थ के रुप में नियुक्त किया गया – इस प्रकार से नियुक्त मध्यस्थ ने अपीलार्थी द्वारा पुनर्विलोकन याचिका में पारित किया गया वापसी के आदेश के आलोक में अधिकारिता संबंधी उठाये गये आक्षेप को अस्वीकार किया और रुपये 16,77,56,010 / - के लिए अवार्ड पारित किया - उक्त अवार्ड के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील भी जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज की गयी — अभिनिर्धारित - रिट याचिका में पारित आदेश जिसके द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिये अधिनियम 1996 के उपबंधों के अंतर्गत मामला मध्यस्थ को निर्देशित करने के लिए निदेश दिया गया था गलत घारणा से पारित किया गया था कि पक्षकारों के मध्य मध्यस्थ को विवाद निर्देशित करने हेत् लिखित माध्यस्थम या खंड है -पुनर्विलोकन याचिका में उक्त आदेश वापस लेने पर यह नहीं कहा जा सकता कि पक्षकारों ने माध्यस्थम हेतु करार किया है जिससे कि वह यह माध्यस्थम अनुबंध के अंतर्गत आयेगा - पक्षकारों के बीच किसी माध्यस्थम अनुबंध की अनुपस्थिति में. माध्यस्थम की संपूर्ण कार्यवाहियां, मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड तथा अवार्ड की पुष्टि करने वाला विद्धान जिला न्यायाधीश का आदेश अपास्त किये जाने योग्य - अपील मंजूर्। (म.प्र. राज्य वि. मे. देवास उद्योग) (DB)...*72

INDEX

Arbitration and Conciliation Act (26 of 1996), Section 34, Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 11 — Res judicata — Principle of res judicata attracts only when the matter directly and substantially in issue in the former suit between the same parties which has been heard and finally decided by such Court. [Banco Construction Co. (M/s) Vs. Union of India]

Arbitration and Conciliation Act (26 of 1996), Sections 34 & 36-Enforcement of award-During pendency of the proceedings under Section 34, no discretion is left with the Court to proceed on an application under Section 36 of the Act, if any, filed for enforcement of the award. [Banco Construction Co. (M/s) Vs. Union of India] ...840

Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act (28 of 1996), Section 3 - Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Rules, 1998 - Rule 3 - Levy of Cess - Respondent No.3 proposed and awarded contracts for construction to the petitioners on TOTAL TURN-KEY BASIS-The contract broadly included the supply, transportation to work site, storage, insurance, erection, assembling, testing and commissioning of the lines and line equipments - The break up of contract price was also provided for supply portion and for erection portion -Respondent No.3. deducted the Cess levied at source on the bill furnished by the petitioners - Petitioners challenging the deduction by referring the price clause of the contract and contending that they are not liable to pay Cess attributable for supply portion - Held - The cost of construction can not be divided in parts into supply portion and erection portion - Even the cost for supply portion is incurred by the petitioners and can not be separated from the total cost incurred - The Cess is on the total cost of construction - Respondent No. 3 is entitled to deduct one per cent Cess on the total contract price mentioned in the contract - Petitioners are liable to pay Cess even for supply portion - Petition dismissed. [G.V.P.R. Engineers Ltd. (M/s.) Vs. State of M.P.] (DB)...1227

Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Rules, 1998 – Rule 3 – See – Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996, Section 3 [G.V.P.R. Engineers Ltd. (M/s.) Vs. State of M.P.] (DB)...1227

Caste Certificate - Issuance of - Petitioner before submitting application for grant of Caste Certificate always projected himself as

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम (1996 का 26), धारा 34, सिविल प्रक्रिया सहिता (1908 का 5), धारा 11 — पूर्व न्याय — पूर्व न्याय का सिद्धांत केवल तब आकर्षित होता है जब पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष एवं सारतः विवाद्य मामला जिसे ऐसे न्यायालय द्वारा सुना गया और अंतिमतः निर्णित किया गया है। (वेनको कस्ट्रक्शन कंपनी (मे.) वि. यूनियन ऑफ इंडिया) ...840

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम (1996 का 26), धाराएँ 34 व 36 — अवार्ड का प्रवंतन — धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान न्यायालय के पास अवार्ड के प्रवर्तन हेतु प्रस्तुत किये गये अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत किसी आवेदन पर कार्यवाही करने का विवेकाधिकार नहीं बचता। (बेनको कंस्ट्रक्शन कंपनी (मे.) वि. यूनियन ऑफ इंडिया)840

ं भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्यांण उपकर अधिनियम (1996 का 28), घारा 3 - मवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार केल्याण उपकर, नियम 1998 -नियम 3 - उपकर लगाया जाना - प्रत्यर्थी क्र. 3 ने प्रस्ताव दिया और याचीगण को 'टोटल टर्न की बेसिस' पर संनिर्माण के लिए संविदायें प्रदान की - संविदा में विस्तीर्ण रुप से प्रदाय, निर्माण स्थल पर परिवहन लाईनों का व लाईन उपकरणों का संग्रहागार, बीमा, निर्माण, संयोजन, परीक्षण व कमिशनिंग समाविष्ट था -संविदा मूल्य का विघटन भी प्रदाय भाग एवं निर्माण भाग हेतु उपबंधित करता है - प्रत्यर्थी क्र. 3 ने याची द्वारा प्रस्तुत बिल पर लगाया गया उपकर का कटौत्रा किया - याचीगण ने संविदा के मूल्य खंड का संदर्भ देते हुए और यह तर्क करते हुए कि वे प्रदाय भाग के लिए देय उपकर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं है -अभिनिर्घारित - सनिर्माण की लागत प्रदाय माग और निर्माण भाग में विभाजित नहीं की जा सकती – प्रदाय माग हेतु लागत भी याचीगण द्वारा उठाई जायेगी और पूर्ण लागत से अलग नहीं की जा सकती - उपकर संपूर्ण निर्माण लागत पर है - प्रत्यर्थी क्रं. 3 संपूर्ण संविदा मूल्य पर एक प्रतिशत उपकर की कटौती करने के लिए हकदार है – याचीगण प्रदाय माग के लिए भी उपकर अदा करने के लिए दायी हैं – याविका खारिज। (जी.व्ही.पी.आर. इंजीनियर्स लि. (मे.) वि. म.प्र. राज्य)

मृतन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर, नियम 1998 — नियम 3 —देखें मृतन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, धारा 3 (जी.व्ही.पी.आर. इंजीनियर्स लि. (मे.) वि. म.प. राज्य) (DB)...1227

जाति प्रमाण पत्र — जारी कियां जाना — याची ने जाति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हमेशा स्वयं को सामान्य, हिन्दू, सिख General, Hindu, Sikh or Punjabi - Petitioner or his father never faced deprivation, discrimination, atrocities or difficulties which are faced by a S.C. Candidate - Very purpose of grant of SC certificate is available to those who had a difficult start and upbringing in their lives because of belonging to SC community - Petitioner never faced those deprivation - Not entitled for benefits. [Rajendra Singh Saluja Vs. State of M.P.] ...*44

Caste Certificate – Verification – Vigilance Report – Caste Verification Committee can examine the correctness and genuineness of the report – Committee is not required to blindly follow the Vigilance Report. [Rajendra Singh Saluja Vs. State of M.P.] ...*44

Caste Verification Committee – Constitution thereof – Allegation that a member who was required to be nominated by Chairman and who should be an expert in the field of SC was not there – Held – State produced communication dated 4.11.1999 showing that Director of S.T. research Institute was nominated a Member – No material produced to establish that said member is not competent to be so nominated – Decision dated 4.11.1999 also not challenged – Constitution of Committee upheld. [Rajendra Singh Saluja Vs. State of M.P.] ...*44

Caste Verification Committee – Findings – Committee rejected the Vigilance Report which was based on oral evidence and based its finding basically on documentary evidence like School Admission Register, Transfer Certificate, Application submitted by father of petitioner for grant of APL/BPL Ration Card – All documents show that petitioner and his father always expressed their caste as Punjabi/Sikh/Hindu and never claimed them as S.C. [Rajendra Singh Saluja Vs. State of M.P.]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 11 – Resjudicata – Between Parties under whom they or any of them claim litigating under same title - Appellants challenged the judgment on the ground that they were not party in the suit which was filed by the respondent No.1 for declaration of title against their predecessor – Principles of Resjudicata is based on the principle that no man should be vexed twice over the same cause – As appellants are claiming through their predecessor, the judgment passed in former suit would operate as resjudicata. [Ditya (Deleted) Through L.Rs. Vs. Kidi] ...956

या पंजाबी प्रक्षेपित किया — याची या उसके पिता ने कमी भी वंचित किये जाने, मेदमाव, अत्याचार या कठिनाईयों का सामना नहीं किया जिनका सामना एससी अभ्यर्थी द्वारा किया जाता है — एससी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का प्रयोजन उन्हीं को उपलब्ध है जिन्हें शुरुआत और प्रारंभिक शिक्षा में एससी समुदाय का होने के कारण कठिनाई आती है — याची ने इन वंचनाओं का कमी सामना नहीं किया — लाभों का हकदार नहीं। (राजेन्द्र सिंह सलूजा वि. म.प्र. राज्य) ...*44

जाति प्रमाण पत्र - सत्यापन - सतर्कता रिपोर्ट - जाति सत्यापन समिति रिपोर्ट की शुद्धता एवं सत्यता का परीक्षण कर सकती है - सतर्कता रिपोर्ट का बिना सोचे समझे अनुसरण करना समिति से अपेक्षित नहीं। (राजेन्द्र सिंह सलूजा वि. म. प्र. राज्य)

जाति सत्यापन सिमित — का गठन — अभिकथन कि सदस्य जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित करना अपेक्षित था और जिसे एससी के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए था वहां नहीं था — अभिनिर्धारित — राज्य ने प्रेषण दिनांक 4.11.1999 प्रस्तुत किया यह दर्शाते हुए कि एसटी अनुसंधान संस्थान के निदेशक को सदस्य नामित किया गया था — यह स्थापित करने के लिये कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई कि उक्त सदस्य इस प्रकार नामित किये जाने के लिये सक्षम नहीं है — निर्णय दिनांक 4.11. 1999 को भी चुनौती नहीं दी गई — सिमिति के गठन की पुष्टि की गई। (राजेन्द्र सिंह सलूजा वि. म.प. राज्य)

जाति सत्यापन समिति – निष्कर्ष – समिति ने सतर्कता रिपोर्ट अस्वीकार की जो मौखिक साक्ष्य पर आधारित थी और मुख्यतः अपना निष्कर्ष दस्तावेजी साक्ष्य जैसे शाला प्रवेश पंजी, अंतरण प्रमाण पत्र, याची के पिता द्वारा एपीएल/बीपीएल राशन कार्ड प्रदान किये। जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर आधारित किया – सभी दस्तावेज दर्शाते हैं कि याची तथा उसके पिता ने सदैव अपनी जाति पंजाबी/सिख/हिन्दू के रुप में अभिव्यक्त की और कमी मी एससी होने का दावा नहीं किया। (राजेन्द्र सिंह सलूजा वि. म.प. राज्य)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), धारा 11 — पूर्व न्याय — पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन वे या उनमें से कोई उसी स्वत्व/हक के अतर्गत मुकदमा करते हुए दावा करते हैं — अपीलार्थींगण ने इस आधार पर निर्णय को चुनौती दी कि वे प्रत्यर्थी क्र. 1 द्वारा उनके पूर्वज के विरुद्ध हक की घोषणा के लिये प्रस्तुत किये गये वाद में पक्षकार नहीं थे — पूर्व न्याय के सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि किसी व्यक्ति को उसी वाद के लिये दोबारा तंग नहीं किया जाना चाहिये — चूंकि अपीलार्थींगण अपने पूर्वज के द्वारा दावा कर रहे हैं, पूर्ववर्ती वाद में पारित निर्णय पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित होगा। (दित्या (डिलीटेड) द्वारा विधिक प्रतिनिधि वि. किडी)

Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 11 – Resjudicata — Erroneous or wrong Judgment – Court which decided the former suit was competent and having jurisdiction to decide the same – Erroneous or wrong judgment can always be challenged in superior court – Even a wrong judgment or judgment which is contrary to law is binding upon the party unless and until it is set aside in the appeal. [Ditya (Deleted) Through L.Rs. Vs. Kidi]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 11 – Res-judicata – In first suit, the plaintiff failed to produce evidence and the suit was dismissed, drawing a decree – A second suit was then filed by the plaintiff impleading some other parties and on basis of subsequent sale deed – Upon service the defendant/petitioner opposed the suit with an objection regarding res-judicata – Held – The merit of the claim made in the first suit was never assessed – Suit was dismissed for default of appearance of the witnesses of the plaintiff – Mere drawing a decree will not satisfy the consideration of merit of the suit in the first instance – The first Civil Suit was not decided on merits – This itself will not attract the provisions of Section 11, as there was no merit dismissal. [Narayan Singh Vs. Babulal]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 11 – See – Arbitration and Conciliation Act, 1996, Section 34 [Banco Construction Co. (M/s) Vs. Union of India] ...840

Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 100 – Question of Fact – Courts should be slow in reversing the finding of fact – Finding of fact even if erroneous would not be disturbed unless the finding is shown to be perverse and based on surmises and conjectures. [Ashok Kumar Vs. Krishna Chand]985

Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 100 – Second Appeal – High Court can not interfere with the concurrent finding of fact until or unless the same is perverse or contrary to material on record – High Court in exercise of power under Section 100 of the Code can not re-appreciate evidence. [Ashish Kumar Vs. Smt. Rukmani Devi]1275

Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 115 – Revision – Petitioner filed the petition under Article 227 against the order passed by the Executing Court whereby the objection of judgment-debtor was

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), घारा 11 - पूर्व न्याय - त्रुटिपूर्ण या गलत निर्णय - न्यायालय जिसने पूर्ववर्ती वाद निर्णित किया वह सक्षम था और उसके पास उसे निर्णित करने की अधिकारिता थी - त्रूटिपूर्ण या गलत निर्णय को प्रवर न्यायालय में सदैव चुनौती दी जा सकती है - गलत निर्णय या विधि के विपरीत निर्णय भी पक्षकारों पर बाध्यकारी है जब तक कि उसे अपील में अपास्त नहीं किया जाता। (दित्या (डिलीटेड) द्वारा विधिक प्रतिनिधि वि. किडी) ...956

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), धारा 11 — पूर्व निर्णय — प्रथम वाद में वादी साझ्य प्रस्तुत करने में असफल रहा और वाद खारिज कर डिक्रीत किया गया — द्वितीय वाद तब वादी द्वारा कुछ अन्य पक्षकारों को आलिप्त करते हुए तथा पश्चातवर्ती विक्रय विलेख के आधार पर प्रस्तुत किया गया — तामीली उपरांत प्रतिवादी/याची ने पूर्व निर्णय के संबंध में आक्षेप के साथ वाद का विरोध किया — अमिनिर्धारित — प्रथम वाद में दावा किये गये गुणदोषों का निर्धारण कमी मी नहीं किया गया — वादी के साक्षीगण की अनुपस्थित के व्यतिक्रम में वाद खारिज किया गया — मात्र डिक्रीत किये जाने से प्रथम वाद के गुणदोषों के विचारण की संतुष्टि नहीं होगी — प्रथम सिविल वाद गुणदोषों पर निर्णित नहीं किया गया था — मात्र इससे धारा 11 के उपबंध आकर्षित नहीं होते क्योंकि खारिजी गुणदोषों पर नहीं की गई थी। (नारायण सिंह वि. बाबूलाल) ...1404

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), धारा 11 — देखें — माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996, धारा 34 (बेनको कंस्ट्रक्शन कंपनी (मे.) वि. यूनियन ऑफ इंडिया) ...840

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), धारा 100 — तथ्य का प्रश्न — तथ्य के निष्कर्ष को पलटने में न्यायालयों को सावधानी बरतनी चाहिए — तथ्य का निष्कष यदि त्रुटिपूर्ण मी है तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए जब तक कि निष्कर्ष को विकृत और संदेहों एवं अटकलों पर आधारित होना दर्शाया नहीं जाता। (अशोक कुमार वि. ...985

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), धारा 100 — द्वितीय अपील — उच्च न्यायालय तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वह विकृत अथवा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत नहीं है — उच्च न्यायालय संहिता की धारा 100 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में साक्ष्य का पुनः अवलोकन नहीं कर सकता। (अशीष कुमार वि. श्रीमति रूकमणी देवी) ...1275

सिविल प्रकिया सहिता (1908 का 5) - धारा 115 - पुनरीक्षण - याची ने निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें निर्णित ऋणी के आक्षेप की पुष्टि की upheld – If aforesaid objection would have been dismissed, the execution proceedings would have been continued – Thus, civil revision is not the remedy. [Toran Singh Vs. Imarat Singh] ...1233

Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 151 – Inherent powers – If the Court does not have a jurisdiction under an express provision it does not assume powers under Section 151 – Inherent powers of the Court can not over ride the express provision of law. [Manisha Lalwani (Smt.) Vs. Dr. D.V. Paul] ...*60

Civil Procedure Code (5 of 1908), Section 151, Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, M.P. 1972 (24 of 1973), Section 67 - Permission to file suit before expiry of statutory period of notice - Appellant obtained necessary permissions to construct house over the land purchased by him by registered sale deed - Building material also collected at the site - Employees of Krishi Upaj Mandi restrained him from raising construction on the ground that building permission has been cancelled -Appellant filed a suit along with application under Section 151 of C.P.C. seeking leave of the Court to file suit before expiry of statutory period of 2 months as per Section 67 of Adhiniyam, 1967 - Held - A person can not be left like orphan and to wait upto the expiry of statutory period indirectly permitting the Mandi Samiti to take law in their hands - A citizen can not be left remedyless - If looking to the urgency, the Court was not powerless and it could grant necessary permission to institute the suit and to pass necessary order granting temporary injunction - Appeal allowed - Trial Court directed to decide the suit on merits. [Rashik Hasan Vs. Nagar Nigam, Bhopal]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 6 Rule 17 – Amendment of Plaint – Factors required to be borne in mind by the Court while dealing with application for amendment – Law discussed. [Pushpa Arora Vs Dr. Smt. Anita Arora]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 7 Rule 10 – Territorial Jurisdiction – Marriage solemnized at New Delhi – Parties came to Bhopal to attend wedding reception – Thereafter they went to U.S.A. and stayed there – Petition for divorce filed at Bhopal – Respondent admitted that even today both the parties are residing at USA – Facts which confer jurisdiction on the Court has to be pleaded clearly and

गई है, के विरुद्ध अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की - यदि उपरोक्त आक्षेप को खारिज किया गया होता तब निष्पादन कार्यवाहिया जारी रहती - अतएव सिविल पुनरीक्षण उपचार नहीं है। (तोरन सिंह वि. इमरत सिंह) ...1233

सिविल प्रक्रिया सहिता (1908 का 5), घारा 151 — अंतर्निहित शक्तियां — यदि न्यायालय को किसी अभिव्यक्त उपबंध के अंतर्गत अधिकारिता नहीं है. वह धारा 151 के अंतर्गत शक्तियों को ग्रहण नहीं करता — न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, विधि के अभिव्यक्त उपबंध के अध्यारोही नहीं हो सकती। (मनीषा लालवानी (श्रीमित) ते. डॉ. डी. व्ही. पॉल)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), धारा 151, कृषि उपज मण्डी अधिनियम. म.प्र. 1972 (1973 का 24), घारा 67 – नोटिस की कान्नी अवधि समाप्त होने से पर्व वाद प्रस्तत करने की अनमित - अपीलार्थी ने उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई भूमि पर भवन निर्माण के लिये आवश्यक अनुमतियां अभिप्राप्त की - स्थान पर निर्माण सामग्री भी एकत्रित की गई - कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों ने उसे निर्माण करने से इस आघार पर रोका कि निर्माण की अनुज्ञा निरस्त की गई है - अपीलार्थी ने अधिनियम 1967 की घारा 67 के अनुसार 2 माह की कानूनी अवधि समाप्त होने से पूर्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हुए सि.प्र.स. की धारा 151 के अंतर्गत आवेदन के साथ वाद प्रस्तृत किया -अमिनिर्घारित – व्यक्ति को लावारिस जैसे नहीं छोड़ा जा सकता और कान्नी अवधि की समाप्ति तक रुकने के लिये नहीं कहा जा सकता, मंडी समिति को विधि अपने हाथ में लेने की अपत्यक्ष अनुमति मिलेगी - नागरिकों को उपचार विहीन नहीं छोड़ा जा सकता - आवश्यकता को देखते हुए, न्यायालय शक्तिविहीन नहीं था और वह वाद संस्थित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है तथा अस्थायी व्यादेश प्रदान करने के आवश्यक आदेश पारित कर सकता है - अपील मंजूर - विचारण न्यायालय को वाद को गुण दोषों पर विनिश्चत करने के लिये निदेशित किया गया। (रशिक हसन वि. नगर निगम, मोपाल)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 6 नियम 17 — वादपत्र में संशोधन — न्यायालय द्वारा संशोधन के आवेदन का निपटारा करते समय विचार में लेने के लिये आवश्यक कारक — विधि विवेचित। (पुष्पा अरोरा वि. डॉ. श्रीमित अनीता अरोरा)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 7 नियम 10 — क्षेत्रीय अधिकारिता — विवाह नई दिल्ली में सम्पादित किया गया — पक्षकार शादी के रिसेप्शन में सम्मिलित होने के लिये मोपाल आये — उसके बाद वे यू.एस.ए. गये और वहां रुके — विवाह विच्छेद के लिये याचिका मोपाल में दायर की गई — प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि आज भी दोनों पक्षकार यू.एस.ए. में निवासरत हैं — तथ्य, जो न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करते हैं, का स्पष्ट और विनिर्दिष्ट रुप से अभिवाक

specifically – Plaint do not disclose that where the parties had last resided together – It can not be inferred that parties had last resided together at Bhopal – Plaint directed to be returned for presentation of the same before Competent Jurisdiction. [Nitu Agrawal Vs. Shireesh Agrawal]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order VII Rule XI – See – Municipalities Act, M.P. 1961, Sections 26 & 22(a)(d)(i) [Aziz Khan Vs. Akram Hussain] ...1391

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 7 Rule 11 – See – Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, Section 14(8), 20 [Sulochani (Smt.) Vs. Smt. Jiwaraniya] ...972

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 9 Rule 13 – Setting aside of ex-parte divorce decree – No attempt was made to effect the service by general mode – Endorsement as to refusal of envelope was not signed or initialled by the postman whereas the earlier endorsement indicating that the addressee was expected to come back from Hatta after 3 days did bear his signature – On 09.08.1997, observing that the envelope was not received back served or unserved, trial Judge directed issuance of fresh summons by registered post and fixed 09.09.1997 as the next of hearing but no follow up action was taken – On 09.09.1997, the Presiding Judge was on leave and it was the Reader, who adjourned the case to 15.09.1997 – Held – Impugned order allowing respondent's application for setting aside ex parte divorce decree, does not suffer from any error of jurisdiction. [Purshottam Choubey Vs. Smt. Gayatri Bai]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 11 Rule 21 – Scope of exercise of powers – Provision is not available when only production of documents is directed and not produced – Non production at the most would lead the Court to draw an adverse inference – The defence can not be struck in case the defendant fails to produce the document. [Manisha Lalwani (Smt.) Vs. Dr. D.V. Paul] ...*60

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 21 Rule 32 (1)(5) read with explanation – Execution of Decree – Decree for declaration and permanent injunction was passed – No prayer or decree was made for possession – The said decree was sought to be executed under aforesaid

करना चाहिए — वादपत्र प्रकट नहीं करता कि पक्षकार अंतिम बार एक साथ कहां निवास कर रहे थे — यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पक्षकार अंतिम बार भोपाल में एक साथ निवासरत थे — वादपत्र सक्षम अधिकारिता के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस करने के लिये निदेशित किया गया। (नीतू अग्रवाल वि. शिरीष अग्रवाल) ...1129

सिविल प्रक्रिया सहिता (1908 का 5), आदेश VII नियम XI — देखें — नगरपालिका अधिनियम, म.प्र. 1961, धाराएँ 26 व 22(ए)(डी)(i) (अजीज खान वि. अकरम हुसैन)1391

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 7 नियम 11 — देखें — कोयला घारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957, घारा 14(8), 20 (सुलोचनी (श्रीमति) वि. श्रीमति जीवारानिया) ...972

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 9 नियम 13 — एकपक्षीय विवाह विच्छेद की डिक्री अपास्त की जाना — सामान्य ढग से तामीली करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया — लिफाफे की अस्वीकृति के बारे में पृष्ठांकन पर पोस्टमेन द्वारा हस्ताक्षर या अद्योहस्ताक्षर नहीं किये गये जबिक पूर्वतर, पृष्ठांकन पर उसके हस्ताक्षर थे यह दर्शाते हुए कि पाने वाले की हट्टा से 3 दिनों पश्चात लौटने की संमावना है — 09.08.1997 को विचारण न्यायाधीश ने यह संग्रेक्षण करते हुए कि लिफाफा तामील होकर या तामील न होकर वापस प्राप्त नहीं हुआ है रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा नये समस जारी करने के लिए निदेशित किया और अगली सुनवाई 09.09.1997 नियत की, परंतु कोई फॉलोअप कार्यवाही नहीं की गई — 09.09.1997 को पीठासीन न्यायाधीश अवकाश पर थे और वह रीडर था जिसने प्रकरण 15.09.1997 को प्रस्थागित किया — अभिनिर्धारित — एकपक्षीय विवाह विच्छेद की डिक्री अपास्त किये जाने हेतु प्रत्यर्थी के आवेदन को मंजूर करने वाला आक्षेपित आदेश अधिकारिता की किसी त्रुटि से ग्रसित नहीं। (पुरषोत्तम चौबे वि. श्रीमित गायत्री बाई)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 11 नियम 21 — शक्तियों के जमयोग की व्याप्ती — उपबंध उपलब्ध नहीं है जब केवल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये और प्रस्तुत नहीं किये गये — प्रस्तुत नहीं किये जाने से न्यायालय ज्यादा से ज्यादा प्रतिकूल निष्कर्ष निकालेगा — बचाव को खंडित नहीं किया जा सकता, यदि प्रतिवादी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है। (मनीषा लालवानी (श्रीमति) वि. डॉ. डी. व्ही. पॉल)

सिविल प्रकिया संहिता (1908 का 5), आदेश 21 नियम 32 (1)(5) सहपिवत स्पष्टीकरण — डिकी का निष्पादन — घोषणा एवं स्थायी व्यादेश हेतु डिकी पारित की गई — कब्जे और डिक्री के लिए कोई निवेदन नहीं किया गया — उक्त डिकी को उपरोक्त उपबंध के अतर्गत निष्पादित किया जाना चाहा गया — निचले न्यायालय ने

provision – Court below declined it – Held – The trial Court in judgment gave specific finding that allotment was made in petitioner's favour and he is in possession with further direction that his possession be not disturbed – This order attained finality till High Court – If contrary to this, possession is disturbed, it is the duty of the Court to set the wrong right and not allow the perpetuation of the wrong doing. [Toran Singh Vs. Imrat Singh]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 21 Rule 32 (1)(5) read with explanation — Execution of Decree — Even a decree of permanent prohibitory injunction needs to be enforced as per the said explanation — If the judgment-debtor had gained possession on the decree holder's property by violating decree, said judgment-debtor needs to be expelled by the executing Court by exercising powers under Order 21 Rule 32 or by exercising inherent powers under Section 151 of C.P.C. — Law Commission Report pursuant to which Explanation was inserted is taken note of. [Toran Singh Vs. Imrat Singh] ...1233

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 21 Rules 84 & 85 – Purchase Money – Rules 84 & 85 leave no discretion of power to Court to extend time or to condone any delay in depositing the purchase money – Fact that the decree holder has pleaded no objection to the prayer for extension of time to deposit the remaining amount of purchase money also does not assume any significance. [Alok Badal Vs. State Bank of Indore]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 39 Rule 1 & 2 – Temporary Injunction – A prima facie case made out and the ingredients of irreparable loss and balance of convenience were also existing in favour of the plaintiff – But the intervening public interest (construction of an Air Port on the suit property), is likely to be hampered, if the temporary injunction is granted – The plaintiff was not entitled to grant of any temporary injunction. [State of M.P. Vs. Shri Govind Gaushala, Datia]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 39 Rule 1 and 2 – Temporary Injunction – Plaintiff and Defendants claiming title over the disputed property on the basis of Wills in their favour – Circumstances surrounding execution of each one of the Wills are

इससे इकार किया — अभिनिर्धारित, — विचारण न्यायालय ने निर्णय में विनिर्दिष्ट निष्कर्ष दिया कि आवंटन याची के पक्ष में किया गया था और वह उसके कब्जे में है और आगे निदेशित किया कि उसके कब्जे में बाधा न डाली जाये — उच्च न्यायालय तक इस आदेश ने अंतिम रूप प्राप्त किया — यदि इसके विपरीत कब्जे में बाधा डाली गई, तब न्यायालय का कर्तव्य होगा कि जो गलत हुआ है उसे सही करे और अनुचित कार्य जारी रखने को मंजूरी, न दे। (तोरन सिंह वि. इमरत सिंह)

सिविल प्रकिया संहिता (1908 का 5) आदेश 21 नियम 32(1)(5) सहपिवत स्पष्टीकरण — डिकी का निष्पादन — स्थाई निषेद्यात्मक व्यादेश की डिक्री का प्रवर्तन भी उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार किया जाना आवश्यक है — यदि निर्णित ऋणी ने डिक्रीदार की सम्पित्त का कब्जा, डिक्री के उल्लंघन में प्राप्त किया है, उक्त निर्णित ऋणी को निष्पादन न्यायालय द्वारा नियम 32 आदेश 21 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग द्वारा या सि.प्र.स. की घारा 151 के अन्तर्गत अन्तर्गिहित शक्तियों के प्रयोग द्वारा जाना चाहिए — विधि आयोग की रिपोट जिसके अनुसरण में स्पष्टीकरण समाविष्ट किया गया था उसे घ्यान में लिया गया है। (तोरन सिंह वि. इमरत सिंह) ...1233

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 21 नियम 84 व 85 — क्रय धन
— नियम 84 व 85, न्यायालय को क्रय धन जमा करने में समय बढ़ाने या किसी
विलम्ब के लिए माफी देने की शक्ति का विवेकाधिकार नहीं देते — तथ्य कि डिक्री
धारक ने क्रय धन की बकाया रकम जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की पार्थना
को आक्षेपित नहीं करने का अभिवाक किया है यह भी कोई महत्व नहीं रखता।
(आलोक बादल वि. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 39 नियम 1 व 2 — अस्थायी व्यादेश — प्रथम दृष्ट्या प्रकरण बनता है और पूरी न हो सकने वाली हानी के घटक एवं सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में विद्वमान — परंतु मध्यवर्ती लोक हित (वाद सम्पत्ति पर हवाई अड्डे का निर्माण) में रुकावट होने की समावना है, यदि अस्थाई व्यादेश प्रदान किया गया — वादी किसी अस्थाई व्यादेश के लिए हकदार नहीं था। (म.प. राज्य वि. श्री गोविन्द गौशाला, दतिया) ...1125

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 39 नियम 1 व 2 — अस्थाई व्यादेश — वादी एवं प्रतिवादी उनके पक्ष में वसीयतों के आधार पर विवादित सम्पत्ति पर हक का दावा कर रहे हैं — प्रत्येक वसीयत के निष्पादन, से घिरी परिस्थितिया उनकी सत्यता के बारे में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त हैं — प्रकरण के तथ्य, जांच योग्य सारवान प्रश्न का अस्तित्व और यथापूर्ण

sufficient to raise a reasonable suspicion as to its genuineness – Facts of case clearly establishes existence of a substantial question to be investigated and consequent necessity to preserve status quo – Order of temporary injunction restraining appellant from alienating the property rightly granted – Appeal dismissed. [Jagdish Singh Alias Jagdish Pratap Singh Vs. Mohan Lal Agrawal] ...982

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 39 Rule 2 A – Court granting Injunction – Court granting injunction means the Court which is trying the suit in which the injunction is granted and which has the jurisdiction to grant an injunction. [Sadhana Tripathi (Smt.) Vs. Banarsi Devi] ...1041

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 40 Rule 1—Appointment of receiver—Appointment of the receiver can not be made to affect the rights inter se of the parties—The object of the appointment of a receiver is to secure and preserve the property in controversy as it stands. [Shivnarayan Mahant Vs. Registrar, Public Trust] ...*70

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 40 Rule 1 – Appointment of receiver – Pending judicial determination of the rights of the parties for preservation of the subject matter of the litigation, the power so embodied may be exercised by appointing a receiver when it appears to be just and convenient for doing so – Merely showing adverse and conflicting claims to property, without showing any emergency or danger or loss demanding immediate action without having clear picture from doubt the discretion should not be exercised. [Shivnarayan Mahant Vs. Registrar, Public Trust] ...*70

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 40 Rule 1 – Neither the principle of law of exercising judicial discretion in the matter of appointment of receiver has been observed by the trial Court, nor the direction so issued has not been complied with by the Registrar, Public Trust – Possession was taken over of the property for which no direction was issued by the Court – Impugned order set aside. [Shivnarayan Mahant Vs. Registrar, Public Trust] ...*70

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 47 Rule 1 – Concession by Advocate – Decree of eviction was passed on concessional statement made by Counsel for respondent therein/applicant that he admits the

स्थिति बनाए रखने की परिणामिक आवश्यकता को स्पष्ट रुप से स्थापित करते हैं — अपीलार्थी को सम्पत्ति अन्य संक्रामित करने से अवरुद्ध करते हुए अस्थायी व्यादेश का आदेश उचित रुप से प्रदान किया गया — अपील खारिज। (जगदीश सिंह उर्फ जगदीश प्रताप सिंह वि मोहन लाल अग्रदाल) ...982

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 39 नियम 2ए— व्यादेश प्रदान करने वाला न्यायालय — व्यादेश प्रदान करने वाले न्यायालय का अर्थ है वह न्यायालय जहां वाद विचारित किया गया है एवं जिसने व्यादेश प्रदान किया और व्यादेश प्रदान करने की जिसकी अधिकारिता है। (साधना त्रिपाठी (श्रीमित) वि. बनारसी देवी)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 40 नियम 1 — रिसीवर की नियुक्ति — रिसीवर की नियुक्ति पक्षकारों के परस्पर अधिकारों को प्रभावित करने के लिए नहीं की जा सकती — रिसीवर की नियुक्ति का उद्देश्य विवादित सम्पत्ति को यथास्थिति सुरक्षित एवं बनाये रखना है। (शिवनारायण महत्त वि. रिजस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट) ...*70

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 40 नियम 1 — रिसीवर की नियुक्ति — मुकदमे की विषय वस्तु के परीक्षण हेतु पक्षकारों के अधिकारों का न्यायिक निर्धारण लंबित रहते हुए, इस प्रकार से दृष्य शक्ति का प्रयोग रिसीवर की नियुक्ति कर किया जा सकता है जब ऐसा करना न्यायोचित एवं सुविधापूर्ण प्रतीत होता है — सम्पत्ति पर मात्र प्रतिकूल एवं विरोधी दावे दर्शाने से और तुरंत कार्यवाही की मांग करने वाली किसी आकस्मिकता या मय या हानी दर्शाये बिना, संदेह से स्पष्ट चित्र ना होते हुए विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। (शिवनारायण महत वि. रिजस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट) ...*70

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 40 नियम 1 — विचारण न्यायालय द्वारा रिसीवर की नियुक्ति के मामले में न तो न्यायिक विवेकाधिकार की विधि के सिद्धांत का पालन किया गया है और ना ही ऐसे जारी किये गये निदेश का रिजस्ट्रार लोक न्यास द्वारा अनुपालन किया गया है — ऐसी सम्पत्ति का कब्जा लिया गया जिसके लिए न्यायालय द्वारा कोई निदेश जारी नहीं किया गया — आक्षेपित आदेश अपास्त। (शिवनारायण महत्त वि. रिजस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट) ...*70

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 47 नियम 1 — वकील द्वारा रियायत — प्रत्यर्थी / आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिये गये रियायत का कथन कि वह बेदखली के आधारों को स्वीकार करता है, के आधार पर बेदखली की डिक्री पारित grounds of eviction – Counsel filing affidavit denying the fact of making such concession – Respondents did not file any affidavit to controvert the affidavit of the Counsel for applicant – Further when the applicant was claiming title over the land in dispute from the very beginning of the case, there was no occasion for him to make such concession. [Mohd. Shafi Vs. Abdul Wahid (Deceased) Through L.Rs.] (DB)...*43

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 47 Rule 1 – Concession – Concession on the point of law is not binding and it is open to withdraw it by filing a review application – If the Counsel has made any concession without going through the record, the Court should take care to verify the record before accepting the concession made by Counsel. [Mohd. Shafi Vs. Abdul Wahid (Deceased) Through L.Rs.] (DB)...*43

Civil Procedure Code (5 of 1908) Order 47 Rule 1 – Review – Maintainability – Applicant already submitted undertaking before the Executing Court – By giving such undertaking the statutory remedy of appeal, revision or review is not scuttled or foreclosed. [Mohd. Shafi Vs. Abdul Wahid (Deceased) Through L.Rs.] (DB)...*43

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 47 Rule 1 – Review – Rent Controlling Authority reviewed its order holding that the partition deed is insufficiently stamped – There is a distinction between erroneous decision and an error apparent on record – Erroneous decision can be corrected by higher forum and latter can only be corrected by exercise of review jurisdiction – Even if the earlier order passed by RCA was erroneous, setting at naught the same would be beyond the scope of review jurisdiction – Revision allowed. [Chandralata Gupta Vs. Umesh Kumar Sinhal]

Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 47 Rule 1 – Review – Scope – Review is maintainable if it is necessitated on account of some mistake or any other sufficient reason and words Sufficient reasons are wide enough to include misconception of fact or law by a Court or even an Advocate. [Mohd. Shafi Vs. Abdul Wahid (Deceased) Through L.Rs.]

Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, M.P. 1966 – Doctrine of Relation Back – Punishment imposed by Disciplinary Authority is substituted/modified by Appellate Authority – की गई, — अधिवक्ता द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर उक्त रियायात के तथ्य से इकार किया गया — प्रत्यर्थींगण ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र को विवादित करने हेतु कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया — इसके अतिरिक्त जब आवेदक विवादित मूमि पर अपना दावा, प्रकरण के प्रारंभ से कर रहा था तो उसके लिये उक्त रियायत करने का कोई अवसर नहीं था। (मोहम्मद शफी वि. अब्दुल वाहिद (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 47 नियम 1 — रियायत — विधि के बिन्दू पर रियायत बाध्यकारी नहीं है और इसे पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत करके वापिस लेने के लिये स्वतंत्र है — यदि अधिवक्ता द्वारा अमिलेख को बिना पढ़े कोई रियायत की जाती है तो न्यायालय को अधिवक्ता द्वारा की गई रियायत को स्वीकार करने से पहले अमिलेख का परीक्षण करना चाहिए। (मोहम्मद शफी वि. अब्दुल वाहिद (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि) (DB)...*43

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 47 नियम 1 -पुनर्विलोकन - पोणणीयता - आवेदक द्वारा पहले ही निष्पादक न्यायालय के समक्ष वचन प्रस्तुत किया गया - उक्त वचन देने से अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का कानूनी उपचार संकुचित या पुरोबंधित नहीं हो जाता। (मोहम्मद शफी वि. अब्दुल वाहिद (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि) (DB)...*43

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 47 नियम 1 — पुनर्विलोकन — माड़ा नियंत्रण अधिकारी ने यह घारणा करते हुए आदेश पुनर्विलोकित किया कि बंटवारे का विलेख अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है — त्रुटिपूर्ण निर्णय और अभिलेख पर प्रत्यक्ष त्रुटि के मध्य अंतर है — त्रुटिपूर्ण निर्णय को उच्चतर मंच द्वारा सुघारा जा सकता है और दूसरे को केवल पुनर्विलोकन अधिकारिता के प्रयोग द्वारा सुघारा जा सकता है — यदि आरसीए द्वारा पारित किया गया पूर्वतर आदेश त्रुटिपूर्ण भी था तब भी उसे शून्य करना, पुनर्विलोकन के क्षेत्राधिकार के परे होगा — पुनरीक्षण मजूर। (चन्द्रलता गुप्ता वि. उमेश कुमार सिंहल)

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 47 नियम 1 — पुनर्विलोकन — विषयक्षेत्र — पुनर्विलोकन पोषणीय है, यदि वह किसी मूल या अन्य किसी पर्याप्त कारण से आवश्यक हो जाता है और शब्द 'पर्याप्त कारण' व्यापक है जिसमें न्यायालय द्वारा या यहां तक कि किसी अधिवक्ता द्वारा मी तथ्य या विधि का ग्रम शामिल है। (मोहम्मद शफी वि. अब्दुल वाहिद (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि) (DB)...*43

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, म.प्र. 1966 — रिलेशन वैक का सिद्धांत — अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति, अपीलीय पाधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित/उपांतरित — प्रतिस्थापित शास्ति, मूल शास्ति के Substituted punishment will relate back to the date of original punishment. [Vishwa Nath Laharia Vs. State of M.P.] ...934

Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, M.P. 1966 – Rule 2(d), 14 – Disciplinary Authority – Petitioner working as Sub-Inspector – DIG is the disciplinary authority – Issuance of charge sheet and appointment of Enquiry officer by Superintendent of Police who is subordinate to disciplinary authority is without authority – Proceeding initiated by unauthorized person would be illegal and entire subsequent action taken also vitiated. [Dal Chand Ahirwar Vs. State of M.P.]

Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, M.P. 1966 – Rule 9(1) – See – Service Law [A.P. Singh Gaharwar Vs. State of M.P.] (DB)...*51

Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, M.P. 1966 – Rule 14(11) – Exparte Departmental Enquiry – Absence of one day – Employee participated in departmental enquiry but remained absent on one day – Enquiry Officer proceeded exparte on that date – Impermissible as per principles of natural justice – Enquiry officer is bound to adjourn the enquiry on the date of absence of delinquent employee to a later date. [Bhawani Shankar Singhal Vs. State of M.P.] ...*55

Civil Services (General Conditions of Service) Rules, M.P. 1961

- Rule 12(4) - See - Agriculture (Horticulture) Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service recruitment Rules, M.P. 1987, Rule 11 [Ramveer Singh Tomar Vs. State of M.P.] ...1134

Civil Services (Medical Attendance) Rules, M.P. 1958, Rule 4—Medical Reimbursement—Capping—Circular dated 15/20-3-2001 puts a capping on maximum amount to be disbursed towards medical reimbursement—Circular is contrary to Rule 4 and will not be applicable as the same leads to supplanting of Rule 4—Petitioner entitled for reimbursement of entire medical expenses. [Mukesh Tiwari Vs. State of M.P.]

Civil Services (Pension) Rules, 1976 (M.P.) – Rule 42(1)(b) – Fundamental Rule – Rule 56(2-A) – Compulsory Retirement – Overall service performance of the petitioner rated as 'average worker'

दिनांक के साथ पूर्व संबंधित होगी। (विश्वनाथ लहारिया वि. म.प्र. राज्य) ...934

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, म.प्र. 1966 — नियम 2(डी), 14 — अनुशासनिक प्राधिकारी — याची उप निरीक्षक के रुप में कार्यरत — डी. आई.जी. अनुशासनिक प्राधिकारी हैं — पुलिस अधीक्षक जो अनुशासनिक प्राधिकारी के अधीनस्थ है उसके द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाना एवं जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति बिना प्राधिकार के हैं — अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही अवैध है एवं की गई संपूर्ण पश्चातवर्ती कार्यवाही भी दूषित है। (दाल चन्द अहिरवार वि. म.प्र. राज्य)

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, म.प्र. 1966 – नियम 9(1) – देखें – सेवा विधि (ए.पी. सिंह गहरवार वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*51

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम (म.प्र.), 1966 — नियम 14(11) — एकपक्षीय विमागीय जाँच — एक दिवस की अनुपस्थित — कर्मचारी ने विमागीय जाँच में सहमाग लिया परंतु एक दिन अनुपस्थित रहा — जाँचकर्ता अधिकारी ने उस तिथि को एकपक्षीय कार्यवाही की — नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अनुझेय नहीं — जाँचकर्ता अधिकारी अपचारी कर्मचारी की अनुपस्थिति के दिनांक को जांच अगली तिथि के लिये स्थिगत करने के लिए बाध्य है। (भवानी शंकर सिंधल वि. म.प्र. राज्य)

सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, म.प्र. 1961 – नियम 12(4) – देखें – कृषि (उद्यान कृषि) अराजपत्रित (अननुसचिवीय) सेवा मर्ती नियम, म.प्र. 1987, नियम 11 (रामवीर सिंह तोमर दि. म.प्र. राज्य) ...1134

सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, म.प्र. 1958, नियम 4 – चिकित्सीय प्रतिपूर्ति – सीमा बांधना – परिपत्र दिनांक 15/20–3–2001 चिकित्सीय प्रतिपूर्ति की ओर वितरित होने वाली अधिकतम रकम की सीमा बांधता है – परिपत्र नियम 4 के विपरीत है और लागू नहीं होगा क्योंकि वह नियम 4 को प्रतिस्थापित करता है – याची संपूर्ण चिकित्सीय खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार। (मुकेश तिवारी वि. म.प्र. राज्य)

सिविल सेवा (पेन्शन) नियम 1976 (म.प्र.) — नियम 42(1)(बी) — मूलमूत नियम — नियम 56(2ए) — अनिवार्य सेवानिवृत्ति — कुल मिलाकर याची की सेवा संपादन का आंकलन 'औसत कर्मचारी' के रुप में किया गया और अंततः जब उसके and finally, when a complaint is received against him with regard to his integrity, the impugned action is taken – Petitioner is also rated as an 'average worker', – Adverse communications to petitioner throughout his service record – Petitioner was reverted on one occasion and on two occasions his promotions were deferred because of certain adverse material against him – Finally, there was complaint with regard to integrity – Held – It is a case where a Judicial Officer, holding the post of ADJ, is compulsorily retired on the basis of his entire service record and in the absence of any malafide or arbitrariness being established from the material available on record, no interference is warranted. [Shankar Prasad Gupta Vs. State of M.P.]

Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act (20 of 1957), Section 14(8), 20, Civil Procedure Code (5 of 1908), Order 7 Rule 11—Powers of Tribunal—All Powers of Civil Court under C.P.C. are not exercisable by Tribunal—Tribunal does not possess power under Order 7 Rule 11 C.P.C.—Tribunal can not reject the claim at threshold on any of the grounds mentioned therein or dismiss a case for default of appearance of a party. [Sulochani (Smt.) Vs. Smt. Jiwaraniya] ...972

Constitution – Article 14 & 16 – Interpretation of Statute – If a statute prescribes a mode of doing an act in particular manner that has to be done in that manner alone – Other modes of its performance are forbidden. [Ram Kumar Baishander Vs. State of M.P.] ...*65

Constitution — Article 226 — Alternative Remedy — Notices issued about 1-1/2 years back and interim order granted — Reply, rejoinder and various applications filed — Alternative remedy would not operate as a bar where the writ petition seeks enforcement of any of fundamental rights, where there is violation of principles of natural justice or where the order is wholly without jurisdiction or the vires of an Act is challenged. [Virendra Kumar Maheshwari (Dr.) Vs. State of M.P.]

Constitution – Article 226 – Escalation of price of house – Petitioner booked a MIG house with M.P. Housing Board under self financing scheme – Payments are made as per schedule – Increase in plinth area, cost enhanced (first time) – Again due to construction of retention wall cost enhanced (second time) – Again further enhancement – Held – Price escalation in present case does not suffer from arbitrary

विरुद्ध उसकी सत्यनिष्ठा के संबंध में शिकायत प्राप्त की गई, तब आक्षेपित कार्यवाही की गई — याची का मूल्यां कन भी 'औसत कर्मचारी' के रुप में किया गया — याची की आद्योपात सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल संप्रेक्षण — एक अवसर पर याची को पदावनत किया गया था और दो अवसरों पर उसकी पदोन्नतियां उसके विरुद्ध कितिपय प्रतिकूल सामग्री के कारण आस्थिगित की गई थी — अततः सत्यनिष्ठा के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी — अमिनिर्धारित — यह एक ऐसा प्रकरण है जहां एक न्यायिक अधिकारी जो एडीजे का पद धारण करता था, उसे उसके संपूर्ण सेवा अमिलेख के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया और अमिलेख पर उपलब्ध सामग्री से किसी असद्भाव या मनमानेपन की अनुपस्थित में, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। (शंकर प्रसाद गुप्ता वि. म.प्र. राज्य) (DB)...876

कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम (1957 का 20), धारा 14(8), 20, सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश 7 नियम 11 — अधिकरण की शक्तियां — सि.प्र.सं. के अंतर्गत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां अधिकरण द्वारा प्रयोज्य नहीं — अधिकरण के पास सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत शक्ति नहीं है — अधिकरण दावे को उसमें उल्लिखित किसी आधार पर आरम में ही अस्वीकार नहीं कर सकता या पक्षकार की अनुपस्थिति के व्यतिक्रम के लिए प्रकरण को खारिज नहीं किया जा सकता। (सुलोचनी (श्रीमति) वि. श्रीमति जीवारानिया)

संविधान — अनुच्छेद 14 व 16 — कानून का निर्वचन — यदि कानून किसी कार्य को करने की विशिष्ट पद्धति विहित करता है उसे केवल उसी पद्धति से किया जाना चाहिए — उसके संपादन की अन्य पद्धति पर रोक है। (राम कुमार बेसदेर वि. म.प. राज्य) ...*65

संविधान — अनुच्छेद 226 — वैकल्पिक उपचार — नोटिस करीब 1-1/2 वर्ष पूर्व जारी किये गये और अंतरिम आदेश प्रदान किया गया — उत्तर, प्रतिउत्तर एवं विभिन्न आवेदन पेश किये गये — विकल्प उपचार विबंध के रुप में प्रवर्तित नहीं होगा जब रिट याचिका किसी मूलमूत अधिकार को प्रमावी करना चाहती हो, जब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अविलंधन हुआ हो या जब आदेश पूर्णतः अधिकारिता विहीन है या किसी अधिनियम की शक्तिमत्ता को चुनौती दी गई है। (वीरेन्द्र कुमार माहेश्वरी (डॉ.) वि. म.प्र. राज्य)

संविधान — अनुच्छेद 226 — मकान की कीमत में बढ़ोत्तरी — याची ने म. प्र. हाऊसिंग बोर्ड का एम.आई.जी. मकान स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत बुक किया — परिशिष्ट के अनुसार भुगतान किया गया — कुर्सी क्षेत्रफल बढ़ा, कीमत बढ़ाई गई (प्रथम बार) — पुनः रोकथाम दीवार के निर्माण के कारण कीमत बढ़ाई गई (द्वितीय बार) — पुनः अतिरिक्त बढ़ोत्तरी — अभिनिर्धारित — वर्तमान प्रकरण में कीमत की बढ़ोत्तरी मनमानी कार्यवाही से ग्रसित नहीं — अभिनेख पर कोई सामग्री नहीं लायी

action – No material brought on record to doubt the assessment in respect of cost enhancement – Petition dismissed. [Sandipika Sharma Vs. M.P. Housing Board]*49

Constitution – Article 226 – Grant of dealership of retail out let —Selection of respondent No. 3 for grant of dealership and application of petitioner was rejected – HELD – Petitioners of their own have claimed the benefit of FDRS and knowing fully well that they were required to produce original FDR'S at the time of evaluation but failed to produce the same before competent committee of the respondent corporation – It can not be said respondent committed any wrong – Writ Petition dismissed. [Meena Singh (Smt.) Vs. The Indian Oil Corporation Ltd.]

Constitution – Article 226 – See – Service Law [Rajendra Jain Vs. State Bar Council of M.P.] ...1196

Constitution – Article 226 – Termination of Dealership of retail outlet – Sample drawn from outlet, petitioner failed RON Test – HELD – Only because there was a failure to successfully pass the RON Test, the dealership of the petitioner should not have been terminated – Petitioner should have been offered an opportunity to improve – Writ Petition Allowed. [Royale Highway Services (M/s.) Vs. Hindustan Petroleum Corporation Ltd.] ...*48

Constitution – Article 227 (2)(b) – See – High Court Superintendence Rules (M.P.), 1998 – Entry 9 & 10 of Schedule [Union of India Vs. Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur] (FB)...837

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 87, Negotiable Instruments Act (26 of 1881), Section 138 – Issuance of Arrest Warrant – Case under Section 138 Negotiable Instruments Act is decided summarily – Magistrate satisfied that accused is absconding the process of Court – Service is not possible in ordinary course – Magistrate have power to compel presence of accused by issuance of arrest warrant under Section 87 – Impugned order set aside – Petition allowed. [Madhu Gupta (Smt.) Vs. Veer K. Shrivastava] ...1097

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 133 – While exercising power so contemplated under Section 133 of Cr.P.C., the District Magistrate is bound to record a finding that the act so alleged

गयी जो बढ़ी हुई कीमतों के निर्धारण पर सदेह उत्पन्न करती हो – याचिका खारिज। (सदीपिका शर्मा वि. एम.पी. हाउसिंग बोर्ड)*49

संविधान — अनुच्छेद 226 — खुदरा दुकान की डीलरशिप का प्रदान करना
— डीलरशिप की मंजूरी के लिए प्रत्यर्थी क्र. 3 का चयन और याची का आवेदन
निरस्त — अमिनिर्धारित — याचीगण ने स्वयं एफडीआर के लाम के लिए दावा किया
और पूर्ण रुप से जानते थे कि मूल्यांकन के समय मूल एफ.डी.आर. को प्रस्तुत करने
की आवश्यकता होती है, किन्तु प्रत्यर्थी / कॉरपोरेशन की सक्षम समिति के समक्ष
प्रस्तुत करने में विफल रहे — यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी ने कुछ गलत
किया — रिट याचिका खारिज। (मीना सिंह (श्रीमित) वि. द इंडियन ऑइल कारपोरेशन
लि.)

संविधान - अनुच्छेद 226 - देखें - सेवा विधि (राजेन्द्र जैन वि. स्टेट बार कौंसिल ऑफ एम.पी.) ...1196

संविधान — अनुच्छेद 226 — खुदरा दुकान की डीलरशिप को समाप्त किया जाना — दुकान से नमूना लिया गया, याची आर.ओ.एन. जांच में विफल रहा — अमिनिर्धारित — केवल इसलिए कि याची ने आर.ओ.एन. जांच को सफलतापूर्वक पास नहीं किया याची की डीलरशिप को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था — याची को सुधार का एक अवसर देना चाहिए था — रिट याचिका मंजूर। (रॉयल हाईवे सर्विसेस् (मे.) वि. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.)

संविधान — अनुच्छेद 227(2)(बी) — देखे — उच्च न्यायालय अधीक्षण नियम (म.प्र.),1998 — अनुसूची की प्रविष्ठि 9 व 10 (यूनियन ऑफ इंडिया वि. रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ एम.पी., जबलपुर) (FB)...837

Ŷ.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 87, परक्राम्य लिखत अधिनियम (1881 का 26), घारा 138 - गिरफ्तारी वारट का जारी किया जाना — परक्राम्य लिखित अधिनियम की घारा 138 के अतर्गत प्रकरण संक्षिप्तः निर्णित किया गया — मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की गई कि अभियुक्त न्यायालयीन कार्यवाही से फरार है — सामान्य अनुक्रम में तामीली संमव नहीं — मजिस्ट्रेट को घारा 87 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारट जारी कर अभियुक्त की उपस्थित बाध्य करने की शक्ति है — आक्षेपित आदेश अपास्त — याचिका मंजूर। (मधू गुप्ता (श्रीमति) वि. वीर के. श्रीवास्तव)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 133 — द.प्र.स. की घारा 133 के अंतर्गत अनुघ्यात शक्ति का प्रयोग करते समय जिला मजिस्ट्रेट यह निष्कर्ष अमिलिखित करने के लिए बाघ्य है कि व्यवसाय संचालन के कारण से अमिकथित falls within the purview of public nuisance caused by performing the business and its removal is necessary. [Virendra Kumar Maheshwari (Dr.) Vs. State of M.P.] ...*50

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 133 & 138 – Public Nuisance – Procedure as per Section 138 of Cr.P.C. is required to be followed even for passing preliminary order – A show cause notice was issued to petitioner mentioning the grounds for closure of Nursing Home – However, no evidence was recorded by the Magistrate to prove the allegations so leveled against the petitioner affording opportunity of cross examination on prosecution witnesses and to lead evidence in defence – Preliminary as well as final order were passed without following the procedure laid down in Section 138 of Cr.P.C. – Petition allowed. [Virendra Kumar Maheshwari (Dr.) Vs. State of M.P.] ...*50

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 145 – Dispute as to immovable property – Parties have already gone before the Civil Court to resolve their dispute and they are in a position to get the appropriate order from the Civil Court like interim injunction or some other order – Proceedings initiated under Section 145 of Cr.P.C. could not be permitted to be continued and same deserves to be dropped with a direction to the parties to approach the Civil Court with appropriate proceeding. [Ramesh Das Tyagi Vs. Babulal] ...1045

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 154 – See – Evidence Act 1872, Section 3 [Vrijlal Ghosi Vs. State of M.P.]
(DB)... 1351

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 154 – See – Evidence Act 1872, Section 25 [Premdas Ahirwar Vs. State of M.P.]
(DB)...1381

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 194, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (33 of 1989), Section 3(1)(x) – Cognizance of offence by Court of Session – Charge sheet filed directly before Special Court – Objection relating to non-compliance of Section 193 of Code, which eventually resulted in directly entertaining and taking cognizance by Special Judge under Act, 1989 does not vitiate the trial and conviction can not be set aside and there can not be a direction of retrial in as much as no failure of

कृत्य लोक न्यूसेंस की परिधि में आता है और उसे हटाया जाना आवश्यक है। (वीरेन्द्र कुमार माहेश्वरी (डॉ.) वि. म.प्र. राज्य)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धाराएँ 133 व 138 — लोक न्यूसेंस — प्रारंभिक आदेश पारित किये जाने के लिये भी द प्र.स. की धारा 138 के अनुसार प्रक्रिया का अनुपालन करना अपेक्षित है — याची को नर्सिंग होम को बंद करने के आधारा को उल्लिखित करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया — किन्तु याची के विरुद्ध लगाये गये आरोप साबित करने के लिये एवं अभियोजन साक्षियों को प्रतिपरीक्षण का अवसर देने तथा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा कोई साक्ष्य अमिलिखित नहीं की गई — प्रारंभिक तथा अतिम आदेश द प्र.सं. की धारा 138 में दी गई प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किये गये — याचिका मजूर। (वीरेन्द्र कुमार माहेश्वरी (डॉ.) वि. म.प्र. राज्य) ...*50

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 145 — अचल सम्पत्ति का विवाद — पक्षकार पहले ही अपने विवाद को सुलझाने के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष गये हैं और वे सिविल न्यायालय से उचित आदेश पाने की स्थिति में हैं जैसे कि अंतरिम व्यादेश या कोई अन्य आदेश — द.प्र.स. की घारा 145 के अंतर्गत आरम की गई कार्यवाहियों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा उसे समाप्त करना होगा पक्षकारों को इस निदेश के साथ कि उचित कार्यवाही हेतु सिविल न्यायालय के समक्ष जायें। (रमेश दास त्यागी वि. बाबूलाल) ...1045

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 154 – देखें – साक्ष्य अधिनियम, 1872, घारा 3 (बजलाल घोसी वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1351

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 154 – देखें – साक्ष्य अधिनियम, 1872, घारा 25 (प्रेमदास अहिरवार वि. म.प. राज्य) (DB)...1381

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 194, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989 का 33), घारा 3(1)(x) — सन्न न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान — आरोप पत्र सीघे विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत — संहिता की घारा 193 के अननुपालन के संबंध में आक्षेप, अंततः जिसके परिणामस्वरुप अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश द्वारा सीघे प्रहण किये जाने और संज्ञान लिये जाने से विचारण को दूषित नहीं करता और दोषसिद्धि अपास्त नहीं की जा सकती तथा पुनःविचारण के लिये निदेशित नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायहानि न हो या अभियुक्त को प्रतिकूल प्रभाव कारित न हो।

justice or no prejudice caused to the accused. [Rattiram Vs. State of M.P.] (SC)...*47

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 195 & 340 - Press and Registration of Books Act, (25 of 1867), Section 8-B - Jurisdiction under - A Magistrate while discharging his function under part II of the PRB Act which is executive in nature has no power to take cognizance of offence under Section 195 and entertain an application under Section 340 of Cr.P.C. in a course of proceedings under Section 8-B of P.R.B. Act. [Ajay Jha Vs. Late Shri Bisambhar Dayal Agrawal]

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 203, 197(3) & 482 — Inherent powers of High Court — Direction to issue process — Complaint filed impleading 7 persons as accused — The Magistrate proceeded to ascertain whether sufficient grounds for initiating action against the respondents for all the offences, existed — The question was answered in the negative for the reasons as recorded in order sheet — Addl. Sessions Judge affirmed the order of Magistrate — The scope of interference under Section 482 of the Code, with a revisional order is limited in view of the rider placed by sub-Section (3) of Section 397 of the Code — Held — High Court may correct any mistake committed by the revisional Court only where, on examination of the record, it finds that there is grave miscarriage of justice or abuse of the process of the Court or the required statutory procedure has not been complied with or there is failure of justice — No such case is made out—Petition dismissed. [Annu @ Anil Vs. Rajesh] ...1460

5

7

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 211 & 240 – Framing of Charge – Framing of Charge is an important step in the process of trial as it informs the accused of the exact provision of law which the accused violated by describing the allegations in a precise and concise manner – If charge is in-accurately framed, then serious adverse consequences may ensue to either the prosecution or the accused who are unable to initiate conduct and conclude the trial in absence of the defined parameter of the exact offence/offences for which the trial is being held. [Rakesh Kumar Dhingra Vs. M.P. Pollution Control Board]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घाराएँ 195 व 340 — प्रेस और पुस्तक रिजस्ट्रीकरण अधिनियम (1867 का 25), घारा 8बी — के अंतर्गत अधिकारिता — मिजस्ट्रेट जब प्रेस और पुस्तक रिजस्ट्रीकरण अधिनियम के माग II के अंतर्गत अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है जो कि कार्यपालिक स्वरुप का है, तब उसे घारा 195 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने की एवं प्रेस और पुस्तक रिजस्ट्रीकरण अधिनियम की घारा 8बी के अंतर्गत कार्यवाहियों के दौरान, दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा 340 के अंतर्गत आवेदन ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। (अजय ज्ञा वि. स्व. श्री विशम्मर दयाल अग्रवाल)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धाराएँ 203,197(3) व 482 — उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ — प्रोसेस जारी करने के लिए निदेश — व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में आरोपित करते हुए शिकायत प्रस्तुत की गई — मिजस्ट्रेट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की कि क्या प्रत्यर्थींगण के विरुद्ध सभी अपराध के लिए कार्यवाही आरंभ करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं — प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया गया जिसके, आदेश पत्र में कारण अभिलेखित किये गये हैं — अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मिजस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि की — संहिता की धारा 397 की उप धारा (3) द्वारा लगाई गई शर्त को दृष्टिगत रखते हुए संहिता की धारा 482 के अतर्गत पुनरीक्षण आदेश में हस्तक्षेप की व्याप्ति सीमित है — अभिनिर्धारित — उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा कारित किसी गलती को केवल तब सुधार सकता है जब अभिलेख के परीक्षण उपरांत वह पाता है कि न्याय की घोर हानी हुई है या न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है या आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है या न्याय नहीं हुआ है — ऐसा कोई मामला नहीं बनता — याचिका खारिज। (अन्तू उर्फ अनिल वि. राजेश)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घाराएँ 211 व 240 — आरोप विरचित किये जाना — आरोप विरचित किये जाना विचारण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है क्यों कि यह अभियुक्त को अभिकथनों का ठीक--ठीक व संक्षिप्त विवरण देकर विधि के सही उपबंधों से अवगत कराता है जिसका अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया गया है — यदि आरोप त्रुटिपूर्ण रूप से विरचित किया गया तब, विचारण किये जा रहे किसी यथार्थ अपराध/अपराधों के परिमाषित पैरामीटर की अनुपरिथति में अभियोजन या अभियुक्त विचारण आरंम करने, संचालित करने एवं समाप्त करने के लिये अक्षम है, उन्हें गंभीर प्रतिकृत प्रमाव कारित हो, सकता है। (राकेश कुमार दींगरा वि. एम.पी. पोल्यूशन कन्द्रोल बोर्ड)1493

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 222, Penal Code (45 of 1860), Section 307 – Complainant after taking meal was taking rest in Police Station – Applicants with Katarna, Ballam, Sticks, due to earlier enmities in furtherance of common object started violence – Held – Unless any injury falls under any category of either part of Section 300 of IPC, no charge under Section 307 can be framed – In MLC and X ray report no injury was found to be sufficient to cause death in ordinary course of nature – Offence under Section 307 not made out – Section 332, IPC minor offence hence offence under Section 333/149 made out – Revision allowed in part. [Roop Singh Vs. State of M.P.]

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 222, Penal Code (45 of 1860), Sections 307, 326 — Framing of Charge — If any injury falls under any category of the either part of Section 300 of IPC, charge under Section 307 can be framed — In MLC report and X ray report fracture in Occipital region found — The occipital region is vital part of the body, any fracture sustained in such part is sufficient to cause death in ordinary course of the nature — If victim survives then charge of Section 307 of IPC ought to have been framed — Trial Court directed to frame charge under Section 307 of IPC. [Ram Krishna Vs. Prabhu Baiga]

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 226, 227, Penal Code (45 of 1860), Section 306 – Abetment to commit suicide — Deceased in suicide note alleged that his pay was not being paid and has been denied promotion although his juniours have been promoted—Contents of suicide note also corroborated by witness 'C' - merely because applicant has taken over charge of Head Master only one month before the death of deceased would not be a good ground to discharge - Revision dismissed. [Naval Kishore Sharma Vs. State of M.P.]

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 227, Penal Code (45 of 1860), Section 307 or 325—Attempt to murder or Grievous hurt—The complainant's husband gave money to applicant for providing hut—As no hut was given therefore the complainant and her husband were beaten as they were demanding their money back—Held—Doctor has opined that nature of injuries are simple—No injury sufficient to

दण्ड प्रक्रिया संहितां, 1973 (1974 का 2), धारा 222, दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 307 — आवेदक मोजन करने के पश्चात पुलिस स्टेशन में विश्राम कर रहा था — आवेदकगण ने पूर्व शत्रुता के कारण कतरना, बल्लम, डंडों से सामान्य उद्धेश्य के अनुक्रम में हिंसा की — अभिनिर्धारित — जब तक मा.द.स. की धारा 300 के किसी वर्ग के अतर्गत चोट नहीं आती धारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित नहीं किये जा सकते — एम.एल.सी. और एक्स रे रिपोर्ट में कोई चोट नहीं पाई गई जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हो — धारा 307 के अंतर्गत अपराध निर्मित नहीं होता — मा.द.स. की धारा 332 के अंतर्गत छोटे अपराध आते हैं, इसलिए धारा 333/149 के अंतर्गत अपराध निर्मित होता है — पुनरीक्षण अंशतः मंजूर। (रूप सिंह वि. म.प्र. राज्य) ...1048

दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 222, दण्ड सहिता (1860 का 45), घाराएँ 307, 326 — आरोप विरचित किये जाना — यदि कोई चोट मा.दं. सं. की घारा 300 के किसी प्रवर्ग के अंतर्गत आती है तो घारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित किया जा सकता है — एम.एल.सी. रिपोर्ट और एक्स रे रिपोर्ट में ऑक्सीपिटल मांग (खोपड़ी का पिछला हिस्सा) में अस्थि मंग पाया गया — ऑक्सीपिटल मांग शरीर का महत्वपूर्ण मांग है, उक्त अंग में किसी अस्थि मंग का होना, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त है — यदि पीड़ित जीवित है, तो मा.दं.सं. की घारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाना चाहिए था — विचारण न्यायालय को मा.दं.सं. की घारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित करने के लिये निदेशित किया गया। (राम कृष्ण वि. प्रमू बैगा)*45

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धाराएँ 226, 227, दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 306 — आत्महत्या का दुष्प्रेरण — मृतक ने आत्महत्या की विद्वी में अभिकथित किया कि उसके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था और पदोन्नित से इंकार कर दिया गया यद्यपि उसके किनष्टों को पदोन्नत किया गया — साक्षी 'सी' ने भी आत्महत्या की चिट्ठी की विषयवस्तु पुष्टि की है — केवल इसलिये कि याची ने मृतक की मृत्यु से केवल एक माह पूर्व हैंड मास्टर का कार्यमार ग्रहण कर लिया है उसे आरोप मुक्त करने का अच्छा आधार नहीं होगा — रिवीजन खारिज। (नवल किशोर शर्मा वि. म.प. राज्य)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धारा 227, दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 307 या 325 — हत्या या धोर उपहित पहुंचाने का प्रयत्न करना — शिकायतकर्ता के पित ने आवेदक को झोपड़ी प्रदान करने के लिये पैसे दिये — चूिक कोई झोपड़ी प्रदाय नहीं की गयी, इसलिये शिकायतकर्ता और उसके पित को पीटा गया क्यों कि वे अपने पैसे वापिस मांग रहे थे — अमिनिर्धारित — चिकित्सक की राय में चोटे साधारण प्रकृति की हैं — प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्य कारित

cause death in ordinary course of nature found – No charge under Section 307 can be framed – Trial Court directed to frame charge under Sections 325, 323 of I.P.C. [Gulab Vs. State of M.P.] ...1055

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 227 – See – Penal Code 1860, Section 307 [Indar Singh Vs. State of M.P.] ...1451

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 227 & 228, Evidence Act (1 of 1872), Section 27 – Disclosure Statement – Implication of accused solely on the disclosure statement of co-accused recorded under Section 27 of Act, 1872 is unsustainable. [Raghu Thakur Vs. State of M.P.]

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 227 & 228 – Framing of Charges – Veracity of witnesses can not be considered at the time of framing charges – However, evidence produced should be considered to evaluate that the charges relating to that crime may be framed or not. [Anil alias Noni Panda Vs. State of M.P.] ...1081

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 294 – Admission of document by Counsel – Certificate of document regarding period of admission of injured in hospital not proved by any witness – Said document was exhibited on the admission of the counsel for the appellant – No inference can be drawn on the admission of the counsel for the appellant – Indeed such document is inadmissible. [Shivraj Sahu Vs. State of M.P.]

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 300 – See – Prevention of Corruption Act, 1988, Section 13(1)(d)(e) [B.K. Sahoo (Dr.) Vs. Central Bureau of Investigation] (DB)...1077

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 320, Penal Code (45 of 1860), Section 498-A – Compounding – Order of conviction can not be quashed in exercise of power under Section 482 – However, factum of compromise can be taken into account while determining the quantum of sentences. [Chanda Bai (Smt.) Vs. State of M.P.] ...1469

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 320 – See – Penal Code 1860, Section 307 [Anil Kumar Vs. State of M.P.]

3

करने के लिये कोई चोट नहीं पाई गई — घारा 307 के अंतर्गत कोई अपराध विरचित'नहीं किया जा सकता — विचारण न्यायालय को मा.द.सं. की घारा 325, 323 के अंतर्गत आरोप विरचित करने के लिये निर्देशित किया गया। (गुलाब वि. म.प. राज्य)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 227 – देखें – दण्ड संहिता, 1860, धारा 307 (इन्दर सिंह वि. म.प्र. राज्य) ...1451

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घाराएँ 227 व 228, साक्ष्य जम (1872 का 1), घारा 27 — प्रकटन कथन — अभियुक्त की संलिप्तता 1872 के अधिनियम की घारा 27 के अंतर्गत सह अभियुक्त के प्रकटन कथन के अभिलिखित किये जाने मात्र से कायम रखे जाने योग्य नहीं है। (रघु ठाकुर वि. म.प्र. राज्य) ...1447

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धाराएँ 227 व 228 — आरोप विरिचत किये जाना — आरोप विरिचत करते समय साक्षियों की सत्यता को विचार में नहीं लिया जा सकता — किन्तु प्रस्तुत की मई साक्ष्य को इस बात का मूल्यांकन करने के लिये विचार में लिया जाना चाहिए कि अपराध से संबंधित आरोपों को विरिचत किया जा सकता है अथवा नहीं। (अनिल उर्फ नोनी पंडा वि. म.प. राज्य)1081

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 294 — अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज को स्वीकार करना — आहत के अस्पताल में भर्ती की अवधि के संबंध में दस्तावेज का प्रमाण पत्र किसी साक्षी द्वारा साबित नहीं किया गया — अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त दस्तावेज को स्वीकार करने पर प्रदर्शित किया गया — अपीलार्थी के अधिवक्ता की स्वीकृति पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता — वस्तुतः उक्त दस्तावेज अग्राह्य है। (शिवराज साहू वि. म.प्र. राज्य) ...*71

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धारा 300 – देखें – मृष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धारा 13(1)(डी)(ई) (बी.के. साहू (डॉ.) वि. सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिंगेशन) (DB)...1077

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 320, दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 498-ए - रामन करना - घारा 482 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में दोषसिद्धि के आदेश को अभिखंडित नहीं किया जा सकता- किन्तु, समझौते के तथ्य को दण्डादेश की मात्रा का निर्धारण करते समय विचार में लिया जा सकता है। (चन्दा बाई (श्रीमति) वि. म.प. राज्य) ...1469

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 को 2), धारो 320 - देखें - दण्ड संहिता, 1860, धारो 307 (अनिल कुमार वि. म.प्र. राज्य) Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 321 – Withdrawal from prosecution – Counter case – Application for withdrawal from prosecution of one party allowed – Held – In trial of cross cases, it is imperative on the part of trial court to reach to the conclusion that out of two parties who was the aggressor in the incident and thereafter dispose the cases on merit – Compelling one of the two parties to face trial and give benefit to another party while withdrawing the cases pending against him can not be said to be in public interest – Criminal case restored – Analogous trial of both cases ordered. [Brijpal Singh Vs. Pramod Kumar]

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 323 – Committal – Cross cases arising out of the same incident – One trial has commenced before the Court of Judicial Magistrate and another trial after committal has commenced before the Sessions Court – Held – It would be desirable for the trial Magistrate to commit the case pending before him to the Court of Sessions to be tried by the same court alongwith cross case – However, the judgments shall be delivered separately on merits of each case by the Court. [Avneesh Vs. State of M.P.]

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 360 & 361 – Probation – If a person fulfills the requirement of the section, the competent Court is under a legal and mandatory obligation to consider his case in the touch stone of the provisions for the purpose of granting him benefit of probation. [Balbeer Singh Vs. State of M.P.] ...1068

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 360 & 361 – Probation – No material on record which shows that petitioner was previously convicted –The age of petitioner is above 21 years – Held – Petitioner was eligible for consideration by the Court for the purpose of grant of benefit of probation. [Balbeer Singh Vs. State of M.P.] ...1068

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 376 – See – Forest Act 1927, Section 33(1)(d) [State of M.P. Vs. Nand Kishore] ...1296

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 397 & 401, High Court Rules, M.P. 2008, Rule 48 – Declaration as to custody – Unless Criminal Revision contains declaration that convicted person

वण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धारा 321 — अभियोजन को वापस लेना — प्रति दावा — अभियोजन वापस लेने के लिए एक पक्षकार का आवेदन मंजूर किया गया — अभिनिर्धारित — प्रति प्रकरण के विचारण में, विचारण न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों में कौन घटना में आक्रामक था और तत्पश्चात प्रकरण का गुण—दोषों पर निपटारा करे — दो पक्षकारों में से एक को विचारण का सामना करने के लिये विवश करना और अन्य पक्षकार को उसके विरुद्ध लंबित मामले को वापस लेकर लाम देना लोक हित में नहीं माना जा सकता — आपराधिक प्रकरण पुनःस्थापित — दोनों प्रकरणों में सदृश्य विचारण के लिए आदेशित। (वृजपाल सिंह वि. प्रमोद कुमार) ...1092

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धारा 323 — उपार्पण — एक ही घटना से प्रतिप्रकरण उत्पन्न हुए — एक विचारण प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष आरंभ हो चुका है और अन्य विचारण उपार्पण पश्चात् सेशन्स न्यायालय के समक्ष आरंभ हुआ — अभिनिर्धारित — विचारण मजिस्ट्रेट के लिए उसके समक्ष लंबित प्रकरण सेशन्स न्यायालय के समक्ष उसी के साथ प्रतिप्रकरण उसी न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने हेतु उपार्पित करना वांछनीय होगा — किन्तु, न्यायालय द्वारा प्रत्येक प्रकरण के गुण दोषों पर पृथक निर्णय दिया जाएगा। (अवनीश वि. म.प्र. राज्य)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धाराएँ 360 व 361 - परिवीक्षा - यदि व्यक्ति धारा की अपेक्षाओं को पूरा करता है, सक्षम न्यायालय उसे परिवीक्षा का लाम प्रदान करने के लिए उपबंधों की कसौटी पर उसके प्रकरण का विचार करने के लिए विधिक एवं आञ्चापक बाध्यता के अधीन है। (बलबीर सिंह वि. म.प्र. राज्य) :...1068

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धाराएँ 360 व 361 — परिवीक्षा — अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं जो दर्शाती हो कि याची को पूर्व में दोषसिद्ध किया गया था — याची की आयु 21 वर्ष से ऊपर — अभिनिर्धारित — याची परिवीक्षा का लाम प्रदान किये जाने हेतु न्यायालय द्वारा विचार किये जाने योग्य था। (बलबीर सिंह वि. म.प. राज्य)

ं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 376 — देखें — वन अधिनियम, 1927, घारा 33(1)(डी) (म.प्र. राज्य वि. नन्दिकशो): ं1296

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घाराएँ 397 व 401, उच्च न्यायालय नियम, म.प्र. 2008, नियम 48 — अभिरक्षा के संबंध में घोषणा — जब तक आपराधिक पुनरीक्षण में यह घोषणा अंतर्विष्ट नहीं होती कि दोषी व्यक्ति या तो is in custody or has surrendered after conviction, criminal revision is not tenable. [Deepak Sahu Vs. State of M.P.]1441

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Sections 438 & 439

- Bail Application - Directly before High Court - Approaching High
Court without first approaching Sessions Court/Trial Court is
permissible - However, entertainment of bail applications directly filed
in High Court is permissible subject to the applicant's satisfying
existence of special extraordinary convincing reasons. [Chhote Khan
Vs. State of M.P.]

Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 482 – Inherent Powers — Exercise of the inherent power to quash the proceeding instituted on complaint is called for only where the complaint does not disclose any offence or is frivolous, vexatious or oppressive — While considering whether allegations in the complaint and the initial deposition and the documents relied upon by the complainant prima facie establish the offence alleged, the Court is not bound to accept allegations which are even opposed to common sense and broad probabilities. [LML Limited Vs. Shri Kailash Narain Rai] ...1471

Development Authority Services (Officers and Servants)
Recruitment Rules, M.P. 1987 – Schedule II & III – Qualification for promotion – Schedule II prescribes educational qualification only in case of direct recruitment whereas Schedule III deals with promotion – The educational qualification mentioned for direct recruitment can not be made applicable for promotion unless the same is specifically mentioned in Schedule III. [Ram Kumar Baishander Vs. State of M.P.] ...*65

Educational Services (Collegiate Branch) Recruitment Rule, M.P. 1967 – Rule 13(5) – Educational Services (Collegiate Branch) Recruitment Rule, M.P. 1990 – Rule 15 – 'Regular appointment' – Induction of the petitioners into the service after following the procedure contemplated under Rule 13(5) of the Rules 1967 or Rule 15 of the Rules of 1990 is a regular appointment to the service and such an appointment qualifies the employee to be considered for grant of senior pay scale – A regular appointment will not only mean a regular appointment in accordance to Rules 12 of the Rules of 1967 and 1990, but would also include an appointment in accordance to any of the methods contemplated under the Rules – Even an emergency

अभिरक्षा में है या उसने दोषसिद्धि के पश्चात स्वयं को अभ्यापित कर दिया है. आपराधिक पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। (दीपक साहू वि. म.प्र. राज्य) ...1441

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घाराएँ 438 व 439 — जमानत आवेदन — सीघे उच्च न्यायालय के समक्ष — पहले सत्र न्यायालय/विचारण न्यायालय के समक्ष जाये बिना उच्च न्यायालय के समक्ष आना अनुझेय हैं — तथापि, सीघे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत जमानत आवेदन को ग्रहण करना, आवेदक द्वारा विशेष असामान्य विश्वासयोग्य कारणों के अस्तित्वमान होने की संतुष्टि के अध्याधीन है। (छोटे खान वि. मं.प्र. राज्य)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2); घारा 482 — अंतर्निहित शक्तियां — शिकायत पर से संस्थित कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता केवल तब होती है जब शिकायत कोई अपराध प्रकट नहीं करती या ओछी है, तग करने वाली या दमनकारी है — यह विचार करते समय कि क्या शिकायत के अभिकथन एवं आरंभिक कथन तथा शिकायतकर्ता द्वारा जिन दस्तावेजों पर विश्वास किया गया प्रथम दृष्ट्या अभिकथित अपराध स्थापित होता है या नहीं, न्यायालय ऐसे अभिकथनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है जो सहज बुद्धि एवं विस्तृत समावनाओं के भी विरुद्ध हैं। (एलएमएल लि. वि. श्री कैलाश नारायण राय) ...1471

विकास प्राधिकारी सेवा (अधिकारी और सेवक) मर्ती नियम, म.प्र. 1987 — अनुसूची II व III — पदोन्नित के लिए अर्हता — अनुसूची III केवल सीधी मर्ती के मामले में शैक्षणिक अर्हता विहित करती है जबिक अनुसूची III पदोन्नित से संबंधित है — सीधी मर्ती हेतु उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता पदोन्नित के लिए उपयोज्य नहीं की जा सकती जब तक कि उसे अनुसची III में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया जाता। (राम कुमार बेसंदेर वि. म.प्र. राज्य) ...*65

शैक्षणिक सेवा (कॉलेजियट शाखा), भर्ती नियम, म.प्र. 1967 — नियम 13(5)
— शैक्षणिक सेवा (कॉलेजियट शाखा), भर्ती नियम, म.प्र. 1990 — नियम 15 —
नियमित नियंक्ति — नियम 1967 के नियम 13 (5) या नियम 1990 के नियम 15 के अंतर्गत अनुध्यात प्रकिया का पालन करने के पश्चात् याची को सेवा में लिया जाना सेवा में नियमित नियुक्ति है तथा ऐसी नियुक्ति कर्मचारी को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये जाने के लिए विचार किये जाने की योग्यता प्रदान करती है — नियमित नियुक्ति का अर्थ केवल 1967 व 1990 के नियम 12 के अनुसार नियमित नियुक्ति नहीं होगा बल्कि नियमों के अंतर्गत अनुज्ञात किसी भी पद्धित के अनुसार नियक्ति सम्मिलत है — नियम 1967 के नियम 13 (5) व नियम 1990 के नियम 15 के उपबंधां के अनुसार आकरिमक नियुक्ति भी नियमित नियुक्ति है, वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किये

appointment in accordance to the provisions of Rule 13(5) of the Rules of 1967 and Rule 15 of the Rule 1990 would be a regular appointment for the purpose of grant of senior pay scale. [Ramesh Chandra Dixit (Dr.) Vs. State of M.P.] ...*68

Educational Services (Collegiate Branch) Recruitment Rule, M.P. 1967 – Rule 13(5) – Grant of senior pay scale and selection grade – Petitioners, who are appointed in the Higher Education Department of the State of Madhya Pradesh in the year 1986, 1987 and 1989 under Rule 13(5) of the M.P. Educational Services (Collegiate Branch Recruitment Rules 1967 claim grant of senior pay scale and selection grade in accordance to the provision of the Schemes and Circulars issued by the University Grants Commission and as adopted by the State of Madhya Pradesh and incorporated in the M.P. Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990 – Held – The petitioners are entitled to the benefit – Writ Petitions allowed. [Ramesh Chandra Dixit (Dr.) Vs. State of M.P.]

Educational Services (Collegiate Branch) Recruitment Rule, M.P. 1990 – Rule 15 – See – Educational Services (Collegiate Branch) Recruitment Rule, M.P. 1967 – Rule 13(5) [Ramesh Chandra Dixit (Dr.) Vs. State of M.P.]

Evidence Act (1 of 1872), Section 3 – Appreciation of Evidence – Circumstantial Evidence – If any criminal Court comes to the conclusion that ocular evidence is not believable, then the remaining evidence can not be left unconsidered – It is the duty of the Criminal Court to assess the remaining circumstantial evidence so as to ascertain whether chain of circumstantial evidence is complete and accused may or may not be held guilty on the basis of such evidence. [Vrijlal Ghosi Vs. State of M.P.]

Evidence Act (1 of 1872), Section 3, Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 154 – F.I.R. – Witness, who lodged the F.I.R. could not be examined before the trial Court – F.I.R. was not proved in a proper manner – Can not be read against accused – But being prosecution document it can be read in favour of the accused. [Vrijlal Ghosi Vs. State of M.P.]

Evidence Act (1 of 1872), Section 3 - Defence Witness - Status

जाने के प्रयोजन हेतु। (रमेश चन्द्र दीक्षित (डॉ.) वि. म.प्र. राज्य)

*65

शैक्षणिक सेवा (कॉलेजियट शाखा), मर्ती नियम, म.प्र. 1967 — नियम 13(5) — विश्व वेतनमान व प्रवरण श्रेणी प्रदान की जाना — याचीगण ने, जो म0प्र0 राज्य की उच्चतर शैक्षणिक विभागों में वर्ष 1986, 1987 व 1989 में म0प्र0 शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) मर्ती नियम 1967 के नियम 13 (5) के अंतर्गत नियुक्त हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई स्कीम व परिपत्रों के उपबंध के अनुसार और म0प्र0 राज्य द्वारा अगीकृत तथा म0प्र0 शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) मर्ती नियम 1990 में समाविष्ट है विरष्ठ वेतनमान व प्रवरण श्रेणी प्रदान किये जाने का दावा किया — अभिनिर्धारित — याचीगण लाम के हकदार — याचिका मंजूर। (रमेश चन्द्र दीक्षित (डॉ.) वि. म.प्र. राज्य)

शैक्षणिक सेवा (कॉलेजियट शाखा), भर्ती, नियम, म.प्र. 1990 - नियम 15 - देखें - शैक्षणिक सेवा (कॉलेजियट शाखा), भर्ती नियम, म.प्र. 1967 - नियम 13(5) (रमेश चन्द्र दीक्षित (डॉ.) वि. म.प्र. राज्य) ...*68

सास्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 3 — सास्य का मूल्याकन — परिस्थितिजन्य सास्य — यदि कोई दाण्डिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि चक्षू साक्ष्य विश्वसनीय नहीं तब शेष साक्ष्य बिना विचार किये नहीं छोड़ा जा सकता — दाण्डिक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि शेष परिस्थितीजन्य साक्ष्य का निर्धारण करे जिससे सुनिश्चित हो सके कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण है और ऐसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के दोषी अथवा निर्दोष होने की धारणा की जा सकती है। (बजलाल घोसी वि. म.प. राज्य)

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), घारा 3, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 154 — प्रथम सूचना रिपोर्ट — साक्षी जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, उसका परीक्षण विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं किया जा सका — प्रथम सूचना रिपोर्ट उचित दंग से साबित नहीं की गई — अभियुक्त के विरुद्ध पढ़ी नहीं जा सकती — परंतु अभियोजन दस्तावेज होने के नाते उसे अभियुक्त के पक्ष में पढ़ा जा सकता है। (बजलाल घोसी वि. म.प. राज्य) (DB)...1351

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 3 - बचाव साक्षी - स्थिति - बचाव साक्षी

- Status of defence witness is at par with that of prosecution witnesses and their testimony should not be thrown out merely on the basis that they have been examined by defence. [Ram Mohan Agrawal (Dead) Through L.Rs. Vs. State of M.P.] (DB)...*46

Evidence Act (1 of 1872), Section 3—Non-explanation of injuries of accused—Effect—Injuries found on the person of the appellant—Both the injuries sustained by the accused were not serious—It is not the defence of the appellant that the injuries were caused to him by the deceased—It can not be ruled out that the injuries found on the person of the appellant were caused by the appellant himself—Mere non-explanation of the injuries of the appellant by the prosecution may not affect the prosecution case. [Anil Sharma alias Anil Namdev Vs. State of M.P.]

Evidence Act (1 of 1872), Section 3, Penal Code (45 of 1860), Section 302 – Murder – Proof – No circumstance of last seen – No blood stained weapon or cloths were seized – Not seen with the deceased before or after the incident – Only motive is well established – Chain of circumstantial evidence is not complete – No final conclusion can be drawn that the deceased was killed or assaulted by the present appellants /accused – Appeal allowed. [Vrijlal Ghosi Vs. State of M.P.] (DB)...1351

Evidence Act (1 of 1872), Section 3, Penal Code (45 of 1860), Section 304 Part II—Eye Witness attributed the role of causing injury on the head of deceased by co-accused—However, in Court evidence he alleged that such injury was caused by appellant No.3—Held—Any material fact or circumstance which is projected by prosecution at the initial stage of the case is not proved in the same manner and some other thing contrary to such material fact comes in evidence, then such subsequent version could not be considered to hold conviction against the accused—Appellant No. 3 acquitted for charge under Section 304 Part II and convicted under Section 323/149 of I.P.C. [Sunder Lal Vs. State of M.P.]

Evidence Act (1 of 1872), Section 3 – See – Penal Code, 1860, Section 302 [Anil Sharma alias Anil Namdev Vs. State of M.P.]
(DB)...*53

की स्थिति अभियोजन साक्षियों के समान्तर है और उनकी परिसाक्ष्य को मात्र इस आध गर पर ठुकराया नहीं जाना चाहिए कि उनका परीक्षण बचाव पक्ष द्वारा किया गया। (राम मोहन अग्रवाल (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*46

साध्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 3 — अभियुक्त की चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना — प्रमाव — अपीलार्थी के शरीर पर चोटें पाई गई — अभियुक्त को आई दोनों चोटें गंभीर नहीं थी — यह अपीलार्थी का बचाव नहीं कि मृतिका द्वारा उसे चोटें कारित की गई थी — इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी के शरीर पर पाई गई चोटें स्वयं अपीलार्थी द्वारा कारित की गई थी — अभियोजन द्वारा अपीलार्थी की चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने मात्र से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं हो सकता। (अनिल शर्मा उर्फ अनिल नामदेव वि. म.प. राज्य)

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), घारा 3, दण्डं सहिता (1860 का 45), घारा 302 — हत्या — सबूत — अंतिम बार देखे जाने की कोई परिस्थिति नहीं — रक्त के दाग वाले किसी हथियार या कपड़ों को जब्त नहीं किया गया — मृतक के साथ घटना से पूर्व या पश्चात देखा नहीं गया — केवल उद्देश्य मिलमांति स्थापित — परिस्थितियों की शृंखला पूर्ण नहीं होती — कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृतक को उपस्थित अपीलार्थींगण / अमियुक्त द्वारा मारा या हमला किया नेया — अपील मंजूर। (इजलाल घोसी वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1351

सास्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 3, दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 304 माग II — प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अनुसार मृतक के सिर पर चोट सह—अमियुक्त द्वारा कारित की गई — किन्तु न्यायालीन साक्ष्य में उसने आरोप लगाया कि ऐसी क्षित अपीलार्थी क्रं. 3 द्वारा कारित की गई — अमिनिर्धारित — कोई महत्वपूर्ण तथ्य या परिस्थिति जिसे अमियोजन द्वारा प्रकरण के प्रारंभिक प्रक्रम पर प्रक्षेपित किया गया उसी प्रकार साबित नहीं की गई और कुछ अन्य बात ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य के विपरीत साक्ष्य में आती है, तब ऐसे पश्चातवर्ती कथन को अमियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के लिये विचार में नहीं लिया जा सकता — अपीलार्थी क्रं. 3 धारा 304 माग II के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त और मा.द.सं. की धारा 323/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया। (सुन्दर लाल वि. म.प्र. राज्य)

सास्य अधिनियम (1872 का 1), घारा 3 – देखें – दण्ड संहिता, 1860, घारा ,302 (अनिल शर्मा उर्फ अनिल नामदेव वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*53 Evidence Act (1 of 1872), Section 3 – Tape Recorded Version – No evidence that the voice recorded in the cassette of tape recorder is of appellant and complainant – The electronic evidence of demand of alleged bribe (through tape recorded version) can not be accepted. [Subhash Chandra Joshi Vs. State of M.P.] (DB)...*73

Evidence Act (1 of 1872), Sections 3 & 27 – Penal Code (45 of 1860), Section 302 – Murder – Seizure of blood stained article (axe) from accused – Chemical Examiner only opined about the presence of blood on the article – Held – Unless and until the chemical examiner opined about the presence of human blood on the article and that too belongs to the group of the deceased, no inference can be drawn that the appellant/accused caused the death of the deceased. [Premdas Ahirwar Vs. State of M.P.]

Evidence Act (1 of 1872), Sections 3 & 32 – Dying Declaration – Proof – Dying declaration recorded by Naib Tahsildar and Doctor certified it at the bottom – Doctor stating in court that the deceased was throughout conscious while giving her statement – Held – The trial Court was erroneous in disbelieving the Dying declaration on the ground that Doctor has not certified in the beginning and in the end. [Santosh Singh Vs. State of M.P.]

Evidence Act (1 of 1872), Section 25, Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 154 — Confessional Statement — Appellant/accused came to police station and made a confessional statement to Sub-Inspector, who recorded the F.I.R. — Held — This would be inadmissible against the accused. [Premdas Ahirwar Vs. State of M.P.] (DB)...1381

Evidence Act (1 of 1872), Section 27 – See – Criminal Procedure Code, 1973, Sections 227 & 228 [Raghu Thakur Vs. State of M.P.] ...1447

Evidence Act (1 of 1872), Section 32 – Dying Declaration – Dying declaration is a substantive piece of evidence and an order of conviction can be safely recorded. [Gudda Alias Sultan Singh Vs. State of M.P.] (DB)...*57

Evidence Act (1 of 1872), Section 32 – Dying Declaration – If Dying declaration is recorded in accordance with law, is reliable and gives a cogent and possible explanation of the occurrence of events – साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 3 — टेप रिकार्ड का संस्करण — कोई साक्ष्य नहीं कि टेप रिकार्डर की कैसेट में रिकार्ड की गई आवाज अपीलार्थी तथा शिकायतकर्ता की है — अभिकथित रिश्वत की मांग का इलेक्ट्रानिक साक्ष्य (टेप रिकार्ड संस्करण द्वारा) स्वीकार नहीं किया जा सकता। (सुमाष चन्द्र जोशी वि. म. प्र. राज्य)

साध्य अधिनियम (1872 का 1), धाराएँ 3 व 27 — दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 302 — हत्या — अभियुक्त से रक्त रंजित वस्तु (कुल्हाड़ी) की जप्ती — रसायनिक परीक्षक ने केवल वस्तु पर रक्त की उपस्थिति के बारे में मत दिया — अभिनिर्धारित — जब तक कि रसायनिक परीक्षक वस्तु पर मानव रक्त की उपस्थिति के बारे में मत नहीं देता और यह भी कि वह मृतक के रक्त समूह का भी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलार्थी / अभियुक्त ने मृतक की मृत्यु कारित की। (प्रेमदास अहिरवार वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1381

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), घाराएँ 3 व 32 — मृत्युकालिक कथन — सबूत — नायब तहसीलदार द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया और चिकित्सक ने नीचे उसे प्रमाणित किया — चिकित्सक ने न्यायालय में कथन किया कि मृतिका अपना कथन अमिलिखित किये जाने के दौरान पूरे समय होश में थी — अभिनिर्धारित — विचारण न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन पर इस आधार पर अविश्वास करने में मूल की कि चिकित्सक ने आरम में तथा अंत में उसे प्रमाणित नहीं किया है। (संतोष सिंह वि. म.प्र. राज्य)

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 25, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धारा 154 — संस्वीकृति कथन — अपीलार्थी /अभियुक्त थाने में आये और उपनिरीक्षक को संस्वीकृति कथन दिया जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की — अमिनिर्धारित — यह अभियुक्त के विरुद्ध अग्राह्य होगा। (प्रेमदास अहिरवार वि. म. प्र. राज्य) (DB)...1381

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), घारा 27 – देखे – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, घाराएँ 227 व 228 (रघु ठाकुर वि. म.प. राज्य) ...1447

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 32 - मृत्युकालिक कथन - मृत्युकालिक कथन एक मौलिक साक्ष्य है और दोषसिद्धि का आदेश सुरक्षित रूप से अमिलिखित किया जा सकता है। (गुड्डा उर्फ सुल्लतान सिंह वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*57

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), घारा 32 – मृत्युकालिक कथन – यदि मृत्युकालिक कथन विधिनुसार अमिलिखित किया गया है विश्वसनीय है और घटनाओं के घटित होने का प्रबल एवं साध्य स्पष्टीकरण देता है – मृत्युकालिक कथन पर Dying Declaration can certainly be relied upon by the Court and could form the sole piece of evidence resulting in conviction of accused – Admissibility of dying declaration is based on the principle that the sense of impending death produces in a man's mind, the same feeling as that the conscientious and virtuous man under oath. [Bhajju @ Karan Singh Vs. State of M.P.] (SC)...*42

Evidence Act (1 of 1872), Sections 45 & 46 – See – Medical Jurisprudence [Praveen Kumar Vs. State of M.P.] (DB)...1327

Evidence Act (1 of 1872), Section 90 – School Admission Register – Record more than 30 years old – Has more probative and evidenciary value in comparison to oral statement. [Rajendra Singh Saluja Vs. State of M.P.]

Evidence Act (1 of 1872), Section 114 – See – Accommodation Control Act, M.P., 1961, Section 12(1)(a) [Agrawal Medical Agencies (M/s.) Vs. Govind Prasad]942

Evidence Act (1 of 1872), Section 154 – Hostile Witness – Evidence of hostile witness can also be relied upon by the prosecution to the extent to which supports the prosecution version of incident. [Bhajju @ Karan Singh Vs. State of M.P.] (SC)...*42

Evidence Act (1 of 1872), Section 157 – Incident witnessed by mother of first informant who immediately informed her son on telephone – Son immediately reached on the spot and found his father dead – F.I.R. lodged by son is admissible in view of the provisions of Section 157 of the Act, 1872. [Chandrashekhar Vs. State of M.P.]

(DB)...1321

Executive Instructions – Statutory Rules can not be supplanted by Executive Instructions. [Mukesh Tiwari Vs. State of M.P.] ...937

Family Courts Act (66 of 1984), Sections 7, & 24 – Suit for return of Stridhan – Maintainability of suit against relatives of husband – Suit for return of stridhan filed against husband and in laws – Family Court has jurisdiction to consider the suit of the respondent in respect of return of stridhan and was not required to file two separate suits, i.e, one against her husband before Family Court and another before Ordinary Civil Court against her in-laws. [Om Prakash Tiwary Vs. Smt.

न्यायालय द्वारा निश्चित रुप से विश्वास किया जा सकता है और अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिये एकमात्र साक्ष्य का रुप ले सकता है – मृत्युकालिक कथन की ग्राहयता इस सिद्धांत पर आधारित है कि सन्निकट मृत्यु का बोध मनुष्य के मन में वैसी ही भावना उत्पन्न करता है जैसा कि शपथबद्ध, शुद्धमित एवं सदाचारी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है। (भज्जू उर्फ करन सिंह वि. म.प्र. राज्य) (SC)...*42

सास्य अधिनियम (1872 का 1), घाराएँ 45 व 46 – देखें – चिकित्सीय न्यायशास्त्र/विधिशास्त्र (प्रवीण कुमार वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1327

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 90 – शाला प्रवेश पंजी – अमिलेख 30 वर्ष से अधिक पुराना – इसका मौखिक कथन की तुलना में अधिक प्रमाणित एवं साक्ष्यिक मूल्य है। (राजेन्द्र सिंह सलूजा वि. म.प्र. राज्य) ...*44

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 114 – देखें – स्थान नियंत्रण अधिनियम, म.प्र., 1961, धारा 12(1)(ए) (अग्रवाल मेडिकल एजेंसीज (मे.) वि. गोविन्द प्रसाद) ... 942

साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1), धारा 154 — पक्षद्रोही साक्षी — पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य पर अभियोजन भी उस सीमा तक विश्वास कर सकता है जहां तक वह घटना की अभियोजन कहानी का समर्थन करता है। (भज्जू उर्फ करन सिंह वि. म.प्र. राज्य) (SC)...*42

सास्य अधिनियम (1872 का 1), घारा 157 — प्रथम सूचनाकर्ता की माँ ने घटना देखी, जिसने तुरत टेलीफोन पर अपने पुत्र को सूचित किया — पुत्र तुरत घटनास्थल पर पहुंचा और अपने पिता को मृत पाया — पुत्र द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. अधिनियम 1872 की घारा 157 के उपबंधों की दृष्टि में ग्राह्य है। (चन्द्रशेखर वि.म.प्र. राज्य)

कार्यपालिक अनुदेश - कानूनी नियमों को कार्यपालिक अनुदेशों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। (मुकेश तिवारी वि. म.प्र. राज्य) ...937

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम (1984 का 66), धाराएँ 7 व 24 — स्त्रीधन वापसी हेतु वाद — पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध वाद की पोषणीयता — पति एवं ससुरालवालों के विरुद्ध स्त्रीधन वापसी हेतु वाद — कुटुम्ब न्यायालय स्त्रीधन वापसी के सबंध में प्रत्यर्थी के दावे पर विचार करने की अधिकारिता प्राप्त है और दो पृथक वाद प्रस्तुत की जाना अपेक्षित नहीं था अर्थात एक अपने पति के विरुद्ध कुटुम्ब न्यायलय के समक्ष और दूसरा अपने ससुरालवालों के विरुद्ध साधारण सिविल Neetu Tiwary] (DB)...974

Family Courts Act (66 of 1984), Sections 7, 8 & 24—Suit for return of Stridhan—Suit for return of Stridhan without there being any relief as envisaged under Section 9,10 or 13 of Hindu Marriage Act is maintainable. [Om Prakash Tiwary Vs. Smt. Neetu Tiwary] (DB)...974

Food Stuffs Public Distribution Scheme (M.P.), 1991 – Clause 13, Public Distribution System (Control Order) (M.P.), 2009, – Fair price shop allotted to petitioner under Scheme, 1991 – The same was cancelled without following the procedure laid down in clause 13(5) as no enquiry was conducted and no report was called from Dy. Registrar/ Asst. Registrar Co-operative Society – In view of saving clause in scheme 2009, the shop would have continued even when the new scheme come into force – Order cancelling allotment quashed – Petition allowed. [Maharani Laxmi Bai Bahu Uddeshiya Sahkari Samiti Vs. State of M.P.]

Forest Act (16 of 1927), Section 19 – Right to appear – Limited right of engaging pleader is before Forest Settlement Officer, Appellate Authority and the Court – Authorized Officers under Section 52 is not an Authorized Settlement Officer – Advocate can not appear in confiscation proceedings. [Kuldeep Sharma Vs. State of M.P.] ...907

Forest Act (16 of 1927), Sections 19 & 72 – See – Advocate Act, 1961, Section 30 [Kuldeep Sharma Vs. State of M.P.]907

Forest Act (16 of 1927), Section 33(1)(d), Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 376 — Appeal against acquittal — If two views are possible and out of them, if view favourable to the accused has already been adopted by the trial court, then in routine manner by appreciation of the evidence the another view should not be replaced by the appellate court — Appeal Dismissed. [State of M.P. Vs. Nand Kishore]

Forest Act (16 of 1927), Section 52, Advocate Act (25 of 1961), Section 30 – Confiscation Proceedings – Act, 1927 is a complete Code in itself – No evidence is recorded, therefore, Section 30 of Act, 1961 has no application – Advocate can not appear in confiscation proceedings. [Kuldeep Sharma Vs. State of M.P.] ...907 न्यायालय के समक्ष । (ओम प्रकाश तिवारी वि. श्रीमति नीतू तिवारी) (DB)...974

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम (1984 का 66), घाराएँ 7, 8 व 24 — स्त्रीधन वापसी हेतु वाद — स्त्रीधन वापसी हेतु वाद, बिना किसी अनुतोष के जैसा कि हिन्दू विवाह अधिनियम की घारा 9, 10 या 13 के अंतर्गत अनुज्ञात है, पोषणीय है। (ओम प्रकाश तिवारी वि. श्रीमित नीतू तिवारी) (DB)...974

खाद्य पदार्थ लोक वितरण प्रणाली (म.प्र.), 1991 — खण्ड 13, लोक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश) (म.प्र.), 2009 — स्कीम, 1991 के अंतर्गत याची को उचित मूल्य की दुकान आवंदित की गई — खण्ड 13(5) में निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना उसे निरस्त किया गया क्योंकि कोई जांच नहीं की गई और डिप्टी रजिस्ट्रार/असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहकारी समिति से कोई रिपोर्ट नहीं बुलायी. गई — स्कीम 2009 में दिये गये व्यावृत्ती खण्ड को दृष्टिगत रखते हुए दुकान जारी रहती तब भी जब नई स्कीम प्रभावशील हो गई — आवटन निरस्ती का आदेश अमिखंडित — याचिका मंजूर। (महारानी लक्ष्मी बाई बहु उद्देशीय सहकारी समीति वि. म.प्र. राज्य)

वन अधिनियम (1927 का 16), धारा 19 — उपस्थित होने का अधिकार — वन समझौता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और न्यायालय के समक्ष प्लीडर / अधिवक्ता नियुक्त करने के अधिकार सीमित हैं — प्राधिकृत अधिकारी धारा 52 के अंतर्गत प्राधिकृत समझौता अधिकारी नहीं — अधिवक्ता जब्ती कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं हो सकता। (कुलदीप शर्मा वि. म.प्र. राज्य)

वन अधिनियम (1927 का 16), धाराएँ 19 व 72 – देखें – अधिवक्ता अधिनियम, 1961, धारा 30 (कुलदीप शर्मा वि. म.प्र. राज्य) ...907

वन अधिनियम (1927 का 16), धारा 33(1)(डी), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धारा 376 — दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील — यदि दो दृष्टिकोण समव है और उनमें से यदि विचारण न्यायालय द्वारा अमियुक्त के पक्ष के दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा चुका है तब अपीली न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन कर नैत्यिक ढंग से अन्य दृष्टिकोण प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए — अपील खारिज। (म.प. राज्य वि. नन्दिकशोर)

वन अधिनियम (1927 का 16), घारा 52, अधिवक्ता अधिनियम (1961 का 25), घारा 30 — जब्ती कार्यवाहियां — अधिनियम 1927 अपने आप में संपूर्ण सहिता. है — कोई साक्ष्य अभिलिखित नहीं की गई, इसलिए, अधिनियम 1961 की घारा 30 लागू नहीं होती — अधिवक्ता जब्ती कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं हो सकता। (कुलदीप शर्मा वि. म.प्र. राज्य)

Fundamental Rules – 54 (7), 54-A – No Work No Pay – Punishment of termination was set aside as excessive and minor penalty was imposed by SAT – Provisions of FR 54-A(3) will not be applicable but the period has to be regularized as per Rule 54-A(2) – Entire period cannot be treated on the principle of no work no pay – Although Petitioner is not entitled for full pay and allowance but his claim has to be settled in accordance with Rule 54(7) which is made applicable by virtue of provisions of Rule 54-A(2). [Bhagwandeen Choudhary Vs. State of M.P.]

General Clauses Act (10 of 1897), Section 6(e) – See – Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Adhiniyam, M.P. 2005, - Section 2(1) [State of M.P. Vs. Smt. Munni Bai] (DB)...847

General Clauses Act (10 of 1897), Section 27 – See – Accommodation Control Act, M.P., 1961, Section 12(1)(a) [Agrawal Medical Agencies (M/s.) Vs. Govind Prasad] ...942

High Court Rules, M.P. 2008 – Rule 48 – See – Criminal Procedure Code, 1973, Sections 397 & 401 [Deepak Sahu Vs. State of M.P.] ...1441

High Court Superintendence Rules (M.P.), 1998 – Entry 9 & 10 of Schedule, Constitution – Article 227 (2)(b) – Only Court word has been used in Article 227(2)(b) – Thus Article 227(2)(b) does not empower the High Court to make rules with regard to Tribunals – Rules 1998, so far it relates to Administrative Tribunal are ultra vires. [Union of India Vs. Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur]

(FB)...837

Was purchased from the funds of HUF in the name of Plaintiff No.1 — Defendant No.1 claimed the said property to be his self acquired property — Defendant No.1 merely stated that he was employed in Police Department — No mention in written statement that on which post he was appointed — No pleadings or evidence that what was his salary and whether he was fetching that much of salary so that within a short span of five years only, he could purchase the suit property — No receipt of money orders also filed—It can be gathered that by utilizing the funds of HUF, suit property was purchased—Appeal allowed. [Gopi Nath Vs. Shiv Prasad] ...*56

मूलमूत नियम — 54(7), 54-ए — काम नहीं तो वेतन नहीं — सेवा समाप्ति की शास्ति को अत्यधिक मानते हुए अपास्त किया गया और सेट द्वारा लघु शास्ति अधिरोपित की गई — मूल नियम 54ए(3) के उपबंध लागू नहीं हों में परन्तु नियम 54ए(2) के अनुसार अवधि को नियमित किया जाना चाहिये — संपूर्ण अवधि को काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर होना नहीं माना जा सकता — यद्यपि याची पूर्ण वेतन एवं मत्ते का हकदार नहीं किन्तु उसके दावे का निपटारा नियम 54(7) के अनुसार किया जाना चाहिए जो नियम 54ए(2) के उपबंधों के प्रभाव से लागू किया जाता है। (मगवानदीन चौधरी वि. म.प. राज्ये)869

साधारण खण्ड अधिनियम (1897 का 10), धारा 6(ई) — देखें — जञ्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, म.प्र., 2005, धारा 2(1) (म.प्र. राज्य वि. श्रीमति मुन्नीबाई) (DB)...847

साधारण खण्ड अधिनियम (1897 का 10), धारा 27 – देखें – स्थान नियंत्रण अधिनियम, म.प्र., 1961, धारा 12(1)(ए) (अग्रवाल मेडिकल एजेंसीज (मे.) वि. गोविन्द प्रसाद)

उच्च न्यायालय नियम, म.प्र. 2008, नियम 48 – देखें – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, घाराएँ 397 व 401 (दीपक साहू वि. म.प्र. राज्य) ...1441

उच्च न्यायालय अधीक्षण नियम (म.प्र.), 1998 — अनुसूची की प्रविष्ठि 9 व 10, संविधान — अनुच्छेद 227(2)(बी) — अनुच्छेद 227 (2)(बी) में केवल न्यायालय शब्द का प्रयोग किया गया है — इस प्रकार अनुच्छेद 227(2)(बी) उच्च न्यायालयों को अधिकरणों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता — नियम 1998 जहां तक प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है अधिकारातीत है। (यूनियन ऑफ इंडिया वि. रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ एम.पी., जबलपुर) (FB)...837

हिन्दू विधि — संयुक्त सम्पत्ति — वादीगण का अभिवचन कि सम्पत्ति का क्रय हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की निधि से वादी क्र. 1 के नाम से किया गया था — प्रतिवादी क्र. 1 ने उक्त सम्पत्ति स्वयं अर्जित सम्पत्ति होने का दावा किया — प्रतिवादी क्र. 1 ने मात्र कथन किया कि वह पुलिस विभाग में नियोजित था — लिखित कथन में कोई उल्लेख नहीं कि वह किस पद पर नियुक्त था — कोई अभिवचन या साक्ष्य नहीं कि उसका वेतन कितना था और क्या वह इतना वेतन प्राप्त कर रहा था कि केवल पांच वर्ष की अल्पावधि के मीतर वह वाद सम्पत्ति क्रय कर सका — मनी ऑर्डर की रसीदें भी प्रस्तुत नहीं की गई — यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की निधि का उपयोग करके वाद सम्पत्ति क्रय की गई थी — अपील मंजूर। (गोपी नाथ वि. शिवप्रसाद)

Hindu Law – Nature of property – Property in dispute originally belonged to father of the respondent No.1 which was subsequently partitioned between brothers after his death – Property falling to the share of respondent No.1 would be self acquired property for all others except his male issue – Share allotted to respondent No.1 would still be a coparcenary property between him and the appellant though it may be his self acquired property for the others. [Rajesh Vs. Keshar Singh] ...951

Hindu Law – Article 231 (1) of Mulla's Hindu Law – Presumption of Joint Property – There is a presumption of Joint Hindu Family but there can not be any presumption that joint family possess a joint property – It is for the person who claims it to be joint has to prove that from the funds of HUF, it was purchased. [Gopi Nath Vs. Shiv Prasad] ...*56

Hindu Marriage Act (25 of 1955), Section 13 – Divorce – Irretrievable breakdown of marriage – Respondent wanted to live with the appellant as wife – The reluctance is only on the part of the appellant husband – The irretrievable breakdown of marriage is not established. [Prakashrao Vs. Smt. Jyoti] (DB)...962

Hindu Marriage Act (25 of 1955), Section 13(1)(a) – Cruelty – At some occasions some disputes taken place between the respondent and her husband or in laws on small household issues relating to day to day work – Such disputes are not unusual in the joint families – No inference of cruelty can be drawn on that basis. [Prakashrao Vs. Smt. Jyoti] (DB)...962

Hindu Marriage Act (25 of 1955), Section 13(1)(a) – Cruelty – complaint by the respondent under Section 498-A of the IPC – No case of the appellant that in pursuance to the said complaint, the appellant or his family members were arrested or kept in custody – Family members of the respondent themselves took initiative to compromise the matter and on the basis of the said compromise the criminal case came to an end – Making of the complaint would not amount to cruelty. [Prakashrao Vs. Smt. Jyoti] (DB)...962

Hindu Succession Act (30 of 1956), Section 6 (Amended) – Share of Daughters – Daughter of a coparcener is also entitled for the same share which a son of coparcener is having in a coparcenary property –

हिन्दू विधि – सम्पत्ति का स्वरुप – विवादित सम्पत्ति मूलतः प्रत्यर्थी क्रं. 1 के पिता की थी जिसका बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात माईयों में बंटबारा किया गया – प्रत्यर्थी क्रं. 1 के हिस्से में आने वाली सम्पत्ति स्वयं अर्जित सम्पत्ति होगी सभी अन्य व्यक्तियों के लिए उसके पुत्र को छोड़कर – प्रत्यर्थी क्रं.1 को आवटित हिस्सा अब भी उसके तथा अपीलार्थी के मध्य सहदायिकी सम्पत्ति होगी यद्यपि अन्य के लिये वह उसकी स्वयं अर्जित सम्पत्ति हो सकती है। (राजेश वि. केशर सिंह) ...951

हिन्दू विधि – मुल्ला द्वारा लिखित हिन्दू विधि का अनुच्छेद 231(1) – संयुक्त सम्पत्ति की उपधारणा – संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की उपधारणा है परंतु कोई उपधारणा नहीं हो सकती कि संयुक्त कुटुम्ब के पास संयुक्त सम्पत्ति है – उस व्यक्ति को जो उसे संयुक्त होने का दावा करता है साबित करना होगा कि उसे हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब की निधि से क्रय किया गया। (गोपी नाथ वि. शिवप्रसाद) ...*56

हिन्दू विवाह अधिनियम (1955 का 25), धारा 13 — विवाह विच्छेद — विवाह की असाध्य विफलता — प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ पत्नी के रुप में रहना चाहती थ्री — अनिच्छा केवल अपीलार्थी पति की ओर से हैं — विवाह का असाध्य रुप से विफल होना स्थापित नहीं होता। (प्रकाश राव वि. श्रीमति ज्योति) (DB)...962

हिन्दू विवाह अधिनियम (1955 का 25), घारा 13(1)(ए) — क्रूरता — किसी अवसर पर प्रत्यर्थी तथा उसके पित या ससुराल वालों के बीच दैनिक कार्य से संबंधित घरेलू मामलों पर विवाद हुए — संयुक्त परिवारों में ऐसे विवाद होना असामान्य नहीं — इस आधार पर क्रूरता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। (प्रकाश राव वि. श्रीमति ज्योति) (DB)...962

हिन्दू विवाह अधिनियम (1955 का 25), घारा 13(1)(ए) — क्रूरता — प्रत्यर्थी द्वारा मा.द.स. की घारा 498-ए के अंतर्गत शिकायत — अपीलार्थी का यह मामला नहीं कि उक्त शिकायत के अनुसरण में, अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया या अभिरक्षा में रखा गया — प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों ने स्वयं मामले में समझौते की पहल की और उक्त समझौते के आघार पर आपराधिक प्रकरण समाप्त हुआ — शिकायत करना क्रूरता की कोटि में नहीं आयेगा। (प्रकाश राव वि. श्रीमति ज्योति)

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का 30), धारा 6 (संशोधित) — पुत्रियों का हिस्सा — सहदायिक सम्पत्ति में सहदायिक की पुत्री का भी उतने ही हिस्से का हक है जितना सहदायिक के पुत्र का है — हिन्दू विवाह अधिनियम की घारा 16 Section 16 of Hindu Marriage Act provides that children born out of void or voidable marriage shall be the legitimate children – Although the second marriage of respondent No.1 is void but the children out of such void marriage will be entitled for their share – Appellant entitled for 1/6th share in the property. [Rajesh Vs. Keshar Singh] ...951

Hindu Succession Act (30 of 1956), Section 8 – Property owned by a male Hindu – Would devolve in his heir only after his death – 'J' was the owner of the suit property, who was alive on date of filing of suit – Plaintiff, the daughter of pre deceased son of 'J' can not file a suit for partition. [Babulal Vs. Ramkali Bai] ...1271

Hindu Succession Act (30 of 1956), Section 8 – Rewa Revenue and Tenancy Code 1935, Section 48(1) and The Hindu Law of Inheritance (amendment) Act 1929, Section 2 – Succession – Male Hindu died in 1946 leaving behind real sister (mother of defendant No.1) and cousins (plaintiffs) – Held – Neither the plaintiffs nor the defendant No.1 are entitled to succeed to the property of the deceased – In view of the provisions of Section 2 of the Act of 1929, the property of the deceased would devolve on his sister, namely, mother of the defendant No.1. [Virendra Kumar Dwivedi Vs. Tirath Prasad] …1286

Income Tax Act (43 of 1961), Section 40-A(2) – Dis-allowance – proprietor of the concern, who is mother of respondent-assessee had paid due taxes at the same rate as the assessee would have paid and there was no avoidance of tax – Held – No attempt to evade tax was involved, hence, no dis-allowance could be made in respect of payment made to the sister concern – Appeal dismissed. [Commissioner of Income Tax Vs. Shri Kamal Kishor Lath] (DB)...1103

Interpretation of Statutes – Legislature is deemed not to waste its words or to anything in vain – Court can not enlarge the scope of statutory provisions or intention when the language of provision is plain and unambiguous – Real intention must be gathered. [Union of India Vs. Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur] (FB)...837

Interpretation of Statutes – Per incuriam – Decisions given in ignorance or forgetfulness of some inconsistent statutory provision of some authority binding on the court concerned—If a decision has been given per incuriam, the court can ignore it. [Rattiram Vs. State of M.P.] (SC)...*47

उपबंधित करती है कि शून्य या शून्यकरणीय विवाह से जन्मी संताने धर्मज सताने होगी — यद्यपि प्रत्यर्थी क्र. 1 का द्वितीय विवाह शून्य है परन्तु ऐसे शून्य विवाह से जन्मी संताने अपने हिस्से के लिये हकदार होगी — अपीलार्थी सम्पत्ति में 1/6 माग का हकदार। (राजेश वि. केशर सिंह)

हिन्दू जत्तराधिकार अधिनियम (1956 का 30), धारा 8 — पुरुष हिन्दू के स्वामित्व की सम्पत्ति — उसके वारिसों को केवल उसकी मृत्यु पश्चात न्यायगत होगी — 'जे' वाद सम्पत्ति का स्वामी था, जो वाद प्रस्तुत करने की तिथि को जीवित था — वादी, 'जे' के पूर्व मृतक पुत्र की पुत्री विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। (बाबूलाल वि. रामकली बाई)1271

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का 30), धारा 8 — रीवा राजस्व और किरायेदारी संहिता 1935, धारा 48(1) व हिन्दू विरासत की विधि (संशोधन) अधिनियम 1929, धारा 2 — उत्तराधिकार — पुरुष हिन्दू की मृत्यु 1946 में हुई और वह अपने पीछे सगी बहिन (प्रतिवादी क्र. 1 की माँ) व चचेरे / ममेरे माई बहिन (वादीगण) को छोड़ गया — अभिनिर्धारित — न तो वादीगण और न ही प्रतिवादी क्र. 1 मृतक की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए हकदार हैं — अधिनियम 1929 की धारा 2 के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की सम्पत्ति उसकी बहिन अर्थात प्रतिवादी क्र. 1 की माँ को मिलेगी। (वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी वि. तीरथ प्रसाद) ...1286

आयकर अधिनियम (1961 का 43), धारा 40-ए(2) — नामंजूरी — संस्थान की स्वत्वधारी जो प्रत्यर्थी निर्धारिती की मां है, ने देय करों का उसी दर से भुगतान किया जैसा कि निर्धारिती द्वारा किया गया होता और कर का कोई परिवर्जन नहीं किया — अभिनिर्धारित — कर बचाने का कोई प्रयत्न सम्मिलत नहीं था, अतएव सहोदर समुत्थान को किये गये भुगतान के संबंध में कोई नामजूरी नहीं की जा सकती — अपील खारिज। (किमश्नर ऑफ इनकम टेक्स वि. श्री कमल किशोर लाठ) (DB)...1103

कानूनों का निर्वचन — विधान मंडल से अपेक्षित है कि वह अपनी किसी भी बात को बेकार नहीं होने देगा — न्यायालय कानूनी उपबंध या आशय की व्याप्ति नहीं बढ़ा सकता जब उपबंध की भाषा असंदिग्ध एवं सीधी है — वास्तविक आशय को समझना चाहिए। (यूनियन ऑफ इंडिया वि. रिजस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ एम.पी., जबलपुर)

कानूनों का निर्वचन — अनवधानता से — संबंधित न्यायालय पर बाध्यकारी किसी उद्धरण के किसी असंगत कानूनी उपबंध की अनिमज्ञता अथवा विस्मृति में दिये गये निर्णय — यदि निर्णय अनवधानता से दिया गया है, न्यायालय उसकी उपेक्षा कर सकता है। (रत्तीराम वि. म.प. राज्य) (SC)...*47

Interpretation of Statute – Statutory Rule – Once the statutory Rule on the question is available, no circular, government order or administrative instruction whether it is issued by the State Government or the UGC can over-ride the provisions of the Rules made under Article 309 of the Constitution. [Ramesh Chandra Dixit (Dr.) Vs. State of M.P.] ...*68

Interpretation of Statute – Statutory Rule – Role of Circular and Communications – When a statutory rule is available, it would be appropriate to consider the rule and interpret it in its existing form and if the rule can be interpreted and a meaning of the Rule derived on such interpretation, then it is not necessary to advert to the circulars or the communications made, executive in nature for clarification of the Rules. [Ramesh Chandra Dixit (Dr.) Vs. State of M.P.] ...*68

(Khadya Padarath) Sarvajanik Nagrik Purti Scheme, M.P. 1991

- Clause 13 (5) — if any complaint is made against co-operative society, it is necessary to send a report to the committee of Cooperative Department who will have to make an enquiry and submit its report within 15 days—No such procedure was adopted—Action of cancellation of fair price shop is illegal—Futher if respondent no. 4 did not examine the witnesses SDO was not required to take action in this regard—Order passed by Collector in Appeal against the order passed by SDO by which complaint made against petitioner was rejected is quashed—Petition allowed. [Ashok Pateria Vs. State of M.P.]

Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, M.P. 1972 (24 of 1973), Section 67 – See – Civil Procedure Code, 1908, Section 151 [Rashik Hasan Vs. Nagar Nigam, Bhopal]*69

Krishi Upaj Mandi (Allotment of Land and Structures) (M.P.) Rules, 2009 – Rule 3(7) – Preference to old allottees – Object of subrule is to protect the existence of genuine licencee traders by giving due preference and also to prevent favoritism or nepotism to traders in the allotment of lands to them – Rule 3(7) of Rules, is neither arbitrary nor contrary to decision of Supreme Court in Labharam case – Petition dismissed. [Mohd. Fareed Vs. State of M.P.] (DB)...928

Land Acquisition Act (1 of 1894), Section 18 – Limitation – Provisions of Limitation Act do not apply to the application for making

कानून का निर्वचन — कानूनी नियम — जब किसी प्रश्न पर कानूनी नियम उपलब्ध है वे परिपन्न सरकारी आदेश का प्रशासनिक अनुदेश जो या तो राज्य सरकार द्वारा व यूजीसी द्वारा जारी किये गये हैं, संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों का अध्यारोही नहीं हो सकते। (रमेश चन्द्र दीक्षित (डॉ.) वि. म.प. राज्य)

कानून का निर्वचन — कानूनी नियम — परिपत्र एवं संसूचनाओं की भूमिका — जब कानूनी नियम उपलब्ध है तब नियम को विचार में लेना और उसे विद्यमान स्वरूप में निर्वचित करना उचित होगा और यदि नियम का निर्वचन किया जा सकता है और ऐसे निर्वचन से नियम का अर्थ निकाला जा सकता है तब नियमों के स्पष्टीकरण हेतु कार्यपालिक स्वरूप के परिपत्र या की गई संसूचनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नही है। (रमेश चन्द्र दीक्षित (डॉ.) वि. म.प्र. राज्य) ...*68

(खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति योजना, म.प्र. 1991 — खण्ड 13 (5) — को—ऑपरेटिव सोसायटी के विरुद्ध यदि कोई शिकायत की जाती है तो सहकारिता विभाग की सिगति को प्रतिवेदन भेजना आवश्यक हैं। उसे जांच करनी पड़ेगी और 15 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन सौंपंगी — ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी — उचित मुल्य की दुकान के कार्य को रदद करना अवैध है। आगे यदि प्रत्यर्थी क्रमांक 4 अपने साक्षियों का प्ररीक्षण नहीं करता तो अनुविभागीय अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं था कि वह इस बारे में कार्यवाही करे — अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की गई जिसके द्वारा यांची के विरुद्ध शिकायत की गई थी, कलेक्टर ने आदेश खारिज कर दिया, आदेश अभिखण्डित — यांचिका मंजूर। (अशोक पटेरिया वि. म.प्र. राज्य)

कृषि उपज मण्डी अधिनियम, म.प्र. 1972 (1973 का 24), धारा 67 — देखें — सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 151 (रशिक हसन वि. नगर निगम, भोपाल) ...*69

कृषि जपज मंडी (मूमि और संरचना का आवंटन) (म.प्र.) नियम, 2009 — नियम 3(7) — पुराने आवंटितों को प्राथमिकता — उप नियम का उद्देश्य वास्तविक अनुज्ञप्ति घारक व्यापारियों के अस्तित्व को सम्य्क प्राथमिकता देकर संरक्षण देना है और व्यापारियों को मूमि के आवंटन में पक्षपात एवं माई—मतीजावाद रोकना मी है — नियमों का नियम 3(7) न तो मनमाना है और न ही लमाराम के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत है — याचिका खारिज। (मोहम्मद फरीद वि. म.प्र. राज्य)

भूमि अर्जन अधिनियम (1894 का 1), घारा 18 — परिसीमा — परिसीमा अधिनियम के उपबंध, न्यायालय को निर्दिष्टित करने हेतु आवेदन को लागू नहीं a reference to the Court. [Kashi Bai (Smt.) Vs. State of M.P.] ...1414

Land Acquisition Act (1 of 1894), Section 18 – Starting point of limitation – Limitation starts running from the date of knowledge of the essential contents of award – Date of award can not be construed to be the date mentioned by the Land Acquisition Officer – Application for reference rejected by Collector being barred by time but at the same time Reference was made on the applications of other applicants – Application for reference rejected by Collector being barred by time without asserting the date of knowledge of award – Rejection of application for reference not just and proper – Order of Collector quashed – Reference with respect to the claim of the petitioners be made to the Civil Court. [Kashi Bai (Smt.) Vs. State of M.P.] ...1414

Land Revenue Code (20 of 1959), Section 248 – See – Public Trust Act, M.P. 1951, Section 27 [Bharat Kumar Patel Vs. Shri Ram Janki Hanuman Mandir] ...1262

Land Revenue Code (20 of 1959), Section 250 – Alternative Remedy – Petitioner has a remedy of restitution of possession under the Land Revenue Code – He also has a valuable right to get the decree executed under the Code of Civil Procedure – Merely because the remedy under the Land Revenue Code is also available, his petition can not be thrown. [Toran Singh Vs. Imrat Singh] ...1233

Limitation Act (36 of 1963), Section 5 — See – Municipalities Act, M.P. 1961, Sections 26(2), 29(2) [Ravindra Chourasia Vs. Ramashankar] ...1402

Limitation Act (36 of 1963), Section 5 – See – Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993, Section 122(2) [Mumbi Bai (Smt.) Vs. State of M.P.] ...1164

Medical Jurisprudence, – Evidence Act (1 of 1872), Sections 45 & 46 – Opinion of Expert – It can not be presumed that doctor is always a witness of truth – Autopsy surgeon, experience of 25 years not noticed the condition of changes in dead body (in eyes, skin, regormortis & muscular elasticity) after six hours of death – Nothing stated by Doctor in postmortem report – Opinion given by the Doctor that the death is homicidal not acceptable. [Praveen Kumar Vs. State of M.P.] (DB)...1327

होते। (काशी बाई (श्रीमित) वि. म.प्र. राज्य)

...1414

मूमि अर्जन अधिनियम (1894 का 1), धारा 18 — परिसीमा के आरम होने का समय — परिसीमा, अवार्ड के आवश्यक घटकों की जानकारी होने की तिथि से आरम होती है — अवार्ड की तिथि का अर्थ भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा उल्लिखित तिथि नहीं निकाला जा सकता — निर्देश हेतु आवेदन समय द्वारा वर्जित होने के कारण, कलेक्टर द्वारा अस्वीकार किया गया परंतु उसी समय अन्य आवेदकों के आवेदनों पर निर्देश दिया गया — अवार्ड की तिथि के ज्ञान का प्राख्यान किये बिना कलेक्टर द्वारा निर्देश हेतु आवेदन समय द्वारा वर्जित होने के कारण अस्वीकार किया गया — निर्देश हेतु आवेदन की खारिजी न्यायपूर्ण एवं उचित नहीं — कलेक्टर का आदेश अमिखंडित — याचीगण के दावे के संबंध में निर्देश सिविल न्यायालय में किया जाये। (काशी बार्ड (श्रीमति) वि. म.प. राज्य)

मू राजस्व संहिता, (1959 का 20), घारा 248 – देखें – लोक न्यास अधिनियम, म.प्र. 1951, घारा 27 (मरत कुमार पटेल वि. श्रीराम जानकी हनुमान मंदिर)

मू राजस्व संहिता (1959 का 20), धारा 250 — वैकल्पिक उपचार — याची को मू—राजस्व संहिता के अंतर्गत कब्जे के प्रत्यास्थापन का उपचार उपलब्ध है — उसके पास सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत डिकी प्राप्त करने का मूल्यवान अधिकार भी है — मात्र इसलिए कि मू—राजस्व संहिता के अंतर्गत भी उपचार उपलब्ध है, उसकी याचिका नामंजूर नहीं की जा सकती। (तोरन सिंह वि. इमरत सिंह) ...1233

परिसीमा अधिनियम (1963 का 36), धारा 5 – देखें – नगरपालिका अधिनियम, म.प्र. 1961, धाराएँ 26(2), 29(2) (रवीन्द्र चौरसिया वि. रमाशंकर)1402

परिसीमा अधिनियम (1963 का 36), घारा 5 – देखें – पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993, घारा 122 (2) (मुम्बी बाई (श्रीमित) वि. म.प्र. राज्य) ...1164

विकित्सीय न्यायशास्त्र / विधिशास्त्र — साध्य अधिनियम (1872 का 1), ह गराएँ 45 व 46 — विशेषज्ञ की राय — यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि विकित्सक सदैव सत्य का साक्षी होता है — शव परीक्षण सर्जन जिसे 25 वर्षों का अनुमव है, वह शव में मृत्यु के छः घंटे पश्चात बदलाव (आखों में, त्वचा पर अकड़न व मांसपेशियों का लचीलापन) की स्थिति को नहीं देख पाया — चिकित्सक ने शव परीक्षण प्रतिवेदन में कुछ नहीं बताया — चिकित्सक द्वारा दिया गया मत कि मृत्यु मानव वध स्वरुप की है स्वीकार्य नहीं। (प्रवीण कुमार वि. म.प. राज्य) (DB)...1327 Mohemmedan Law (of), Sections 63, 65 – See – Succession Act, 1925, Section 372 [Oliya Begum (Smt.) Vs. Abdul Rashid] ...1419

Municipal Corporation Act, M.P. (23 of 1956), Section 11(5) — Caste — Respondent No.1 belonged to Mali Caste — Saini which is a sub-caste of Mali is included in the notification — Plea that respondent No.1 being the member of Mali Caste is entitled to benefits of reservation for Saini sub-caste not permissible — No evidence to show that enlisted caste included some other caste would have been accepted — Finding that respondent No.1 not entitled to seek his election from reserved seat also affirmed. [Jagdish Kapoor (Mamaji) Vs. Dilip @ Banti Nagori]

Municipal Corporation Act, M.P. (23 of 1956), Section 11(5) – Requisite Qualification – Caste – Petitioner, a returned candidate belongs to Khatri by Caste – In view of explanation appended to Section 11A, only such castes as are notified under M.P. Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan), Adhiniyam, 1994 can be recognized for the purpose of election to the seat of a Municipal Councillor – Khatri does not find place in notification – Election rightly set aside. [Jagdish Kapoor (Mamaji) Vs. Dilip @ Banti Nagori]1395

Municipal Corporation Act, M.P. (23 of 1956), Section 299-A—Power can be utilized under this section when construction is made in violation of act a rules or in public interest, but after due opportunity of hearing construction not found illegal—On the basis of sanction granted to petitioners permitted to make construction—Petition allowed. [Rajesh Asnani Vs. State of M.P.]

Municipal Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, M.P. 1968 – Rule 51 – See – Municipalities Act, M.P. 1961, Section 94(4) [Sujjet Kumar Nigam Vs. State of M.P.]1257

Municipalities Act, M.P. (37 of 1961), Sections 26 & 22(a)(d)(i), Civil Procedure Code (5 of 1908), Order VII Rule XI – Revision under Section 26 – Election petition rejected as no cause of action disclosed – Revision – Held – Rejection of nomination paper on the ground of furnishing of wrong information or suppressing material information is

मुस्लिम विधि (का), धाराएँ 63, 65 — देखें — उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, धारा 372 (ओलिया बेगम (श्रीमति) वि. अब्दुल राशिद) ...1419

नगरपालिक निगम अधिनियम, म.प्र. (1956 का 23), धारा 11(5) — जाति — प्रत्यर्थी क्रं. 1 माली जाति का था — सैनी जो कि माली जाति की उपजाति है. अधिसूचना में सम्मिलित है — अभिवाक् कि प्रत्यर्थी क्रं. 1 माली जाति होते हुए सैनी उपजाति के लिये आरक्षण के लामों का हकदार है अनुझेय नहीं — यह दर्शाने के लिये कोई साक्ष्य नहीं कि सूचीबद्ध जाति में कुछ अन्य जाति समाविष्ट है स्वीकार किया जा सकता था — निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी क्रं. 1 आरक्षित सीट से अपना निर्वाचन चाहने का हकदार नहीं भी अभिपुष्ट किया गया। (जगदीश कपूर (मामाजी) वि. दिलीप उर्फ बन्टी नागोरी)

नगरपालिक निगम अधिनियम, म.प्र. (1956 का 23), घारा 11(5) — आवश्यक अर्हता — जाति — याची, एक चुना गया प्रत्याशी खत्री जाति का है — घारा 11ए के साथ संलग्न स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए केवल ऐसी जातियों को जो कि म. प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अधिसूचित की गई है, नगर पालिक पार्षद की सीट पर निर्वाचन के प्रयोजन हेतु मान्यता दी जा सकती है — अधिसूचना में खत्री को स्थान प्राप्त नहीं — निर्वाचन उचित रुप से अपास्त। (जगदीश कपूर (मामाजी) वि. दिलीप उर्फ बन्टी नागोरी)

नगरपालिक निगम अधिनियम, म.प्र. (1956 का 23), धारा 299-ए - इस धारा के अंतर्गत शक्ति का उपयोग तब किया जा सकता है जब निर्माण अधिनियम, नियम या लोक हित के उल्लंधन में किया गया परन्तु सुनवाई के उचित अवसर के पश्चात निर्माण अवैध नहीं पाया गया - प्रदत्त मंजूरी के आधार पर याचीगण को निर्माण की अनुज्ञा दी गई-याचिका मंजूर। (राजेश असनानी वि. म.प्र. राज्य) ...883

नगरपालिका कर्मचारी (मर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, म.प्र., 1968 — नियम 51 — देखें — नगरपालिका अधिनियम, म.प्र., 1961, धारा 94(4) (सुजीत कुमार निगम वि. म.प्र. राज्य)1257

नगरपालिका अधिनियम, म.प्र. (1961 का 37) घाराएँ 26 व 22(ए)(डी)(i), सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5), आदेश VII नियम XI — घारा 26 के अंतर्गत पुनरीक्षण — निर्वाचन याचिका अस्वीकार की गई क्यों कि कोई वाद कारण प्रकट नहीं किया गया — पुनरीक्षण — अमिनिर्घारित — गलत जानकारी प्रस्तुत करने या तात्विक जानकारी का छिपाव करने के आधार पर नामांकन पत्र की अस्वीकृति प्रवर्तनीय नहीं

not enforceable – Can not be a sufficient ground to challenge validity of the election of a returning candidate – No interference require – Revision dismissed. [Aziz Khan Vs. Akram Hussain]1391

Municipalities Act, M.P. (37 of 1961), Sections 26(2), 29(2), Limitation Act (36 of 1963), Section 5 – Election Petition – Section 5 of the Limitation Act does not apply to the filing of an election petition under the Act. [Ravindra Chourasia Vs. Ramashankar]1402

Municipalities Act, M.P. (37 of 1961), Section 94(4) – Municipal Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, M.P. 1968 – Rule 51 – State Municipal Service (Executive) Rules (M.P.), 1973 – Appointment of the petitioner is made by the Municipality subject to confirmation by the State Government – Rules 1973 are not applicable to the petitioner who is holding the post of Sub-Engineer – He shall be governed by the Rules 1968 being municipal employee – President-incouncil is having no power to impose the penalty on him – Resolution imposing penalty passed by President-in-council and the order communicating the same passed by the Chief Municipal Officer, are without jurisdiction and per se illegal. [Sujjet Kumar Nigam Vs. State of M.P.]

Municipalities Act, M.P. (37 of 1961), Section 319(1) – Notice under — Suit of the plaintiff was for declaration of title and perpetual injunction which falls squarely within the type of suit contemplated under Section 38 of Specific Relief Act 1963 — The bar contained in Section 319(1) has no application — Appeal dismissed. [Nagar Palika Parishad, Mihona Vs. Ramnath]1282

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (61 of 1985), Section 20(b)(i) — Sentence — Offence committed about 17 years back — Appellant has already remained in jail for a period of 1 year & 4 months — Sentence reduced to period already undergone with fine of Rs. 5,000/-. [Ramesh @ Durga Singh Lodhi Vs. State of M.P.] ...*67

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (61 of 1985), Sections 20(b)(i), 35 & 54 – Presumption – Appellant did not discharge the onus of proof to rebut the presumption by showing that he had no knowledge that sack kept in his house was containing ganja – Conviction upheld. [Ramesh @ Durga Singh Lodhi Vs. State of M.P.] ...*67 - चयनित प्रत्यर्थी के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता - कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं - पुनरीक्षण खारिज। (अजीज खान वि. अकरम हुसैन)

नगरपालिका अधिनियम, म.प्र. (1961 का 37), धाराएँ 26(2), 29(2), परिसीमा अधिनियम (1963 का 36), धारा 5 — निर्वाचन याचिका — परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पर्चा प्रस्तुत करने के लिये लागू नहीं होती। (रवीन्द्र चौरसिया वि. रमाशंकर)1402

नगरपालिका अधिनियम, म.प्र. (1961 का 37), धारा 94(4) — नगरपालिका कर्मचारी (मर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, म.प्र., 1968 — नियम 51 — राज्य नगरपालिका सेवा (कार्यपालिक) नियम (म.प्र.), 1973 — नगरपालिका द्वारा याची की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पुष्टिकरण के अधीन की गई — नियम 1973 याची को लागू नहीं होते जिसने उप अभियता के पद को धारण किया है — नगर पालिका का कर्मचारी होने के नाते वह नियम 1968 द्वारा शासित होगा — परिषद के समापित को उस पर शास्ति अधिरोपित करने की कोई शक्ति नहीं है — परिषद के समापित द्वारा शास्ति अधिरोपित करते हुए पारित किया गया संकल्प एवं उसे सूचित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारिता द्वारा पारित आदेश बिना अधिकारी के है और इस प्रकार अवैध है। (सुजीत कुमार निगम वि. म.प्र. राज्य)

नगरपालिका अधिनियम, म.प्र. (1961 का 37), धारा 319(1) — के अंतर्गत नोटिस — वादी का वाद हक की घोषणा एवं स्थाई व्यादेश हेतु था जो पूर्णतः विनिंदिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की घारा 38 के अंतर्गत परिकल्पित वाद के प्रकार में आता है — घारा 319(1) में अंतर्विष्ट वर्जन की कोई उपयोज्यता नहीं — अपील खारिज! (नगरपालिका परिषद, मिहोना वि. रामनाथ)1282

स्वापक औषधि और मनःप्रमावी पदार्थ अधिनियम (1985 का 61), घारा 20(बी)(i) — दण्डादेश — अपराध करीब 17 वर्ष पूर्व कारित किया गया — अपीलार्थी पहले ही 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिये जेल में रहा है — दण्डादेश रुपये 5,000/— के साथ मुगताई जा चुकी अवधि तक घटाया गया। (रमेश उर्फ दुर्गा सिंह लोधी वि. म.प्र. राज्य) ...*67

स्वापक औषधि और मनःप्रमावी पदार्थ अधिनियम (1985 का 61), धारा 20(बी)(i), 35 व 54 — उपधारणा — अपीलार्थी ने उपधारणा का खंडन करने के लिये सबूत के मार का निर्वाहन नहीं किया कि उसे कोई ज्ञान नहीं था कि उसके मकान में रखी बोरी में गांजा था — दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। (रमेश उर्फ दुर्गा सिंह लोधी वि. म.प्र. राज्य)

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (61 of 1985), Section 52(4) – As S.H.O. himself effected the seizure and arrest, the provisions of Section 52(4) do not apply. [Ramesh @ Durga Singh Lodhi Vs. State of M.P.] ...*67

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules 1985 — Taking of Sample — It is always desirable to prepare the panchnama and to take sample at the spot itself — However, there is no express legal bar to drawing of sample at a later stage, provided there are justifiable and reasonable grounds to do so. [Ramesh @ Durga Singh Lodhi Vs. State of M.P.]

National Security Act (65 of 1980), Section 3(2) — Detention Order — Activities of the detenue were prejudicial to public tranquility and even tempo of life in society — Detenue has taken a life of crime and has become a menace to society — Held — It justifies the detention order — Acquittal from criminal cases had no dampening effect on his criminal proclivity — Writ Petition dismissed. [Hari Prasad Mishra Vs. District Magistrate, Indore] (DB)...1123

Negotiable Instruments Act (26 of 1881), Section 138 – See – Criminal Procedure Code, 1973, Section 87 [Madhu Gupta (Smt.) Vs. Veer K. Shrivastava]1097

Negotiable Instruments Act (26 of 1881), Section 138 – Signature – Courts below hold that there is no over writing and difference of signature – Held – Defence that there was difference in the signature of the applicant between the cheque and specimen signature in the record of his Banker or the cheque was missed or stolen are being after thought are not helping to the applicant – Revision dismissed. [Dwarka Soni Vs. State of M.P.] ...1060

Panchayats (Appeal and Revision) Rules, M.P. 1995 – Rule 3 – See – Service Law [Harish Chandra Yadav Vs. State of M.P.] (DB)...1107

Panchayats (Appeal and Revision) Rules, M.P. 1995 – Rule 5 – Power of Collector – Revision against order of Sub-Divisional Officer filed before Collector, mentioning it as an appeal – Held – Merely because the challenge was nomenclatured as an appeal, will not denude the Collector of the power to hear the same. [Maya Devi (Smt.) Vs.

स्वापक औषधि और मनःप्रमावी पदार्थ अधिनियम (1985 का 61), धारा 52(4) — एस.एच.ओ. ने स्वयं जब्ती एवं गिरफ्तारी की, धारा 52(4) के उपबंध लागू नहीं होते। (रमेश उर्फ दुर्गा सिंह लोधी वि. म.प्र. राज्य) ...*67

स्वापक औषधि और मनःप्रमावी पदार्थ नियम 1985 — नमूना लेना — यह सर्वथा वांछनीय है कि पंचनामा तैयार कर नमूना घटनास्थल पर ही लिया जाये — किन्तु, नमूना बाद के प्रक्रम पर लेने के लिये कोई अभिव्यक्त विधिक वर्जन नहीं है, बशर्ते कि ऐसा करने के न्यायोचित एवं युक्तियुक्त आधार मौजूद है। (रमेश उर्फ दुर्गा सिंह लोधी वि. म.प्र. राज्य) ...*67

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980 का 65), घारा 3(2) — निरोध आदेश — निरुद्ध व्यक्ति के कार्यकलाप लोक शांति एवं समाज में जीवन की संयत लय पर मी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं — निरुद्ध व्यक्ति ने अपराध का जीवन चुना है और समाज के लिए खतरा बन गया है — अभिनिर्धारित — यह निरोध आदेश को न्यायोचित बनाता है — आपराधिक प्रकरणों से दोषमुक्ति का उसकी आपराधिक प्रवृत्ति पर कोई क्षीण करने वाला प्रभाव नहीं पड़ा — रिट याचिका खारिज। (हरिप्रसाद मिश्रा वि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंदौर)

परक्राम्य लिखत अधिनियम (1881 का 26), घारा 138 – देखें – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, घारा 87 (मधू गुप्ता (श्रीमित) वि. वीर के. श्रीवास्तव) ...1097

परक्राम्य लिखत अधिनियम (1881 का 26), घारा 138 — हस्ताक्षर — अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित किया कि हस्ताक्षर में कोई ओवर राईटिंग या मिन्नता नहीं — अभिनिर्धारित — चेक पर आवेदक के हस्ताक्षर और बैंकर के अभिलेख के नमूना हस्ताक्षर में मिन्नता थी या चेक गुम गया था या चोरी हो गया था, यह बचाव विचारोपरांत हैं, जो आवेदक को कोई सहायता नहीं देती — पुनरीक्षण खारिज। (द्वारका सोनी वि. म.प्र. राज्य)1060

पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, म.प्र. 1995 – नियम 3 – देखें – सेवा विधि (हरीश चन्द्र यादव वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1107

पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, म.प्र. 1995 — नियम 5 — कलेक्टर की शक्ति — अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष उसे अपील उल्लिखित करते हुए पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया — अमिनिर्धारित — मात्र इसलिए कि चुनौती को अपील का नाम दिया गया, उसे सुनने की कलेक्टर की शक्ति

State of M.P.] ...1214

Panchayats (Election Petitions, Corrupt Practices and Disqualification for Membership) Rules, M.P. 1995 – Rule 7 – Security Deposit – Petitioner filed Election Petition on 22.02.2010 alongwith making the security deposit of Rs. 500/- – On 06.03.2010, the petitioner filed an application and withdraw the Election Petition without any prayer of refund of security deposit – On same day i.e. 06.03.2010, the petitioner filed another Election Petition, but without making any deposit of security deposit – Held – The amount deposited with the first election petition can not be treated as deposit of security – Nothing could be done except dismissing the election petition – Petition dismissed. [Roopa Singh (Smt.) Vs. State of M.P.]

Panchayats (Election Petitions, Corrupt Practices and Disqualification for Membership) Rules, M.P. 1995 – Rule 7 – See – anchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993, Section 122 [Beena Pandey Vs. Mamta Devi] ...861

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Sections 40 & 92 — Petitioner has been removed from the post of Sarpanch — HELD — Legislature was not indicating that the two enquiries be clubbed together which are to be conducted under section 40 and 92 of the Act — Authority could have initiated show cause notice to the petitioner for misconduct — Application under section 92 was required to be rejected, but for any reason the order section 40 of the Act could not have been passed — Without following the procedure of enquiry prescribed order passed — Writ Petition Allowed. [Maya Choudhary (Smt.) Vs. State of M.P.]

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Sections 86 (2) – See – Service Law [Ram Lakhan Vs. State of M.P.]

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 122, Panchayats (Election Petitions, Corrupt Practices and Disqualification for Membership) Rules, M.P. 1995 — Rule 7 — Deposit of Security — Security amount deposited with Tahsildar instead of Specified officer(S.D.O.) due to non-availability of regular Establishment/court of S.D.O. — Deposit of security is mandatory and

को नहीं निकाल देगा। (माया देवी (श्रीमति) वि. म.प्र. राज्य)

...1214

पंचायत (निर्वाचन अर्जियाँ, भृष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, म.प्र. 1995 — नियम 7 — सुरक्षा निधि — याची ने 22.02.2010 के निर्वाचन पर्चे के साथ सुरक्षा निधि रुपये 500/— प्रस्तुत किया — 06.03.2010 को याची ने आवेदन प्रस्तुत किया और निर्वाचन पर्चा वापस लिया, सुरक्षा निधि की वापसी की बिना किसी प्रार्थना के — उसी दिन अर्थात 06.03.2010 को याची ने अन्य निर्वाचन पर्चा प्रस्तुत किया परंतु कोई सुरक्षा निधि जमा किये बिना — अमिनिर्धारित — प्रथम निर्वाचन पर्चे के साथ जमा रकम को सुरक्षा की रकम नहीं माना जा सकता — निर्वाचन याचिका को खारिज करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता — याचिका खारिज। (रूपा सिंह (श्रीमित) वि. म.प्र. राज्य)

पंचायत (निर्वाचन अर्जियाँ, भ्रं 🖂 टाचार और सदस्यता के लिए निर्हता) नियम, म.प्र. 1995, — नियम ७ — देखें — पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993, घारा 122 (बीना पाण्डे वि. ममता देवी)861

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), धाराएँ 40 व 92 — याची को सरपंच के पद से हटाया गया — अमिनिर्धारित — विधायिका यह नहीं दर्शा रही थी कि अधिनियम 40 व 92 के अंतर्गत संचालित की जाने वाली दो जांच को एक साथ सम्मिलित किया जाये — प्राधिकारी याची के अवचार के लिये कारण बताओं नोटिस जारी कर सकता था — घारा 92 के अंतर्गत आवेदन को नामंजूर किया जाना अपेक्षित था परंतु किसी कारण अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत आदेश पारित नहीं किया जा सकता था — जांच के लिये विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया — रिट याचिका मंजूर। (माया चौधरी (श्रीमित) वि. म.प्र. राज्य)

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), धारा 86 (2) – देखें – सेवा विधि (राम लखन वि. म.प्र. राज्य) ...*66

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), घारा 122, पंचायत (निर्वाचन अर्जियाँ, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, म.प्र. 1995, — नियम ७ — प्रतिमूति जमा करना — अनुविमागीय अधिकारी की नियमित कोर्ट/स्थापना की अनुपलब्धता के कारण प्रतिमूति की रकम अनुविमागीय अधिकारी की बजाये तहसीलदार के पास जमा की गई — प्रतिमूति को जमा करना

not the mode in which it is deposited – Election petition was rightly held to be filed as per rules – Writ petition dismissed. [Beena Pandey Vs. Mamta Devi]

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 122 – Proof of submission of election petition – Entry by Prescribed Officer on the marginal note of election petition and specific order sheets are sufficient proof of the date of filing and presentation by concerned person. [Hanumant Singh Vs. State of M.P.] ...*58

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 122 – Recount – Burden of Proof – Burden is on the shoulder of election petitioner – Even weakness and defence can not become substitute of proof required to be given by the election petitioner – Evidence beyond pleadings is impermissible. [Hanumant Singh Vs. State of M.P.]

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 122 – Recount – Recount cannot be ordered in a routine and mechanical manner – In absence of specific pleadings supported by contemporaneous evidence, recount is impermissible. [Hanumant Singh Vs. State of M.P.]

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 122 – Secrecy of Ballot – Secrecy of ballot can not be lightly tinkered in a democratic set up unless very specific pleading, material facts and particulars are there in the election petition supported by a proof of a very high degree. [Hanumant Singh Vs. State of M.P.] ...*58

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 122(2) – Election Petition – Certificate of declaration of the result after notification was issued on 03.02.2010 – Limitation was to be counted from that date – Election Petition was filed on 19.03.2010 with an application for condonation of delay – Held – The only consequence of causing the delay in filing the election petition would be its dismissal and nothing else – The entire proceedings of election petition are thus vitiated. [Mumbi Bai (Smt.) Vs. State of M.P.] ...1164

आज्ञापक है और न कि जमा करने की पद्धति – निर्वाचन याचिका को नियमानुसार प्रस्तुत किये जाने की उचित रुप से घारणा की गई – रिट याचिका खारिज। (बीना पाण्डे वि. ममता देवी)

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), धारा 122 — निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने का सबूत — विहित अधिकारी द्वारा निर्वाचन याचिका के हाशिये पर दी गई टीप एवं विनिर्दिष्ट आदेश पत्रिकाएं संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने के दिनांक को पर्याप्त सबूत हैं। (हनुमन्त सिंह वि. म.प्र. राज्य) ...*58

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), घारा

122 — पुनर्गणना — सबूत का भार — सबूत का भार निर्वाचन याची के कंघों पर है

— कमजोर और बचाव भी सबूत का स्थान नहीं ले सकते जिसे देना निर्वाचन याची

से अपेक्षित है — अभिवचनों से परे साक्ष्य अननुज्ञेय है। (हनुमन्त सिंह वि. म.प.
राज्य)

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), धारा 122 — पुनर्गणना — पुनर्गणना नैत्यिक एवं यात्रिक ढंग से आदेशित नहीं की जा सकती — समकालीन साक्ष्य द्वारा समर्थित विनिर्दिष्ट अभिवचनों की अनुपस्थिति में पुनर्गणना अननुन्नेय है। (हनुमन्त सिंह वि. म.प्र. राज्य)*58

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), धारा 122 — मतपत्रों की गोपनीयता — लोकतांत्रिक ढांचे में मतपत्रों की गोपनीयता को हल्के रुप से बदला नहीं जा सकता जब तक कि निर्वाचन याचिका में बहुत उच्च स्तर की साक्ष्य द्वारा समर्थित बहुत विनिर्दिष्ट अभिवचन, तात्विक तथ्य एवं विशिष्टियां नहीं हैं। (हनुमन्त सिंह वि. म.प्र. राज्य) ...*58

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), धारा 122 (2) — निर्वाचन थाचिका — परिणाम की घोषणा का प्रमाण पत्र, 03.02.2010 को अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात जारी किया गया — परिसीमा की गणना उसी तिथि से की जानी चाहिये थी — निर्वाचन याचिका दिनाक 19.03.2010 को विलम्ब के लिए माफी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई — अमिनिर्घारित — निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने में कारित विलम्ब का एकमात्र परिणाम उसकी खारिजी होगा और कुछ नहीं — अतएव, निर्वाचन याचिका की संपूर्ण कार्यवाहियां दूषित। (मुम्बी बाई (श्रीमति) वि. म.प. राज्य)1164

?

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 122(2), Limitation Act (36 of 1963), Section 5 — Condonation of delay — Delay caused in filing of the election petition is not condonable as provisions of Section 5 of the Limitation Act would not be attracted at all. [Mumbi Bai (Smt.) Vs. State of M.P.] ...1164

Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 122(2) — Limitation — The effective date for starting limitation is the date of notification of the election. [Mumbi Bai (Smt.) Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Section 84 – Act of person of unsound mind – Burden is on the accused to prove that she was insane at the time of commission of offence – The manner in which offence was committed shows that at the time of incident the appellant was not insane and she was knowing the consequence of her act – No question arises for extending the benefit of Section 84 of I.P.C. [Meena Bai Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Sections 95, 96 & 99 – Private Defence of property – Number of forest offences registered against victim – Appellant caused injury while protecting the property of the forest department as he was working as Security Labourer/Guard – Appellant acted in private defence of property – Entitled for acquittal. [Shivraj Sahu Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Sections 107 & 306 – Abetment to commit suicide – Applicants, the in-laws of the deceased used to abuse her and harass her although after partition, the deceased was living separately in the same house along with her husband – Deceased committed suicide by pouring kerosene oil – Just before the incident, she was abused and beaten by the applicants – Held – Due to alleged acts committed by applicants, the deceased committed suicide - Due to alleged harassment, beating, abuse and torture, the deceased was instigated and abetted to commit suicide – Charges were rightly framed – Revision dismissed. [Bankelal Soni Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Sections 107, 306 – Abetment to commit suicide – Deceased under fear as extortion money Rs. 6,000/- was demanded by applicants – Deceased consumed poisonous substance –

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), धारा 122 (2), परिसीमा अधिनियम (1963 का 36), धारा 5 — विलम्ब क्षमा करना — निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने में विलम्ब क्षमा करने योग्य नहीं क्योंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के उपबंध किंचित भी आकर्षित नहीं होते। (मुम्बी बाई (श्रीमित) वि. म.प्र. राज्य)1164

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), घारा 122 (2) – परिसीमा – परिसीमा आरंम होने की प्रमावी तिथि, निर्वाचन की अधि । (मुम्बी बाई (श्रीमित) वि. म.प्र. राज्य) ...1164

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 84 — विकृतचित्त व्यक्ति का कृत्य — यह साबित करने का मार अभियुक्त पर है कि अपराध घटित होने के समय वह विकृत थी — जिस प्रकार से अपराध कारित किया गया है यह दर्शाता है कि घटना के समय अपीलार्थी विकृत नहीं थी और उसे उसके कृत्य के परिणाम का ज्ञान था — मा.द. सं. की धारा 84 का लाम विस्तारित करने का कोई प्रश्न नहीं होता। (मीना बाई वि. म.प्र. राज्य)

दण्ड संहिता (1860 का 45), घाराएँ 95, 96 व 99 — सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा — पीड़ित के विरुद्ध बहुत सारे वन अपराध पंजीबद्ध — अपीलार्थी द्वारा चोट पहुंचाई गई, जब वह वन विभाग की सम्पत्ति का सरक्षण कर रहा था, चूंकि वह सुरक्षा मजदूर/गॉर्ड के रूप में कार्य कर रहा था — अपीलार्थी द्वारा सम्पत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा में कार्य किया गया — दोषमुक्त किये जाने का हकदार। (शिवराज साहू वि. म.प्र. राज्य)

दण्ड संहिता (1860 का 45), घाराएँ 107 व 306 — आत्महत्या कारित करने का दुष्प्रेरण — आवेदकगण मृतक के ससुराल वाले हैं, जो उसे गाली देते थे और तंग करते थे, यद्यपि बंटवारे के बाद, मृतिका उसी मकान में अपने पित के साथ अलग रहती थी — मृतिका ने मिट्टी का तेल उड़ेलकर आत्महत्या कारित की — घटना के तुरंत पहले, आवेदकगण द्वारा उसे गाली दी गई और पीटा गया — अभिनिर्धारित — आवेदक गण के अमिकथित कृत्य से मृतिका ने आत्महत्या कारित की — अमिकथित तंग करने, पीटने, गाली देने व यातना देने के कारण मृतिका उत्तेजित हुई और आत्महत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित हुई — आरोप उचित रुप से विरचित किये गये — पुनरीक्षण खारिज। (बांकेलाल सोनी वि. म.प्र. राज्य) ...1434

दण्ड संहिता (1860 का 45), घाराएँ 107, 306 — आत्महत्या कारित करने का दुष्प्रेरण — मृतक भयग्रस्त था क्योंकि आवेदकगण द्वारा उद्धापन के तौर पर रुपये 6,000/— की मांग की गई थी — मृतक ने विषैले पदार्थ का प्राशन किया — Held – Applicants by carrying out the extortion activities created fear on the deceased to implicate him in murder case, so deceased was abetted and instigated to commit suicide – Acts of applicants are covered under "first and second ingredients of the section 107 I.P.C" – Revision dismissed. [Hyder Khan Vs. State of M.P.] ...1063

Penal Code (45 of 1860), Sections 147, 323/149 — Sentence — Incident took place about 19 years back — Appellants are suffering the mental agony of the present case and also do not have any criminal antecedents — Sentence reduced to period already undergone. [Sunder Lal Vs. State of M.P.]

4

Penal Code (45 of 1860), Section 177 – Major part of the cause of action against all the petitioners had accrued at Kota, where most of the alleged acts of cruelty were committed and on the other, no part of cause of action against women petitioners had arisen at Jabalpur – The Offence under Section 498-A of the IPC must be tried by a Court at Kota and not by the Court at Jabalpur – Trial Magistrate directed to return the complaint filed against the petitioners for presentation before a Court of competent jurisdiction at Kota. [Mohani Mehrotra (Smt.) Vs. Smt. Shilpi Mehrotra] ...1099

Penal Code (45 of 1860), Section 302 – Circumstantial Evidence – Appellant was seen for the last time in the company of deceased child – Body of child was found in the box – Appellant also admitted her guilt in her statement under Section 313 of Cr.P.C. – Trial Court did not commit any error in convicting the appellant – Appeal dismissed. [Meena Bai Vs. State of M.P.] (DB)...1025

Penal Code (45 of 1860), Section 302 – Death Sentence – Rarest of Rare Case – Appellant and three deceased had consumed liquor and chicken – They were intervened by security guard – Thereafter appellant caused death of three deceased by causing injury by means of hammer – Held – It cannot be said that appellant has become hazardous to the Society and therefore, merely because he has committed murder of three persons would not mean that extreme penalty of death is to be awarded – Plurality of murder can not be a determining factor in order to pass extreme penalty – Appellant having no criminal history – Death sentence not confirmed – Appellant awarded life imprisonment. [Jujhar Singh Vs. State of M.P.] (DB)...998

अमिनिर्घारित — आवेदकगण ने उद्घापित कार्यों द्वारा मृतक को भयभीत किया कि उसे हत्या के प्रकरण में फंसा देंगे, इस प्रकार मृतक को आत्महत्या कारित करने के लिये दुष्प्रेरित किया एवं उकसाया — आवेदकगण के कृत्य मा.द.सं. की घारा 107 के प्रथम व द्वितीय घटक के अंतर्गत आते हैं — पुनरीक्षण खारिज। (हैदर खान वि. म.प्र. राज्य)

दण्ड संहिता (1860 का 45), धाराएँ 147, 323/149 — दण्डादेश — घटना करीब 19 वर्ष पहले घटित हुई — अपीलार्थीगण वर्तमान प्रकरण की मानसिक पीड़ा सहन कर रहे हैं और उनका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त भी नहीं है — भुगताई जा चुकी अवधि तक दण्डादेश घटाया गया। (सुन्दरलाल वि. म.प्र. राज्य) ...1313

वण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 177 — सभी याचीगण के विरुद्ध वाद कारण का मुख्य भाग कोटा में प्रोद्भूत हुआ, जहां क्रूरता के अधिकतम अभिकथित कृत्य कारित किये गये दूसरी ओर महिला याचीगण के विरुद्ध वाद कारण का कोई भी भाग जबलपुर में उत्पन्न नहीं हुआ —धारा 498—ए भा.द.स. के अंतर्गत अपराध का विचारण कोटा के न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और न कि जबलपुर के न्यायालय द्वारा — विचारण मजिस्ट्रेट को याचीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई शिकायत को कोटा के सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस करने के लिए निदेशित किया गया। (मोहनी महरोत्रा (श्रीमित) वि. श्रीमित शिल्पी महरोत्रा)

वण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 302 — परिस्थितिजन्य साक्ष्य — अपीलार्थी को अंतिम बार मृतक बालक के सानिध्य में देखा गया था — बालक का षव बक्से में पाया गया था — अपीलार्थी ने द.प्र.सं. की घारा 313 के अंतर्गत कथन में भी अपनी दोषिता स्वीकार की — विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में कोई मूल कारित नहीं की — अपील खारिज। (मीना बाई वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1025

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 302 — मृत्युदण्ड — विरल से विरलतम मामला — अपीलार्थी और तीनों मृतकों ने मदिरा पान किया एवं मांस खाया — सुरक्षाकर्मी द्वारा उनका बीच—बचाव किया गया — उसके बाद अपीलार्थी ने तीनों मृतकों की हथौड़े से चोट कारित करके मृत्यु कारित की — अभिनिर्धारित — यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी समाज के लिये घातक हो गया है और इसलिए, मात्र इस कारण कि उसने तीन व्यक्तियों की हत्या कारित की है इसका अर्थ यह नहीं होगा कि मृत्युदण्ड का परम दण्ड दिया जाए — हत्या की अनेकता परम दण्ड पारित करने के लिए निश्चायक कारक नहीं हो सकती — अपीलार्थी का आपराधिक इतिहास नहीं — मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि नहीं की गई — अपीलार्थी को आजीवन कारावास प्रदान किया गया। (जुझार सिंह वि. म.प्र. राज्य) (DB)...998

Penal Code (45 of 1860), Section 302 - Evidence Act (1 of 1872), Section 3 - Murder - Proof - Circumstantial evidence - Circumstances proved against appellant are (1) There was strained relations between the deceased and the appellant and, therefore, there was a motive to kill the deceased (2) Deceased was last seen in the company of the appellant in room Hotel which was bolted from inside (3) Police was called on spot and the door of hotel's room was broken open (4) Deceased and accused were found lying on the carpet in injured condition and deceased was succumbed to the injuries (5) Death of the deceased was homicidal in nature (6) there was no sign of scuffle or mark of sexual assault on the deceased and no proof of theft of any article from the room or any attempt in doing so (7) Topography of the room excluded all possibility of any outsider entering into the room and committed murder of the deceased (8) Explanation furnished by the accused that some unknown person came and started assaulting the appellant inside the room and when his wife came to rescue, then they have also assaulted her, and fled away is patently false - Held -The chain of circumstances proved by the prosecution clearly and unerringly indicate that it was the appellant/accused only, who committed the murder of his wife. [Anil Sharma alias Anil Namdev Vs. State of M.P.1 (DB)...*53

Penal Code (45 of 1860), Section 302 – Minor injuries – Death due to asphyxia – Hanging – Two doctors performed post mortem, no opinion given for homicidal death – Oral and documentary evidence not support the charge u/s 302 IPC – No cogent evidence – Conviction u/s 302 set aside. [Praveen Kumar Vs. State of M.P.] (DB)...1327

Penal Code (45 of 1860), Section 302 – Murder – Appellant gave solitary knife blow on the left side of neck below the ear resulting in cutting of muscles of neck, carotid artery and trachea – Injury was caused due to old enmity – Held – Enmity is established and particularly looking to the nature of the injury on the neck it can be gathered that the appellant dealt the blow in order to commit murder as he brought the knife with him – Appeal dismissed. [Shivram Vs. State of M.P.]

(DB)...1009

Penal Code (45 of 1860), Section 302 – Murder – Appellants poured kerosene oil and put the deceased on fire – Deceased suffered 80% burn injuries – Executive Magistrate recorded dying declaration

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 302 - साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1). धारा 3 - हत्या - सब्त - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - अपीलार्थी के विरुद्ध साबित की गई परिस्थितियां हैं (1) मृतिका और अपीलार्थी के मध्य तनावपूर्ण संबंध थे, और इसलिए मृतिका को मारने का हेतु था (2) मृतिका आखिरी बार होटल के कमरे में अपीलार्थी के साथ देखी गई थी. जो अंदर से बंद था (3) पुलिस को स्थल पर बुलाया गया और होटल के कमरे का दरवाजा तोडकर खोला गया (4) मतिका और अभियुक्त घायल अवस्था में कालीन पर पड़े पाये गये और चोटों के कारण मृतिका की मृत्यु हो गई (5) मृतिका की मृत्य मानववध स्वरुप की थी (6) मृतिका के शरीर पर यौन शोषण के या हाथापाई के निशान नहीं थे और न ही कमरे से किसी वस्तु के चोरी होने के या ऐसा करने का प्रयास किये जाने का सब्त था (7) कमरे की स्थलाकृति से किसी व्यक्ति का कमरे में आना और मृतिका की मृत्य कारित करने की सारी संभावनाओं को अलग करती है (8) अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया कि कुछ अपरिचित व्यक्ति आये और अपीलार्थी के साथ कमरे के अंदर मारपीट की और जब उसकी पत्नी उसे बचाने आई तभी उन्होंने उसके साथ मी मारपीट की और भाग गये स्पष्टतः असत्य है – अभिनिर्घारित – अभियोजन द्वारा साबित परिस्थितियों से साफ और अमोघ रुप से प्रकट होता है कि वह केवल अपीलार्थी / अमियुक्त ही था, जिसने अपनी पत्नी की हत्या कारित की। (अनिल शर्मा उर्फ अनिल नामदेव वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*53

वण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 302 — छोटी घोटें — स्वांसावरोध के कारण मृत्यु — फाँसी लगाना — दो चिकित्सकों ने शव परीक्षण किया, मानव वध के लिए कोई मत नहीं दिया गया — मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य मा.द.सं. की घारा 302 के अंतर्गत आरोप का समर्थन नहीं करते — कोई प्रवल साक्ष्य नहीं — धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि अपास्त। (प्रवीण कुमार वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1327

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 302 — हत्या — अपीलार्थी ने गर्दन की बाई तरफ कान के नीचे चाकू से एक वार किया जिससे गर्दन की मासपेशियां, केरोटिड घमनी एवं श्वांसनली कट गई — पुरानी रंजिश के कारण क्षतियां कारित की गई थी — अभिनिर्धारित — रंजिश स्थापित की गई है और विशेष रुप से गर्दन की चोट की प्रकृति को देखते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने हत्या कारित करने के उद्देश्य से हमला किया क्योंकि वह अपने साथ चाकू लाया था — अपील खारिज। (शिवराम वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1009

वण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 302 — हत्या — अपीलार्थी गणों ने मृतिका पर मिट्टी का तेल उड़ेला और आग लगा दी — मृतिका ने 80 प्रतिशत जलने की क्षतियां सहन की — कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर से स्वस्थता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर

after obtaining fitness certificate from the Doctor – Another fitness certificate was obtained after the recording of Dying Declaration – F.I.R. lodged by deceased is also a Dying Declaration – Both the dying declarations are reliable – Appellants rightly convicted under Section 302 – Appeal dismissed. [Gudda Alias Sultan Singh Vs. State of M.P.] (DB)...*57

Penal Code (45 of 1860), Section 302 – Murder – Deceased suffered 80% burns upto her knees – She died because of septicaemia caused due to antemortem injuries – Nothing on record that septicaemia was not the result of the burn injuries – Appellants guilty of committing murder – Appeal dismissed. [Gudda Alias Sultan Singh Vs. State of M.P.] (DB)...*57

Penal Code (45 of 1860), Section 302 – See – Evidence Act, 1872, Section 3 [Vrijlal Ghosi Vs. State of M.P.] (DB)... 1351

Penal Code (45 of 1860), Section 302 – See – Evidence Act, 1872, Sections 3 & 27 [Premdas Ahirwar Vs. State of M.P.] (DB)...1381

Penal Code (45 of 1860), Sections 302 & 304 – Murder or Culpable Homicide not amounting to murder – No enmity or motive on the part of appellant to cause murder – Incident was sudden and none of the witness has spoken about the genesis of incident – However, the circumstance indicates that the deceased had abused the appellant and therefore, he picked up axe and assaulted him – As the appellant dealt only one blow on the neck – Case falls within the ambit of Section 304 Part II – Appeal partly allowed. [Narayan Vs. State of M.P.]

(DB)...1376

Penal Code (45 of 1860), Sections 302, 304 Part—I — Culpable Homicide — Appellant/husband and the deceased/wife were inside the room at the time of the incident and the door of the room was bolted from inside — The death of the deceased was homicidal in nature as a result of injuries caused by sharp weapon and acid — Appellant in his statement under Section 313 of the Cr.P.C. has not stated the fact that there was quarrel took place between him and the deceased and on account of sudden quarrel and in heat of passion, he himself caused injuries to the deceased — Appellant must be held to cause death in ordinary course of nature. [Anil Sharma alias Anil Namdev Vs. State

मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया — अन्य स्वरथता प्रमाण पत्र मृत्युकालिक कथन अभिलिखित होने के उपरांत अभिप्राप्त किया गया — मृतिका द्वारा दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी एक मृत्युकालिक कथन है — दोनों मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है — अपीलार्थींगण घारा 302 के अंतर्गत उचित रुप से दोषी पाये गये — अपील खारिज। (गुड्डा उर्फ सुल्लतान सिंह वि. म.प्र. राज्य)

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 302 — हत्या — मृतिका अपने घुटनों तक 80 प्रतिशत जली थी — उसकी मृत्यु, मृत्युपूर्व कारित क्षतियों से उत्पन्न रक्तविशाक्तता (सेप्टीसेमिया) के कारण हुई — अभिलेख पर कुछ नहीं कि सेप्टीसेमिया जलने की चोटों के कारण नहीं हुआ था — अपीलार्थींगण हत्या कारित करने के दोषी — अपील खारिज। (गुड्डा उर्फ सुल्लतान सिंह वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*57

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 302 – देखें – साक्ष्य अधिनियम, 1872, घारा 3 (ब्रजलाल घोसी वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1351

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 302 – देखें – साक्ष्य अधिनियम, 1872, धाराएँ 3 व 27 (प्रेमदास अहिरवार वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1381

दण्ड संहिता (1860 का 45), घाराएँ 302 व 304 — हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वघ — अपीलार्थी की ओर से हत्या कारित करने का कोई उद्देश्य या कोई वैमनस्यता नहीं — घटना अचानक हुई और घटना की शुरुआत के बारे में किसी भी साक्षी का कथन नहीं — किन्तु, परिस्थित दर्शाती है कि मृतक ने अपीलार्थी के साथ गाली—गलौं की थी और इसलिए, उसने कुल्हाड़ी उठायी और उस पर हमला कर दिया — चूंकि अपीलार्थी ने गर्दन पर केवल एक वार किया था — प्रकरण घारा 304 भाग II की परिधि में आता है — अपील अंशतः मंजूर। (नारायण वि. म.प्र. राज्य)

वण्ड संहिता (1860 का 45), घाराएँ 302, 304 माग- I — सदीष मानववध — अपीलार्थी /पित और मृतिका /पत्नी, घटना के समय कमरे के अंदर थे और दरवाजे की चिटकनी अंदर से बंद थी — मृतिका की मृत्यु मानववध स्वरुप की थी जो घारदार हथियार व एसिड से कारित चोटों के कारण हुई थी — अपीलार्थी ने द.प्र.सं. की घारा 313 के अंतर्गत अपने कथन मे यह तथ्य नहीं बताया कि उसके और मृतिका के बीच झगड़ा हुआ और अचानक हुए झगड़े से और मावना की तीव्रता में, उसने स्वयं मृतिका को चोटें कारित की — अपीलार्थी द्वारा प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने की घारणा नहीं की जानी चाहिए। (अनिल शर्मा उर्फ अनिल नामदेव वि. म.प्र. राज्य)

of M.P.] (DB)...*53

Penal Code (45 of 1860)] Section 302 or 304 Part I – Murder or Culpable Homicide not amounting to murder – Deceased used to offer pooja and was also blowing conch shell during dawn hours which was disliked by appellant – On the date of incident appellant came out with an iron rod and dealt a blow when the deceased was coming back after offering pooja – There appears no previous enmity and the incident had occurred all of a sudden on account of the blowing of conch shell – Act of appellant falls within the ambit and scope of Section 304 part I – Sentenced to 10 years R.I. [Chandrashekhar Vs. State of M.P.]

(DB)...1321

Penal Code (45 of 1860), Sections 302 or 304-II — Murder or Culpable Homicide not amounting to murder — Deceased rushed to the place of incident in order to save his son who was being assaulted by fists by the appellant — Appellant gave solitary knife blow in the abdomen of the deceased — Held — Act of appellant can be held to be abrupt and sudden—It can not be held with certainty that he intended to cause death of the deceased—Doctor has also not stated that injury was sufficient in ordinary course of nature to cause death—Case falls within the ambit of offence under Section 304-II—Appeal allowed accordingly. [Hyder @ Munda Vs. State of M.P.] (DB)...1361

Penal Code (45 of 1860), Section 302 or 304 Part II – Murder or Culpable Homicide not amounting to murder — Daughter of the deceased drove out a cow of the accused from her field and accused manhandled her — Deceased came and indulged in grappling with accused who had a gun — Accused and his father also received injuries — Deceased died because of gun shot fired by appellant — Circumstances show that appellant had no intention to commit murder of deceased — In a sudden altercation, appellant fired a single shot — Appellant liable to be convicted under Section 304 Part II of I.P.C. — Appeal partly allowed. [Pawan Shukla Vs. State of M.P.] (DB)...1019

Penal Code (45 of 1860), Sections 302, 304 Part II – Murder or Culpable Homicide not amounting to murder – Panchayat was convened and allegations of playing witchcraft was leveled against deceased and other two ladies – Appellants started beating the ladies by fists and blows – Deceased died due to the injuries sustained by her

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 302 या 304 भाग I - Eत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध — मृतक बहुधा पूजा किया करता था और सुबह के समय शंख बजाया करता था, जिसे अपीलार्थी द्वारा नापंसद किया जाता था — घटना दिनांक को अपीलार्थी लोहे की राड के साथ आया और मृतक जब पूजा करके लौट रहा था उसे चोट कारित की — यह प्रतीत होता है कि कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी घटना अचानक शंख बजाने के कारण हुई — अपीलार्थी का कृत्य धारा 304 माग I की परिधि और क्षेत्र के अंतर्गत आता है — 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डादिष्ट किया गया। (चन्द्रशेखर वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1321

दण्ड संहिता (1860 का 45), घाराएँ 302 व 304 II — हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वघ — मृतक घटनास्थल पर अपने पुत्र को बचाने के लिए दौड़ा जिस पर अपीलार्थी द्वारा घूसों से हमला किया जा रहा था — अपीलार्थी ने मृतक के पेट पर चाकू का एकमात्र घाव किया — अमिनिर्घारित — अपीलार्थी का कृत्य अप्रत्याशित तथा अचानक होना माना जा सकता है — यह धारणा नहीं की जा सकती कि उसका आशय मृतक की मृत्यु कारित करना था — चिकित्सक ने मी यह कथन नहीं किया है कि चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी — प्रकरण धारा 304 भाग II के अंतर्गत अपराध की परिधि में आता है — तद्नुसार अपील मजूर। (हेदर उर्फ मुन्डा वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1361

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 302 या 304 भाग II — हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वद्य — मृतक की पुत्री ने अपने खेत से अभियुक्त की गाय को भगाया तो अभियुक्त ने उसके साथ दुर्व्यहार किया — मृतक आया और अभियुक्त के साथ जिसके पास बंदूक थी हाथापाई करने लगा — अभियुक्त और उसके पिता को भी चोटें आयीं — अपीलार्थी द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली के कारण मृतक की मौत हो गई — परिस्थितियां दर्शाती हैं कि अपीलार्थी का आशय मृतक की हत्या कारित करना नहीं था — अचानक कहा सुनी में अपीलार्थी ने एकमात्र गोली दागी — अपीलार्थी भा.द.सं. की घारा 304 के भाग II के अंतर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य — अपील अंशतः मंजूर। (पवन शुक्ला वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1019

दण्ड संहिता (1860 का 45), घाराएँ 302, 304, भाग II — हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वघ — पंचायत बुलाई गई और मृतिका तथा अन्य दो महिलाओं के विरुद्ध जादू टोना करने के आरोप लगाये गये — अपीलार्थींगण ने महिलाओं के साथ मुष्टि और घूसों से मारपीट शुरु की — मृतिका को आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई — अमिनिर्धारित — मृतिका वृद्ध एवं

Held – Deceased was old and frail women suffering from pneumonia
 Appellants knew that assault on her by fists and blows was likely to result in her death – Appellants guilty of committing offence under Section 304 Part II of I.P.C. – Sentenced to 5 years R.I. and fine of Rs. 1,000 – Appeal partly allowed. [Dhansampat Vs. State of M.P.]

(DB)...1032

Penal Code (45 of 1860), Sections 302, 304-B & 306 – Murder or Dowry death – Deceased died an unnatural death by hanging – No evidence that any injury was caused to deceased during her life time leading to her death – Death of deceased could not be said to be covered under Section 299 of IPC – Order framing charge under section 302 set aside – Charges under sections 304-B, 306 of IPC have rightly been framed – Revision partly allowed. [Sanjay Mehra Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Section 304-B – Dowry Death – Proof – Unless there is evidence to show that soon before death, victim was subjected to cruelty by husband or in-laws in connection with demand of dowry, conviction can not be based. [Santosh Singh Vs. State of M.P.] ...1339

Penal Code (45 of 1860), Section 304 Part-II — Culpable homicide not amounting to murder—Temporary bridge of an inferior quality was constructed on a river by the contractor under the supervision of the applicant and others—Bridge fell down as Jeep was passing through it—Seven persons died due to drowning—Offence under Section 304 Part-II made out—Revision dismissed. [Badri Prasad Tiwari Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Section 304 Part II – See – Evidence Act, 1872, Section 3 [Sunder Lal Vs. State of M.P.] ...1313

Penal Code (45 of 1860), Sections 304, 304A — Culplable Homicide or causing death by negligent act — Appellant a tattooist by profession, undertook to cure deceased by making tattoos on his temples and occiput — In the process, deceased sustained internal injuries and was rendered unconscious — His son took him to Civil Hospital where he was declared as brought dead — Held — Appellant had no intention to cause death or knowledge that the injuries caused by him would be

कमजोर महिला थी जो निमोनिया से ग्रस्त थी — अपीलार्थीगण जानते थे कि उस पर मुष्टि और घूसों से हमला करने के परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु संभावित थी — अपीलार्थीगण मा.द.सं. की घारा 304 माग II के अंतर्गत अपराध कारित करने के दोषी — 5 वर्ष के सम्भम कारावास तथा रुपये 1,000/— के अर्थदंड से दण्डादिष्ट किया गया — अपील अशतः मंजूर। (धनसम्पत वि. म.प्र. राज्य) (DB)...1032

दण्ड संहिता (1860 का 45), घाराएँ 302, 304-बी व 306 - हत्या या दहेज मृत्यु - मृतिका फांसी लगाकर अप्राकृतिक रुप से मरी - कोई साक्ष्य नहीं कि मृतिका को उसके जीवन काल में कोई चोट कारित की गई जो मृत्यु की ओर ले जाती है - मृतिका की मृत्यु मा.द.स. की घारा 299 के अंतर्गत होना नहीं कहा जा सकता - घारा 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश अपास्त - मा. द.स. की घारा 304-बी, 306 के अंतर्गत आरोप उचित रुप से विरचित किये गये - पुनरीक्षण अंशतः मंजूर। (संजय मेहरा वि. म.प्र. राज्य) ...1430

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 304बी, — दहेज मृत्यु — सबूत — जब तक यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि पीड़िता के साथ मृत्यु से तुरंत पूर्व पित या ससुरालवालों द्वारा दहेज की मांग से संबंधित क्रूरता का व्यवहार किया गया, दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा सकती। (संतोष सिंह वि. म.प्र राज्य) ...1339

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 304 भाग II — हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वघ — आवेदक तथा अन्य के पर्यवेक्षण में ठेकेदार द्वारा नदी पर निम्न स्तर के अस्थायी पुल का निर्माण किया गया — जब जीप उस पर से गुजर रही थी पुल नीचे गिरा — सात व्यक्तियों की डूबने से मृत्यु हुई — घारा 304 भाग II के अंतर्गत अपराध बनता है — पुनरीक्षण खारिज। (बद्दी प्रसाद तिवारी वि. म.प्र. राज्य)

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 304 भाग II – देखें – साक्ष्य अधिनियम, 1872, घारा 3 (सुन्दर लाल वि. म.प्र. राज्य)1313

दण्ड संहिता (1860 का 45), धाराएँ 304, 304ए — अपराधिक मानव वघ या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु — अपीलार्थी पेशे से एक टैटू बनाने वाला, मृतक के माथे पर तथा मस्तिष्क के पिछले माग पर टैटू बनाकर उसके उपचार का वचन दिया — प्रक्रिया में मृतक को अंदरुनी क्षतियां पहुंची और वह बेहोश हो गया — उसका पुत्र उसे सिविल अस्पताल ले गया जहां उसे मृत लाया जाना घोषित किया गया — अमिनिर्घारित — अपीलार्थी का मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था या ज्ञान था कि उसके द्वारा

sufficient in the ordinary course of nature to cause death – Tattooing on the vital parts viz. temples as well as occiput gave a proximate cause of the death – Appellant ought to have been held guilty of causing death by professional negligence, punishable under Section 304A of the Act – Conviction under Section 304 Part II altered to Section 304A – Appeal partly allowed. [Sukku alias Sukhrat Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Section 304 Part II or 324 – Culpable Homicide not amounting to murder or simple injury – Prosecution filed charge sheet under Section 302 – Appellant alleged to have caused injury on the head from blunt side of Farsa – Other unknown co-accused persons neither arrested nor identified – Deceased died because of rupture of liver which is attributable to other accused person – Injury caused by appellant not responsible for death of deceased – Co-accused persons have not been brought to books at all – Appellant can be convicted only for offence under Section 324 of I.P.C. – Sentenced to imprisonment already undergone – Appeal partly allowed. [Mukesh Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Section 306 – Abetment to commit suicide – Deceased died all of a sudden in suspicious circumstances in her matrimonial house – Fact of death was informed by respondents to parents of deceased – Any instance saying a lady Kali, Kaluti and Jungali or such like words can not be said to be abetment – Appeal dismissed. [State of M.P. Vs. Rubai Singh] ...1372

Penal Code (45 of 1860), Section 306 – See – Criminal Procedure Code, 1973, Sections 226, 227 [Naval Kishore Sharma Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Section 307, Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 227—Attempt to murder—Framing of Charge—Lacerated wound inflicted on the head from blunt side of Pharsi—Doctor certified the injury as dangerous to life—Framing of charge under Section 307 of I.P.C. upheld as grave suspicion of commission of offence is prima facie made out. [Indar Singh Vs. State of M.P.]

...1451

Penal Code (45 of 1860), Section 307, Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 320 – Compromise of non-compoundable

कारित क्षतियां प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त होगी — माथा तथा मस्तिष्क के पिछले हिस्से नामक कोमल अंग पर टैटू करना मृत्यु का नजदीकी कारण बना — अपीलार्थी को उपेक्षापूर्ण व्यवसाय द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी माना जाना चाहिए था जो अधिनियम की घारा 304ए के अंतर्गत दण्डनीय है — घारा 304 माग II के अंतर्गत की दोषसिद्धि घारा 304ए में संपरिवर्तित की गई — अपील अंशतः मंजूर। (सुक्कू उर्फ सुखरत वि. म.प्र. राज्य)

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 304 माग II या 324 — हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वघ या साघारण चोट — अमियोजन ने घारा 302 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया — अपीलार्थी ने अमिकथित रूप से फरसे की मौथरी तरफ से सिर पर चोट कारित की — अन्य अज्ञात सह अमियुक्त गण को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही पहचान की गई — मृतक की यकृत फट जाने के कारण मृत्यु हो गई जिसके लिये अन्य अमियुक्त जिम्मेदार थे — अपीलार्थी द्वारा कारित की गई चोट मृतक की मृत्यु के लिये जिम्मेदार नहीं — सह अमियुक्त गण को दिण्डत नहीं किया गया है — अपीलार्थी को केवल भा.दं.सं. की घारा 324 के अंतर्गत अपराध के लिये दाषसिद्ध किया जा सकता है — मुगताए जा चुके कारावास से दंडित किया गया — अपील अंशतः मंजूर। (मुकेश वि. म.प्र. राज्य) ...1014

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 306 — आत्महत्या का दुष्प्रेरण — मृतिका की संदिग्घ परिस्थितियों में अचानक ससुराल में मृत्यु हो गई — प्रत्यर्थींगण ने मृतिका के माता—पिता को मृत्यु के तथ्य से अवगत कराया — किसी महिला को उदाहरणार्थ काली, कलूटी और जंगली कहना या किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग दुष्प्रेरण नहीं कहा जा सकता — अपील खारिज। (म.प्र. राज्य वि. रूबाई सिंह)1372

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 306 – देखें – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, घाराएँ 226, 227, (नवल किशोर शर्मा वि. म.प्र. राज्य) ...1444

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 307, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), घारा 227 — हत्या का प्रयत्न — आरोप विरचित किये जाना — फरसी के मौथरे हिस्से से सिर पर फटा घाव कारित किया गया — चिकित्सक ने चोट को जीवन के लिए घातक होना प्रमाणित किया — मा.द.सं. की घारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित करने को अभिपुष्ट किया गया क्योंकि प्रथम दृष्टया अपराध कारित किये जाने का गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। (इन्दर सिंह वि. म.प्र. राज्य) ...1451

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 307, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धारा 320 – अशमनीय अपराध में समझौता – प्रमाव – अशमनीय अपराध offence – Effect – Non compoundable offence can not be compounded – However, the fact of compromise can be considered in awarding sentence – Incident took place about 20 years back – Appellant was 19 years of age and has remained in jail for a period of 5 months – Sentence reduced to period already undergone. [Anil Kumar Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Section 307 – See – Criminal Procedure Code, 1973, Section 222 [Roop Singh Vs. State of M.P.] ...1048

Penal Code (45 of 1860), Sections 307, 323 & 324 – Attempt to murder – Applicants armed with firearms and assaulted by base of firearm but no grevious injury was caused to victim – No intention or knowledge on the part of applicants to cause murder of victim is prima facie established – No charge under Section 307 of IPC can be framed. [Anil alias Noni Panda Vs. State of M.P.] ...1081

Penal Code (45 of 1860), Sections 307 & 324 – Attempt to commit murder or simple injury – Incised wound found over left scapular region measuring 8x4x6cm with foster, muscles, blood vessels and nerves cut – No exact opinion regarding nature of injury stated by Doctor – No fracture found – Alleged incised wound would be simple hurt and not under Section 307 of I.P.C. [Shivraj Sahu Vs. State of M.P.] ...*71

Penal Code (45 of 1860), Section 307 or 325 - See - Criminal Procedure Code, 1973, Section 227 [Gulab Vs. State of M.P.] ...1055

Penal Code (45 of 1860), Section 307, 326 – See – Criminal Procedure Code, 1973, Section 222 [Ram Krishna Vs. Prabhu Baiga] ...*45

Penal Code (45 of 1860), Section 323 – Sentence – Incident occurred about 18 years ago – Compromise has also been arrived at between the parties – Sentence reduced to period already undergone and fine amount is enhanced from Rs. 500 to Rs. 1000/-. [Phool Singh Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Section 323 – Sentence – Incident took place in the year 2000 – Appellant do not possess any criminal antecedent – Being first offender entitled to some lenient view in imposition of sentence – Sentence reduced to period already undergone.

को शमनीय नहीं किया जा सकता — अपितु, समझौते के तथ्य को दण्डादेश प्रदान करते समय विचार में लिया जा सकता है — घटना लगमग 20 वर्ष पूर्व घटित हुई — अपीलार्थी 19 वर्ष की आयु का था और 5 माह की अवधि तक जेल में रहा है — दण्डादेश को मुगताई जा चुकी अवधि तक घटाया गया। (अनिल कुमार वि. म.प्र. राज्य)

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 307 – देखें – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 222 (रूप सिंह वि. म.प्र. राज्य)1048

दण्ड संहिता (1860 का 45), धाराएँ 307, 323 व 324 — हत्या का प्रयत्न — आवेदकगण अग्नेयास्त्रों से सुसज्जित और अग्नेयास्त्र के उल्टी ओर से हमला किया, आहत को कोई गंभीर चोट कारित नहीं हुई — आवेदकगण का पीड़ित की मृत्यु कारित करने का कोई आशय या ज्ञान नहीं था, प्रथम दृष्ट्या स्थापित होता है — मा.द.स. की घारा 307 के अंतर्गत कोई आरोप विरचित नहीं किया जा सकता। (अनिल उर्फ नोनी पंडा वि. म.प्र. राज्य)1081

दण्ड संहिता (1860 का 45), धाराएँ 307 व 324 — हत्या कारित करने का प्रयत्न या साधारण चोट — बायें कंधें के भाग पर 8x4x6 सेमी. आकार का कटा घाव पाया गया तथा फोस्टर, मांसपेशियां, रक्त वाहिनियां एवं तंत्रिकायें कटी हुई पाई गई — घाव की प्रकृति के संबंध में चिकित्सक द्वारा कोई निश्चित राय नहीं दी गयी — कोई अस्थि मंग नहीं पाया गया — अभिकथित कटा हुआ घाव साधारण उपहित होगी और न कि भा.द. सं. की घारा 307 के अंतर्गत। (शिवराज साह वि. म.प्र. राज्य)*71

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 307 या 325 – देखें – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 227 (गुलाब वि. म.प्र. राज्य)1055

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 307, 326 – देखे – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 222 (राम कृष्ण वि. प्रभू बैगा) ...*45

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 323 — दण्डादेश — घटना करीब 18 वर्ष पूर्व घटित हुई — पक्षकारों के मध्य समझौता भी हो गया है — दण्डादेश भुगताई जा चुकी अवधि तक घटाया गया और अर्थदण्ड की राशी रुपये 500 से बढ़ाकार रुपये 1000/— की गई। (फूलसिंह वि. म.प्र. राज्य) ...1368

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 323 — दण्डादेश — घटना वर्ष 2000 में घटित हुई — अपीलार्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं — प्रथम अपराध होने से दण्ड में कुछ उदार दृष्टिकोण का हकदार — मुगताई जा चुकी अवधि तक दण्डादेश घटाया गया। (पिल्लू उर्फ प्यारेलाल वि. म.प्र. राज्य)1309

[Pillu Alias Pyarelal Vs. State of M.P.]

...1309

Penal Code (45 of 1860), Sections 326 & 325/34 — Simple or Grevious Injury — Complainant in the morning accompanied with his son and others went to plough his field — Appellant with farsa and other co-accused lashed with sticks and asked to stop ploughing — Appellant gave blow of farsa in the occipital region to the complainant — Held — Injuries are simple in nature as no bony injury was found, hence offence u/s 326 IPC not made out — Injuries not grevious in nature hence 325 not made out — Appellant convicted under section 324/34 IPC — Appeal allowed in part. [Ram Singh Vs. State of M.P.] ...1302

Penal Code (45 of 1860), Section 329 – Nature of Injuries – To constitute offence under Section 329, nature of injuries should be grevious – No bony injury was found – No offence under Section 329 made out. [Anil alias Noni Panda Vs. State of M.P.] ...1081

Penal Code (45 of 1860), Section 376 – Age – Father of prosecutrix did not say about age – Ossification report says that prosecutrix was found to be between 15-17 years – When two probable circumstances are available, the Court is bound to adopt the view which is favorable to the accused – Prosecutrix was aged about 17 years – No offence under Section 376 of I.P.C. made out as prosecutrix was consenting party. [Sukhdeo Vs. State of M.P.] ...1345

Penal Code (45 of 1860), Section 376 – Rape – Promise of marriage – Prosecutrix already married – No divorce taken place therefore, she can not remarry during subsistence of first marriage – She developed physical relations with appellant voluntarily having the knowledge that she being married with some other person could not get marry with appellant – Prosecutrix was consenting party. [Sukhdeo Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Sections 376 & 450, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (33 of 1989), Section 3(1)(xi)(xii) — Rape — Dehati Nalishi was recorded at the house of Pradhan, in which factum of rape was not disclosed by prosecutrix — Medical examination after 15 days of the incident — Prosecutrix version was not in consonance with her earliest version — Maxim "falsus in uno falsus in omibus" not applicable in India — Held — Offence of

i.,

दण्ड संहिता (1860 का 45), धाराएँ 326 व 325/34 — साधारण अथवा गंभीर क्षति — शिकायतकर्ता सुबह अपने पुत्र एवं अन्य के साथ अपने खेत पर हल चलाने के लिये गया — अपीलार्थी ने फरसे से और अन्य सह—अभियुक्त ने लाठियों से हमला किया और हल चलाना रोकने को कहा — अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के मस्तिष्क के पिछले माग पर फरसे का प्रहार किया — अमिनिर्धारित — क्षतियां सामान्य प्रकृति की हैं क्यों कि कोई अस्थि चोट नहीं पाई गयी अतएव धारा 326 मा. द.स.ं के अंतर्गत अपराध नहीं बनता — क्षतियां गंभीर स्वरुप की नहीं इसलिए 325 गठित नहीं होता — अपीलार्थी को धारा 324/34 मा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया — अपील अंशतः मंजूर। (राम सिंह वि. म.प्र. राज्य) ...1302

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 329 — क्षतियों का स्वरुप — घारा 329 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिये क्षतियों का स्वरुप गंभीर होना चाहिए — अस्थि की कोई चोट नहीं पाई गई — घारा 329 के अंतर्गत कोई अपराध गठित नहीं होता। (अनिल उर्फ नोनी पंडा वि. म.प्र. राज्य) ...1081

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 376 — उम्र — अभियोक्त्री के पिता ने उम्र के बारे में कुछ नहीं कहा — ओसीफिकेशन रिपोर्ट कहती है कि अभियोक्त्री 15—17 वर्ष के बीच की पाई गई — जब दो संमाव्य परिस्थितियां उपलब्ध हैं, न्यायालय वह दृष्टिकोण अपनाने के लिये बाध्य है जो अभियुक्त के पक्ष में है — अभियोक्त्री की उम्र लगमग 17 वर्ष थी — मा.द.सं. की घारा 376 के अंतर्गत कोई अपराध गठित नहीं होता क्योंकि अभियोक्त्री सम्मत पक्षकार थी। (सुखदेव वि. म.प्र. राज्य) ...1345

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 376 — बलात्कार — विवाह का वचन — अभियोक्त्री पहले से विवाहित — विवाह विच्छेद नहीं हुआ है इसलिए, वह पहले विवाह के चलते पुनःविवाह नहीं कर सकती — उसने अपीलार्थी के साथ स्वेच्छापूर्वक शारीरिक संबंध विकसित किया यह जानते हुये कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह के चलते, अपीलार्थी के साथ वह विवाह नहीं कर सकती — अभियोक्त्री सम्मत पक्षकार थी। (सुखदेव वि. म.प्र. राज्य) ...1345

दण्ड संहिता (1860 का 45), धाराएँ 376 व 450, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989 का 33), धारा 3(1)(xi)(xii) — बलात्संग — प्रधान के घर पर अभिलिखित की गई, देहाती नालिश जिसमें अभियोक्त्री द्वारा बलात्कार का तथ्य प्रकट नहीं किया गया — चिकित्सीय परीक्षण घटना के 15 दिन पश्चात — अभियोक्त्रि का कथन उसके पूर्वतर कथन के अनुरुप नहीं था — सूत्र "एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या" मारत में प्रयोज्य नहीं — अभिनिर्धारित — अभियोक्त्रि का शील मंग किये जाने का अपराध स्थापित — तद्ानुसार, धारा 450 के

outraging modesty of prosecutrix established – Accordingly conviction under section 450 converted into 454 – Appeal partly allowed – Conviction under Section 376 read with section 3(i)(xii) of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 set aside, conviction under section 3(i)(xi) maintained. [Betu Vs. State of M.P.]

Penal Code (45 of 1860), Section 376(2)(g) – Gang Rape – Evidence of prosecutrix corroborated by testimony of mother and two other witnesses who were immediately appraised of the incident – Delay of 26 hours in lodging F.I.R. is explained – Held – A very natural and probable version of the prosecutrix was therefore, rightly accepted by the trial Judge – Appeal dismissed. [Bablu Alias Dilip Vs. State of M.P.] ...*54

Penal Code (45 of 1860), Section 420 – Accuasation – Except vague allegations lacking in material particulars, there is nothing in the complaint to constitute the offence of conspiracy – Allegations in the complaint are patently absurd and inherently improbable – Complainant failed to make out a prima facie case – Dispute is of civil nature and the impugned criminal proceeding appears to be frivolous, vexatious and mala fide initiated with the oblique motive – Criminal proceeding against the petitioners is quashed. [LML Limited Vs. Shri Kailash Narain Rai]

Penal Code (45 of 1860), Section 498 – Procedure – Trial Court initially adopted the procedure prescribed for a warrant case instituted otherwise than on a police report – Recorded evidence of respondent and her witnesses at pre-charge stage – Instead of framing charge only explained particulars of offence and thereafter converted the warrant trial into summons trial – Held – Order explaining particulars of offence set aside – Trial Court directed to frame charge of the offence and afford them an opportunity to further cross examine the respondent and her witnesses. [Lakhpati Prasad Vs. Rajni Gupta] ...1464

Penal Code (45 of 1860), Section 498-A — Cruelty — Specific allegation that within 2 years of marriage, deceased was subjected to cruelty by appellants for demand of dowry — Though trial Court has not convicted the accused persons under Section 498-A IPC separately but the High Court found them guilty and punished the accused persons under Section 498-A. [Santosh Singh Vs. State of M.P.] ...1339

अंतर्गत दोषसिद्धि धारा 454 में संपरिवर्तित — अपील अंशतः मंजूर — धारा 376 मा.द. सं. सहपिठत धारा 3(i)(xii) अनुसूचित जाित और अनुसूचित जनजाित (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि अपास्त — धारा 3(i)(xii) के अंतर्गत दोषसिद्धि कायम रखी गई। (बेटू वि. म.प्र. राज्य)1290

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 376(2)(जी) — सामूहिक बलात्कार — अभियोक्त्री की साक्ष्य, माँ तथा दो अन्य साक्षी जिन्हें घटना के बारे में तुरंत बताया गया की परिसाक्षय से संपुष्ठ — प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में 26 घंटों का विलम्ब स्पष्ट किया गया — अभिनिर्धारित — अभियोक्त्री की बहुत स्वामाविक एवं समाव्य कथा को विचारण न्यायाधीश द्वारा उचित रुप से स्वीकार किया गया — अपील खारिज। (बब्लू उर्फ दिलीप वि. म.प्र. राज्य)*54

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 420 — दोषारोपण — शिकायत में मात्र अस्पष्ट अमिकथन तात्विक विशिष्टियों के अमाव में षड्यंत्र का अपराध गठित करने के लिए कुछ नहीं है — शिकायत के अमिकथन स्पष्टतः असगत है तथा अंतर्निहित रूप से असमाव्य है — शिकायतकर्ता प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सावित करने में विफल रहा है — विवाद सिविल प्रकृति का है और आक्षेपित दाण्डिक कार्यवाहियां ओछी, तग करने वाली और दुराशयपूर्ण प्रतीत होती है जो अस्पष्ट उद्देश्य के साथ आरंग की गई है — याचीगण के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां अमिखंडित। (एलएमएल लि. वि. श्री कैलाश नारायण राय)

दण्ड संहिता (1860 का 45), घारा 498 — प्रक्रिया — विचारण न्यायालय ने आरंम में पुलिस रिपोर्ट को छोड़कर अन्य संस्थित वारंट प्रकरण की प्रक्रिया का अवलंब लिया — आरोप—पूर्व प्रक्रम पर प्रत्यर्थी एवं उसके साक्षियों की साक्ष्य अमिलिखित की गई — आरोप विरचित करने की बजाये केवल अपराध की विशिष्टियां स्पष्ट की गई और तत्पश्चात वारंट विचारण को समस विचारण में संपरिवर्तित किया — अमिनिर्धारित — अपराध की विशिष्टियां स्पष्ट करने का आदेश अपरा — विचारण न्यायालय को अपराध के आरोप विरचित करने के लिये और उन्हें प्रत्यर्थी एवं उसके साक्षियों को आगे प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के लिये निदेशित किया गया। (लखपित प्रसाद वि. रजनी गुप्ता) ...1464

वण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 498ए — क्रूरता — विनिर्दिष्ट आरोप कि विवाह के दो वर्ष के मीतर मृतिका के साथ अपीलार्थींगण द्वारा दहेज की मांग के लिए क्रूरता का व्यवहार किया गया — यद्यपि विचारण न्यायालय ने आरोपीगण को पृथक रुप से धारा 498ए मा.द.स. के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया है परंतु उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया और आरोपीगण को धारा 498ए के अंतर्गत दंडित किया। (संतोष सिंह वि. म.प. राज्य)

Penal Code (45 of 1860), Section 498-A – See – Criminal Procedure Code, 1973, Section 320 [Chanda Bai (Smt.) Vs. State of M.P.] ...1469

Police Regulations, M.P.— Clause 70-A — Promotion — Bravest and Extraordinary Act — Superintendent of Police strongly recommended the case of petitioner for the promotion on account of his brave action as he shot down one dacoit — Recommendation subsequently amended on the instructions of I.G. Police and petitioner was left out and name of another Constable was recommended — Held — Case of petitioner was arbitrarily rejected and is similarly situated with the case of another Constable who was given promotion — Respondents directed to consider the name of petitioner for out of turn promotion. [Bhupendra Singh Tomar Vs. State of M.P.] ...1119

Precedent – Contrary View – If the learned Single Judge was of the view that the judgment passed in a previous case was not correct, it was desirable for him as per the well accepted practice and in view of the law laid down by the judgments to have referred the matter to Hon'ble the Chief Justice for constitution of Larger Bench instead of observing against a view taken in the previous case, which was having binding precedent. [Jodhraj Vs. Shri Bhuteshwar Mahadev Mandir Trust, Mandsaur] (DB)...853

Preparation and Revision of Market Value Guideline Rules (M.P.), 2000 – Rules 5 & 10 –Non Compliance of ingredients – Even if ingredients of Rule 5 and Rule 10 are not strictly implemented, it will not render the ultimate determination of market value as illegal – A discretion is vested with the authority to consider the aspects and ingredients mentioned in Rule 5 – In the absence of pointing out any violation of any mandatory, statutory provision, merely because another view is possible, no interference can be made – Petition dismissed. [Ramjilal Kulshrestha Vs. State of M.P.] ...1186

Press and Registration of Books Act, (25 of 1867), Section 8-B
- See - Criminal Procedure Code, 1973, Sections 195 & 340 [Ajay
Jha Vs. Late Shri Bisambhar Dayal Agrawal] ...1208

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Sections 2 & 19 – Public Servant – M.L.A. is a public servant – Cognizance can not be

दण्ड संहिता (1860 का 45), धारा 498-ए - देखें - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 320 (चन्दा बाई (श्रीमति) वि. म.प्र. राज्य) ...1469

पुलिस विनियम, म.प्र. — खण्ड 70ए — पदोन्नित — साहसी और असाधारण कार्य — पुलिस अधीक्षक ने याची द्वारा डकैत को मार गिराने के उसके साहसी कार्य के कारण उसको पदोन्नित के लिये उसके मामले की दृढ़ता से सिफारिश की — सिफारिश को आई. जी. पुलिस के अनुदेशों पर बाद में संशोधित किया गया और याची को बाहर रखा गया और अन्य आरक्षक के नाम की सिफरिश की गई — अमिनिधारित — याची का मामला मनमाने रुप से अस्वीकार किया गया और अन्य आरक्षक जिसे पदोन्नित दी गई के मामले के समानातर स्थित है — प्रत्यर्थीं गण को याची के नाम को बिना क्रम के पदोन्नित के लिये विचार में लेने के लिये निदेशित किया गया। (मूपेन्द्र सिंह तोमर वि. म.प्र. राज्य) ...1119

पूर्व निर्णय – विरोधी दृष्टिकोण – यदि विद्धान एकल न्यायाधीश इस मत के थे कि पूर्ववर्ती प्रकरण में पारित निर्णय सही नहीं था तब उसे मिलमाति स्वीकृत प्रथा एवं निर्णयों द्वारा प्रतिपादित विधि की दृष्टि से वृहद न्यायपीठ का गठन करने हेतु मान्नीय मुख्य न्यायमूर्ति को मामला निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था बजाए पूर्ववर्ती प्रकरण में लिये गये दृष्टिकोण जो बाध्यकारी पूर्व निर्णय था, के विरुद्ध समुक्ति किए जाने के बजाये। (जोधराज वि. श्री मूतेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, मंदसौर)

बाजार मूल्य की तैयारी और पुनरीक्षण मार्गदर्शक नियम (म.प्र.), 2000 — नियम 5 व 10 — घटकांगों का अननुपालन — यदि नियम 5 व नियम 10 के घटकों का कठोरता से पालन नहीं किया गया तब भी उससे बाजार मूल्य का अंतिम निर्धारण अवैध नहीं होगा — नियम 5 में उल्लिखित घटकों एवं पहलुओं पर विचार करने के लिए प्राधिकारी पर विवेकाधिकार निहित है — किसी आज्ञापक, कानूनी उपबंध का कोई उल्लंधन होना दर्शाये नहीं जाने से, मात्र इसलिए कि अन्य दृष्टिकोण संभव है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता — याचिका खारिज। (रामजी लाल कुलश्रेष्ठ वि. म.प्र. राज्य)

प्रेस और पुस्तक रिजस्ट्रीकरण अधिनियम (1867 का 25), धारा 8बी – देखें – देखें – देखें विजया संहिता, 1973, धाराएँ 195 व 340 (अजय झा वि. स्व. श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), घाराएँ 2 व 19 – लोक सेवक – एम.एल.ए. लोक सेवक हैं – मंजूरी के अभाव में सज्ञान नहीं लिया जा सकता। taken in absence of sanction. [State of M.P. Vs. Nanhe Singh] (DB)...1073

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Sections 7, 13(1)(d)/13(2) - Complaint of bribe - Appellant (Head Constable) caught red handed taking bribe - All ingredients present to constitute offence - Bribe money was also seized from possession of appellant - No satisfactory explanation by accused that how the bribe money was received by him - Prosecution proved its case - Appeal dismissed. [Subhash Chandra Joshi Vs. State of M.P.] (DB)...*73

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Section 13(1)(d) — Defence — Probable — Appellant took a defence that the complainant entered inside his office in his absence and put the currency notes in the pocket of his coat which was hanging on his chair — The fact that members of raiding party asked the complainant about the money instead of appellant further corroborates the defence — Appellant had also examined office peon in his defence — Defence taken by appellant was probable — Prosecution failed to prove the guilt of the appellant — Appeal allowed. [Ram Mohan Agrawal (Dead) Through L.Rs. Vs. State of M.P.]

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Section 13(1)(d) — Demand — Appellant demanded Rs. 1 lacs — Appellant accepted amount of Rs. 45,000 — Since, the amount was quite huge it can be inferred that some settlement must have been arrived between appellant and complainant when he handed over the treated currency notes of Rs. 45,000/-. [Surendra Trivedi Vs. State of M.P.] (DB)...*74

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Section 13(1)(d) — Illegal Gratification — Members of the raiding party were standing on the ground floor whereas the complainant had gone to the office of the appellant which is situated on the first floor — Complainant was not accompanied by any member of raiding party — Complainant had sufficient time to come in contact with treated currency notes — If the complainant shakes his hands with the appellant, certainly the particles of phenolphthalein powder will fall on the hands of appellant. [Ram Mohan Agrawal (Dead) Through L.Rs. Vs. State of M.P.] (DB)...*46

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Section 13(1)(d) -

(म.प्र. राज्य वि. नन्हे सिंह)

(DB)...1073

म्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), धाराएँ 7, 13(1)(डी)/13(2) — रिश्वत की शिकायत — अपीलार्थी (हेड कॉन्सटेबल) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया — अपराध गठित करने के लिए सभी घटक मौजूद — अपीलार्थी के कब्जे से रिश्वत की रकम भी जब्त की गई — अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं कि उसके द्वारा रिश्वत की रकम कैसे प्राप्त की गई — अभियोजन ने अपना मामला साबित किया — अपील खारिज। (सुमाष चन्द्र जोशी वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*73

मण्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), धारा 13(1)(डी) — बचाव — संमाव्य — अपीलार्थी ने बचाव लिया कि शिकायतकर्ता ने उसके कार्यालय के मीतर उसकी अनुपरिथित में प्रवेश किया और करेंसी नोटों को उसकी कुर्सी पर टंगे उसके कोट की जेब में रख दिया — तथ्य कि छापामार दल के सदस्यों द्वारा रुपयों के बारे में अपीलार्थी की बजाये शिकायतकर्ता को पूछा जाना बचाव की पुष्टि करता है — अपीलार्थी ने अपने बचाव में कार्यालयीन मृत्य का भी परीक्षण किया — अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव संमाव्य था — अमियोजन अपीलार्थी की दोषिता सिद्ध करने में विफल रहा — अपील मजूर। (राम मोहन अग्रवाल (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि वि. म.प्र. राज्य)

मध्यांचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), धारा 13(1)(डी) — मांग — अपीलार्थी ने एक लाख रुपये की मांग की — अपीलार्थी ने रुपये 45,000/— की रकम स्वीकार की — चूंकि रकम बहुत ज्यादा थी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी व शिकायतकर्ता के बीच कोई समझौता हो गया होगा जब उसने उपचारित करेंसी नोट रुपये 45,000/— उसे सौंपे। (सुरेन्द्र त्रिवेदी वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*74

मुष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 को 49), धारा 13(1)(डी) — अवैध परितोषण — छापामार दल के सदस्य मू—तल पर खड़े थे जबिक शिकायतकर्ता अपीलार्थी के कार्यालय में गया था जो प्रथम मंजिल पर स्थित है — छापामार दल का कोई सदस्य शिकायतकर्ता के साथ नहीं था — शिकायतकर्ता के पास उपचारित करेंसी नोट के सम्पर्क में आने के लिए पर्याप्त समय था — यदि शिकायतकर्ता अपीलार्थी से अपना हाथ मिलाता है तो निश्चित रुप से फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर के कण अपीलार्थी के हाथों में गिरेंगे। (राम मोहन अग्रवाल (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि वि. म.प्र. राज्य)

म्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49); धारा 13(1)(डी) – अवैध परितोषण

Illegal Gratification — Treated currency notes were handed over to the appellant at his residence which were recovered from his possession — Appellant was holding responsible post of Building Officer — He was authorized to sanction maps of buildings etc and to take necessary action against illegal construction including demolition of such structure — Appellant had also given a show cause notice to the complainant against illegal construction — In order to satisfy the lust of his lure, appellant called the complainant at his official residence repeatedly — Circumstances show that the appellant had made demand of bribe and had also accepted the same — Appeal dismissed. [Surendra Trivedi Vs. State of M.P.]

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Section 13(1)(d) – Surveillance or Shadow Witness – Presence of Surveillance or Shadow witness is very much essential to prove what actually transpired at the time of transaction of bribe. [Ram Mohan Agrawal (Dead) Through L.Rs. Vs. State of M.P.] (DB)...*46

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Section 13(1)(d) – Tape Recorder – Admissibility – It is not proved that the voice containing in cassette of the tape recorded is of appellant and complainant by any scientific means and is tallying with admitted voice of appellant and complainant – No reliance can be placed on said electronic evidence. [Surendra Trivedi Vs. State of M.P.] (DB)...*74

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Section 13(1)(d)(e), Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), Section 300 – Double Jeopardy – C.B.I. registered one case under Section 13(1)(e) of Act, 1988 – Another case was registered under Section 13(1)(d) of Act, 1988 for having issued forged fitness certificates after obtaining illegal gratification – Applicant pleaded that as charge sheet under Section 13(1)(d) has already been filed therefore, prosecution of applicant under Section 13(1)(e) bad – Held – Section 300 would apply only when a person has been tried once and convicted by Court of competent jurisdiction – As trial of any of the case has not been completed therefore, this provision would not apply – Although the offence remain criminal misconduct by public servant but the constituent ingredients of both the offences are different – Applicant can be prosecuted for both the offences – Revision dismissed. [B.K. Sahoo (Dr.) Vs. Central

— उपचारित करेंसी नोट अपीलार्थी को उसके निवास पर सौंपे गये जो उसके आधिपत्य से बरामद किये गये थे — अपीलार्थी बिल्डिंग अधिकारी का जिम्मेदार पद धारक था — वह बिल्डिंग का नक्शा आदि मंजूर करने के लिए प्राधिकृत था और अवैध निर्माण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकता था जिसमें उक्त निर्माण को ध्वंस करना शामिल है — अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को अवैध निर्माण के खिलाफ कारण बताओ नोटिस मी दिया था — अपीलार्थी ने अपने प्रलोमन की तीव लालसा की संतुष्टि के अनुक्रम में शिकायतकर्ता को अपने शासकीय आवास पर बार—बार बुलाया — परिस्थतियाँ दर्शाती हैं कि अपीलार्थी ने रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार मी किया था — अपील खारिज। (सुरेन्द्र त्रिवेदी वि. म.प्र. राज्य)

म्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), धारा 13(1)(डी) — निगरानी या छाया साक्षी — निगरानी या छाया साक्षी की उपस्थिति यह साबित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि रिश्वत के संव्यवहार के समय वास्तविक रुप से क्या घटित हुआ। (राम मोहन अग्रवाल (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*46

म्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), धारा 13(1)(डी) — टेप रिर्काडर — ग्राहय्ता — किसी वैज्ञानिक साधन द्वारा यह साबित नहीं हुआ है कि टेप के कैसेट में मौजूद आवाज अपीलार्थी तथा शिकायतकर्ता की है और अपीलार्थी एवं शिकायतकर्ता की स्वीकृत आवाज से मिलती है — उक्त इलेक्ट्रानिक साक्ष्य पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। (सुरेन्द्र त्रिवेदी वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*74

मुष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), धारा 13(1)(डी)(ई), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), धारा 300 — दोहरा संकट — सी. बी. आई. ने अधिनियम 1988 की घारा 13 (1)(ई) के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज किया — अन्य प्रकरण अधिनियम 1988 की घारा 13(1)(डी) के अंतर्गत, अवैध परितोषण अमिप्राप्त करने के पश्चात कूटरचित स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये दर्ज किया गया — आवेदक ने अमिवाक् किया कि घारा 13(1)(डी) के अंतर्गत आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है इसलिए आवेदक का घारा 13(1)(ई) के अंतर्गत अमियोजन अयोग्य — अमिनिर्धारित — घारा 300 लागू होगी जब किसी व्यक्ति का सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और दोषसिद्ध किया गया है — चूंकि किसी प्रकरण का विचारण पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए, यह उपबंध लागू नहीं होगा — यद्यपि अपराध लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार बना रहेगा परन्तु दोनो अपराधों के घटकांग मिन्न हैं — आवेदक को दोनो अपराधों के लिये अमियोजित किया जा सकता है — पुनरीक्षण खारिज। (बी.के. साहू (डॉ.) वि. सेन्द्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) (DB)...1077

Bureau of Investigation]

(DB)...1077

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Section 19 – Cognizance – Once cognizance is taken, the Trial Court can not recall or review the same. [State of M.P. Vs. Nanhe Singh] (DB)...1073

Prevention of Corruption Act (49 of 1988), Section 19 – Cognizance – Respondent was public servant when the cognizance was taken – Taking of cognizance against sitting M.L.A. in absence of sanction was incompetent and illegal – Trial Court may consider the question of taking cognizance afresh in case requisite sanction is obtained or it is established that need of sanction for taking cognizance is no longer an essentiality. [State of M.P. Vs. Nanhe Singh]

(DB)...1073

Prevention of Food Adulteration Act (37 of 1954), Section 13(2) – Forwarding of Report of Public Analyst – Sample of 'Tomato Ketchup' was found adulterated vide Public Analyst Report dated 23.02.2010 – The declaration made on label of Ketchup disclosed that the Ketchup was 'best before 6 months' from January 2010, the months of manufacture – Notice u/s 13(2) was sent to the petitioner only after filing of the complaint before the Court on 29.07.2011 – Held – Notice U/S 13(2) of the Act along with the copy of the report of the Public Analyst was forwarded to the petitioner a year after the expiry of the shelf life of the sample – In such a situation, where no order of conviction can be recorded on the basis of the report, the proceedings are liable to interfered with – Petition allowed. [Prahlad Gattani Vs. State of M.P.]

Public Service (Promotion) Rules, M.P. 2002 – Rule 6 – Promotion – Seniority subject to suitability – Assessment of comparative merits of candidates is impermissible. [Ram Bharose Kamal Vs. State of M.P.]

Public Service (Promotion) Rules, M.P. 2002 – Rule 6(7) – Power of D.P.C. to declare a candidate fit or not fit – Minute reading of rule shows that DPC is empowered to declare the candidate as fit or not fit on the basis of his service record. [Ram Bharose Kamal Vs. State of M.P.]

मुन्दाचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), घारा 19 - संज्ञान - एकः बार संज्ञान लेने के बाद विचारण न्यायालय उसे वापस नहीं ले सकता या उसका पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। (म.प्र. राज्य वि. नन्हे सिंह) (DB)...1073

A Company

मध्याचार निवारण अधिनियम (1988 का 49), धारा 19 — सज्ञान — प्रत्यर्थी लोक सेवक था जब सज्ञान लिया गया — वर्तमान एम.एल.ए. के विरुद्ध बिना मंजूरी सज्ञान लेना अक्षम एवं अवैध — विचारण न्यायालय नया सज्ञान लेने के प्रश्न पर विचार कर सकता है यदि आवश्यक मंजूरी अभिप्राप्त कर ली जाती है अथवा यह स्थापित किया जाता है कि संज्ञान लेने के लिये मंजूरी की अब आवश्यकता नहीं रही। (म.प. राज्य वि. नन्हे सिंह) (DB)...1073

खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम (1954 का 37), धारा 13(2) — लोक विश्लेषक की रिपोर्ट को अगेषित किया जाना — लोक विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 23.02.2010 द्वारा 'टमाटो केचअप' का नमूना अपिमश्रित पाया गया — केचअप के लेबल पर दी गई घोषणा प्रकट करती है कि केचअप उत्पादन के माह जनवरी 2010 से '6 माह के मीतर बेहतर' — याची को घारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस केवल न्यायालय के समक्ष 29.07.2011 को शिकायत प्रस्तुत करने के पश्चात मेजी गई थी — अभिनिर्धारित — अधिनियम की घारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस, लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की कॉपी के साथ याची को नमूने की बने रहने की अवधि समाप्त होने के एक वर्ष पश्चात मेजा गया — ऐसी स्थिति में, रिपोर्ट के आघार पर दोषसिद्धि का कोई आदेश अभिलिखित नहीं किया जा सकता, कार्यवाहियां हस्तक्षेप किये जाने योग्य — याचिका मंजूर। (प्रहलाद गट्टानी वि. म.प्र. राज्य)1454

लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, म.प्र. 2002 – नियम 6 – पदोन्नित – उपयुक्तता के अधीन विश्वता – अभ्यर्थियों के तुलनात्मक गुणदोषों का आंकलन अननुञ्जेय है। (राम मरोसे कमल वि. म.प्र. राज्य)1181

लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, म.प्र. 2002 – नियम 6(7) – अम्यर्थी को योग्य या अयोग्य घोषित करने की डीपीसी की शक्ति – नियम के सूक्ष्म अध्ययन से प्रकट होता है कि डीपीसी अम्यर्थी को उसके सेवा अभिलेख के आधार पर योग्य या अयोग्य घोषित करने के लिये सशक्त है। (राम मरोसे कमल वि. म.प्र. राज्य) ...1181

Public Trust Act, (M.P.) (30 of 1951), Section 26(2)—Application to Court—If the Registrar exercises power under sub-section (2) by moving an application he is required to furnish an opportunity of being heard to the working trustees which is missing in the facts of the present case. [Shivnarayan Mahant Vs. Registrar, Public Trust] ...*70

Public Trust Act, (M.P.) (30 of 1951), Sections 26(2), 27—Power of Court—On receiving rival application/objection for appointment of Managing Trustee and Trustee and proper management of trust property the Registrar Public Trust, made a reference to the Court on three issues—The Court there upon passed the order appointing/nominating the trustees and regarding management of property—Held—Such direction is akin to the provisions of sub section 2(b) of Section 27. [Bharat Kumar Patel Vs. Shri Ram Janki Hanuman Mandir]

...1262

Public Trust Act, (M.P.) (30 of 1951), Section 27, Land Revenue Code, M.P. (20 of 1959), Section 248 – Trespasser of Trust Property – Even the trespasser can not be evicted forcibly without following due process of law – Direction issued by the reference court is modified to the extent that the Registrar Public Trust shall initiate the action against the appellant under Section 248 of the Code and take over the possession of the immovable property by affording an opportunity. [Bharat Kumar Patel Vs. Shri Ram Janki Hanuman Mandir] ...1262

Pujari – Discontinuance of – Gram Panchayat – Unanimous decision to discontinue a Pujari after satisfying itself – Temples were initially maintained by the grant given by erstwhile State but after independence the powers were given to Gram Panchayat – Gram Panchayat is best judge to decide the suitability of Pujari for the purpose of his continuance. [Kailash Narayan Dubey Vs. State of M.P.] ...916

Pujari – Discontinuance of – Reasons – Gram Panchayat satisfied itself by assigning either serious reasons for discontinuance of Pujari – No fault can be found in said decision, even if Petitioner's sons were acquitted in an offence under Section 376 of I.P.C. – The prosecutrix turned hostile, who was wife of the real brother of petitioner, no interference is called for. [Kailash Narayan Dubey Vs. State of M.P.]

लोक न्यास अधिनियम म.प्र. (1951 का 30), झारा 26(2) — न्यायालय को आवेदन — यदि रिजस्ट्रार आवेदन पेश कर उप धारा (2) के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करता है, उसे कार्यरत न्यासियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है जो वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में से लोपित हैं। (शिवनारायण महत वि. रिजस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट)

लोक न्यास अधिनियम म.प्र. (1951 का 30), धाराएँ 26(2), 27 — न्यायालय की शिक्त — प्रबंधक न्यासी और न्यासी की नियुक्ति के लिए तथा न्यास संपत्ति के उचित प्रबंधन के लिए विरोधी आवेदन/आक्षेप प्राप्त करने पर रिजस्ट्रार लोक न्यास ने न्यायालय को तीन विवाधकों पर निर्दिष्ट किया — तद्परांत न्यायालय ने न्यासी की नियुक्ति/नामांकन व संपत्ति के प्रबंधन संबंधी आदेश पारित किये — अभिनिर्धारित — ऐसे निर्देश धारा 27 की उपधारा 2 (बी) के उपबंधों के समान है। (भरत कुमार पटेल वि. श्रीराम जानकी हनुमान मंदिर) ...1262

लोक न्यास अधिनियम म.प्र. (1951 का 30), घारा 27, मू राजस्व संहिता, म. प्र. (1959 का 20), घारा 248 — न्यास संपत्ति का अतिचारी — अतिचारी को भी विधि की सम्यक प्रकिया का अनुपालन किये बिना बलपूर्वक बेदखल नही किया जा संकता — निर्देश न्यायालय द्वारा जारी किये गये निदेश इस सीमा तक परिवर्तित किये गये कि रजिस्ट्रार लोकन्यास अपीलार्थी के विरुद्ध संहिता की घारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करेगा और अवसर प्रदान करके अचल संपत्ति का कब्जा ले लेगा। (भरत कुमार पटेल वि. श्रीराम जानकी हनुमान मंदिर)1262

पुजारी — को हटाया जाना — ग्राम पंचायत — स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात पुजारी को हटाने का सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया — मंदिरों को पहले मृतपूर्व राज्य द्वारा प्रदत्त अनुदान से संधारित किया जाता था परंतु स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात ग्राम पंचायत को शक्तियां दी गयीं — पुजारी के बने रहने के प्रयोजन हेतु उसकी उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिये ग्राम पंचायत सर्वोत्तम निर्णायक है। (कैलाश नारायण दुवे वि. म.प. राज्य)

पुजारी — को हटाया जाना — कारण — ग्राम पंचायत ने पुजारी को हटाने के गंभीर कारणों की स्वयं संतुष्टि की — उक्त निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता — तब भी जब याची के पुत्रों को मा.द.सं. की धारा 376 के अंतर्गत अपराध में दोषमुक्त किया गया — अभियोक्त्रि पक्षद्रोही हो गई जो याची के समे माई की पत्नी थी, हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। (कैलाश नारायण दुबे वि. म.प्र. राज्य). ...916

Pujari – Discontinuance of – There is no Constitutional or statutory provision to determine service condition etc. of Pujari – Neither there is any contract of service – Petitioner has no vested legal or constitutional right to continue. [Kailash Narayan Dubey Vs. State of M.P.]

Pujari – Duties – Income and Expenditure – As Pujari is custodian of a public temple, therefore, he is bound to disclose it to Gram Panchayat and State Officials – Conduct of petitioner deprecated for not disclosing the account – Petitioner directed to submit entire record of his income expenditure and financial status within a period of 7 days – Petition dismissed [Kailash Narayan Dubey Vs. State of M.P.]

Pujari – Misconduct – Conduct of Pujari can not be compared with a public servant – His conduct should be like a saint – Religious history traced which shows that Pujari enjoys a very high position in the mind of people in Indian Society which can not be equated with Civil Post holder – His conduct should be, therefore, in consonance with the said decision. [Kailash Narayan Dubey Vs. State of M.P.]

...916

Railways Act (24 of 1989), Section 106(3) — Refund of Overcharge—Rakes were booked for transportation of cement and the petitioner paid freight—Cement were transported through a shorter route—The difference of amount/excess amount charged for aforesaid kms, which was claimed as refund—The claim was repudiated on the ground of delay—Held—Even a case where refund of excess amount paid towards the freight the same would be a refund of overcharge and is governed by the provisions under Section 106 of the Act—The right of the petitioners' claim for refund of time barred dues towards overcharge being covered by the notification dated 11.01.1995, the respondents were not justified in not referring the same to the General Manager who was empowered to decide the time barred claim. [Maihar Cement (M/s.) Vs. Union of India]

Rewa Revenue and Tenancy Code (of 1935), Section 48(1) – See – Hindu Succession Act, 1956, Section 8 [Virendra Kumar Dwivedi Vs. Tirath Prasad] ...1286

पुजारी — को हटाया जाना — पुजारी की सेवा शर्तो इत्यादि का निर्घारण करने के लिये कोई संवैधानिक अथवा कानूनी उपबंध नहीं हैं — न ही सेवा का कोई अनुबंध है — याची को बने रहने का कोई विधिक या संवैधानिक अधिकार निहित नहीं है। (कैलाश नारायण दुबे वि. म.प्र. राज्य)

पुजारी — कर्तव्य — आय और व्यय — चूकि पुजारी सार्वजनिक मंदिर का परिरक्षक है इसलिए, ग्राम पंचायत और शासन के अधिकारियों को प्रकट करने के लिये बाध्य है — याची के आचरण का तिरस्कार किया गया क्यों कि उसने लेखा प्रकट नहीं किया — याची को अपनी आय व्यय का संपूर्ण अमिलेख और वित्तीय स्थिति 7 दिनों के मीतर प्रस्तुत करने के लिये निदेशित किया गया — याचिका खारिज। (कैलाश नारायण दुवे वि. म.प. राज्य)

पुजारी — अवचार — पुजारी के आचरण की तुलना लोक सेवक के साथ नहीं की जा सकती — उसका आचरण संत जैसा होंना चाहिये — घार्मिक इतिहास खोजा जो दर्शाता है कि पुजारी भारतीय समाज में लोगों के मन में अति उच्च स्थान रखता है जिसे सिविल पद धारक के साथ सिमकृत नहीं किया जा सकता — इसलिय उसका आचरण उक्त निर्णय के अनुरुप होना चाहिये। (कैलाश नारायण दुवे वि. म. प्र. राज्य)

रेल अधिनियम (1989 को 24), घारा 106(3) — अधिमार की वापसी — सीमेंट के परिवहन के लिए रैक (मालगाड़ी के डिब्बे) बुक किये गये और याची ने मालमाड़े का भुगतान किया — सीमेंट का परिवहन नजदीकी मार्ग से किया गया — उपरोक्त किलोमीटर के लिए प्रमार की रकम के अंतर/अतिरिक्त रकम की वापसी का दावा किया गया — विलंब के आधार पर दावे का प्रत्याख्यान किया गया — अभिनिर्धारित — ऐसे मामले में भी जहा मालमाड़े के लिए अदा की गई अतिरिक्त रकम की वापसी, अधिमार की वापसी होगी और अधिनियम की घारा 106 के अंतर्गत उपबंधों द्वारा शासित होगा — याची का अधिमार से संबंधित समय वर्जित देयकों की वापसी हेतु दावे का अधिकार अधिसूचना दिनांक 11.01.1995 द्वारा आच्छादित होने के कारण, प्रत्यर्थींगण द्वारा प्रधान प्रबंधक को निर्दिष्ट नहीं करना, जो समय वर्जित दावे का विनिश्चय करने के लिए सशक्त था, न्यायोचित नहीं था। (मैहर सीमेन्ट (मे.) वि. गूनियन ऑफ इंडिया)

रीवा राजस्व और किरायेदारी संहिता (1935 का), धारा 48(1) — देखें — हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 8 (वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी वि. तीरथ प्रसाद) Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (33 of 1989), Section 3(1)(iv) and (x) – Insult and dispossession – Nothing has been stated by complainant that abuses were hurled on the basis of caste – Further there is no evidence to show that a member of SC/ST was dispossessed from the field – Nothing has come on record to show that the appellants have acquired or cultivated the land owned or possessed by complainant – No offence under Section 3(1)(iv)&(x) of Act, 1989. [Phool Singh Vs. State of M.P.]1368

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (33 of 1989)] Section 3(1)(x) — Prosecution failed to prove the caste of victim by any cogent and reliable document issued by competent authority—By mere oral deposition of witness, this fact would not be deemed to be proved—Appellant acquitted from charge under Section 3(1)(x) of Act, 1989. [Pillu Alias Pyarelal Vs. State of M.P.]

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (33 of 1989), Section 3(1)(x) – See – Criminal Procedure Code, 1973, Section 194 [Rattiram Vs. State of M.P.] (SC)...*47

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (33 of 1989), Section 3(1)(xi) – In order to prove caste of prosecutrix, no admissible evidence or documents issued by competent authority appointed for that purpose has neither been placed on record nor proved the same – Merely on the basis of oral deposition of prosecutrix and witnesses, it can not be deemed that prosecutrix belonged to community covered under the Act. [Munna @ Mahendra Vs. State of M.P.]

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (33 of 1989), Section 3(1)(xi)(xii) – See – Penal Code, 1860, Sections 376 & 450 [Betu Vs. State of M.P.] ...1290

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (33 of 1989)] Section 3(2)(v) — Victim has not stated that she is a member of S.C./S.T. — Victim has also not stated that Bhanumati Caste belongs to S.C./S.T. — No document is proved to indicate that persons belonging to Bhanumati Caste are of S.C./S.T. —

अनुसूचित जाित और अनुसूचित जनजाित (अत्याचार निवारण) अधिनियंम (1989 का 33), धारा 3(1)(iv) व (x) — अपमान व बेकब्जा — शिकायतकर्ता ने कोई कथन नहीं किया कि जाित के आधार पर गाली गलौज की गई — इसके अतिरिक्त यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं कि अनु जाित / अनु जनजाित के सदस्य को खेत से बेदखल किया गया — अभिलेख पर कुछ नहीं आया जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थींगण ने शिकायतकर्ता के स्वामित्व या कब्जे की भूमि उपार्जित की या उस पर खेती की — अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(iv) व (x) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं। (फूलिसंह वि. म.प. राज्य)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989 का 33), धारा 3(1)(x) — अभियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी प्रबल एवं विश्वसनीय दस्तावेज द्वारा पीड़ित की जाति साबित करने में असफल रहा — साक्षियों के मात्र मौखिक अभिकथन द्वारा इस तथ्य का सिद्ध होना नहीं माना जा सकता — अपीलार्थी अधिनियम 1989 की घारा 3(1)(x) के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त। (पिल्लू उर्फ प्यारेलाल वि. म.प्र. राज्य) ...1309

₹.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989 का 33), घारा 3(1)(x) – देखें – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, घारा 194 (रत्तीराम वि. म.प. राज्य)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989 का 33), धारा 3(1)(xi) — अभियोक्त्री की जाति प्रमाणित करने के लिये किसी ग्राह्य साक्ष्य अथवा उस प्रयोजन हेतु नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजों को न तो अभिलेख पर लाया गया और न ही उसे साबित किया गया — मात्र अभियोक्त्री के एवं साक्षीगण के मौखिक कथन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियोक्त्री अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट समुदाय की है। (मुन्ना उर्फ महेन्द्र वि. म.प. राज्य)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989 का 33), घारा 3(1)(xi)(xii) – देखे – दण्ड संहिता, 1860, घाराएँ 376 व 450 (बेटू वि. म.प्र. राज्य)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989 का 33), धारा 3(2)(v) — पीड़िता का यह कथन नहीं कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्या है — पीड़िता ने यह भी कथन नहीं किया कि मानुमति जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में आती है — यह दर्शाने के लिये कोई दस्तावेज सावित नहीं किया गया कि मानुमति जाति के व्यक्ति

Even it is not proved that appellant is not the member of S.C./S.T. or the offence was committed because the victim belongs to S.C./S.T. – Offence under Section 3(2)(v) of Act, 1989 not proved. [Pappu Alias Bharat Singh Vs. State of M.P.] (DB)...*64

Service Law – Appointment – Details of Criminal Case – Petitioner provisionally appointed to post of Sub Inspector/Executive in CISF – On requiring to fill up the attestation form, the petitioner submitted complete details of the criminal case which was pending against him and reasons of acquittal, but he did not supply the copy of order of acquittal – Held – Verification form does not prescribe that document in this regard be also filed – Thus, merely because petitioner has not filed his acquittal order, this can not be said that petitioner has violated clause-8 of verification form – Reason assigned for rejecting the appointment order is arbitrary and capricious in nature - Petition allowed. [Vinod Jayant Vs. Union of India] ...1175

2

ĩ

Service Law – Appointment – Non-Joinder of selected Candidates – Six posts were kept vacant in compliance of interim order – Even in absence of selected candidates, relief can be granted – Writ Petition do not suffer from vice of non-joinder of necessary party. [Anil Bhatt Vs. State of M.P.] ...1146

Service Law - Appointment of Panchayat Karmi - Appointment of appellant as Panchayat karmi was set aside on the grounds (i) there were other candidates who were higher in merit than the appellant, and (ii) that the appellant was convicted for offences under Sections 294, 341, 323, 324 and under Section 3(1)(x) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act - Order was challenged by the appellant on the grounds that (a) the appeal at the instance of respondent No. 5 was not maintainable (b) that at the time when the appellant was appointed on the post of Panchayat Karmi, there were no rules governing the service conditions of Panchayat Karmi and, therefore, the appointment of appellant who is an ex-convict or was not the most meritorious was not barred under any rule - Held - Even there were no service rules at the relevant time an officer, authority or body providing public employment must act in a rational, fair and reasonable manner - The Public appointment can not be permitted to be made at the whims and caprices of the appointing authority - The

, E.,

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं — यह भी साबित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं या अपराध इसलिए कारित किया गया क्यों कि पीड़िता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की थी — अपराध अंतर्गत धारा 3(2)(v) अधिनियम, 1989 साबित नहीं किया गया। (पप्पू उर्फ मरतसिंह वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*64

सेवा विधि — नियुक्ति — आपराधिक प्रकरण का विवरण — याची अनन्तिम रूप से सीआईएसआई में उप निरीक्षक/कार्यपालक के पद पर नियुक्त किया गया — सत्यापन प्रारूप को मरने की अपेक्षा के चलते याची ने आपराधिक प्रकरण का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जो उसके विरुद्ध लंबित था और दोषमुक्ति के कारण, परंतु उसने दोषमुक्ति के आदेश की प्रति प्रदाय नहीं की — अमिनिर्धारित — सत्यापन प्ररूप विहित नहीं करता कि इस संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत करने हैं — अतएव, मात्र इसलिये कि याची ने अपनी दोषमुक्ति का आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, यह नहीं कहा जा सकता कि याची ने सत्यापन प्ररूप के खंड 8 का उल्लंधन किया है — नियुक्ति आदेश अस्वीकार करने के लिए दिये गये कारण मनमाने एवं अनुचित प्रकृति के हैं — याचिका मंजूर। (विनोद जयंत वि. यूनियन ऑफ इंडिया)

सेवा विधि — नियुक्ति — चयनित अभ्यर्थियों का असयोजनं — अंतरिम आदेश के अनुपालन में छः पद रिक्त रखे गये — चयनित अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति में भी अनुतोष प्रदान किया जा सकता है — रिट याचिका आवश्यक पक्षकार के असयोजन के दोष से ग्रसित नहीं। (अनिल मट्ट वि. म. प्र. राज्य) ...1146

सेवा विधि - पंचायत कर्मी की नियुक्ति - पंचायत कर्मी के विरुद्ध में अपीलार्थी की नियुक्ति इन आघारों पर अपास्त की गई -(1) अपीलार्थी से अधिक की गुणवत्ता धारक अन्य अम्यर्थी थे व (2) अपीलार्थी को धारा 294, 341, 323, 324 व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि0 की घारा 3 (1)(x) के अंतर्गत अपराघों के लिए दोषसिद्ध किया गया था - अपीलार्थी के द्वारा आदेश को चुनौती इस आधार पर दी गई थी कि (ए) प्रत्यर्थी क्र. 5 के अनुरोध पर अपील पोषणीय नहीं हैं। (बी) यह कि, अपीलार्थी की पंचायतकर्मी के पद पर नियक्ति के समय पंचायत कर्मी की सेवा शर्ता को शासित करने वाले कोई नियम नहीं थे और इसलिए अपीलार्थी की नियुक्ति जो कि एक पूर्व सिद्धदोष है या अधिक गुणवत्ताघारक नहीं है, किसी नियम के अंतर्गत वर्जित नहीं थी - अभिनिर्घारित -यद्यपि सूसंगत समय पर कोई सेवा नियम नहीं थे, किसी अधिकारी, प्राधिकारी या लोक नियोजन का प्रबंध करने वाले निकाय को युक्तिसंगत, निष्पक्ष व युक्तियुक्त ढंग से कार्यवाही करना चाहिए - लोक नियुक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी की सनक एवं झक्कीपन पर किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती - सार्वजनिक पद के लिए नियुक्ति हेत् अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्णय युक्तिसंगत एवं युक्तियुक्त मानदण्ड पर आधारित होना चाहिए - अपील खारिज। (हरीश चन्द्र यादव वि. म.प्र.

suitability of candidates for appointment to be a public post must be adjudged on the basis of rational and reasonable criteria – Appeal dismissed. [Harish Chandra Yadav Vs. State of M.P.] (DB)...1107

Service Law – Appointment of Panchayat Karmi – Selection of respondent No. 8 as Panchayat Karmi by the Panchayat on basis of majority was not in consonance of the policy of the State Government – The order of Collector setting aside the appointment can not be faulted with. [Maya Devi (Smt.) Vs. State of M.P.] ...1214

Service Law—Appointment—Regularisation is not a permissible mode of appointment, when rules prescribe a procedure of appointment/promotion—Induction can be made only as per those rules. [Ram Kumar Baishander Vs. State of M.P.]

Service Law – Cancellation of Appointment – On the basis of the enquiry report against the petitioner the Collector recorded findings and cancelled the appointment as Contract Teacher – Petitioner challenged the order and submitted that he was condemned and visited with an adverse order, without affording him an opportunity of hearing – Held – Incumbent has failed to prove the prejudice caused for non affording an opportunity of hearing – No interference is evincible – Petition dismissed. [Chakresh Kumar Jain Vs. State of M.P.] ...1251

Service Law – Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, M.P. 1966 – Rule 9(1) – Suspension – Appellant, posted as Chief Municipal Officer and a charge sheet was filed against him under Sections 420, 409, 467 & 120-B of IPC and Section 13(1)(d) & 13(2) of the Prevention of Corruption Act – Pursuant to this he was placed under suspension – Held – The case of the appellant falls under first proviso to Rule 9(1) of the Rules 1966 which is mandatory in nature – The appellant was required to be and has rightly been placed under suspension immediately on filing of a charge sheet against him – Writ Appeal dismissed. [A.P. Singh Gaharwar Vs. State of M.P.]

Service Law - Compassionate appointment - Succession Court answered the legitimacy of petitioner No.1's marriage with the deceased employee, in her favour - The petitioner gets priority right for appointment on compassionate ground - Appointment given to respondent No. 4 (Son of Second Wife) is illegal. [Surendra Shrivastava

राज्य)

(DB)...1107

सेवा विधि — पंचायत कर्मी की नियुक्ति — बहुमत के आधार पर पंचायत द्वारा प्रत्यर्थी क्रं. 8 का पंचायत कर्मी के रुप में चयन राज्य सरकार की नीति के अनुरुप नहीं था — नियुक्ती अपास्त करने के कलेक्टर के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। (माया देवी (श्रीमित) वि. म.प्र. राज्य) ...1214

सेवा विधि — नियुक्ति — नियमितीकरण नियुक्ति की अनुझेय पद्धति नहीं है जब नियम नियुक्ति/पदोन्नित की प्रक्रिया विहित करते हैं — प्रवर्तन केवल उन नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। (राम कुमार बेसंदेर वि. म.प्र. राज्य) ...*65

सेवा विधि — नियुक्ति का निरस्त किया जाना — याची के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने निष्कर्ष अभिलिखित किये और संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्ति निरस्त कर दी — याची ने आदेश को चुनौती दी और निवेदन किया कि उसकी निंदा की गई और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये विना प्रतिकूल आदेश दिया गया — अभिनिर्धारित — पदाधिकारी सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से कारित प्रतिकूल प्रभाव साबित करने में विफल रहा — किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं — याचिका खारिज। (चक्रेश कुमार जैन वि. म.प. राज्य)

सेवा विधि — सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, म.प्र. 1966 — नियम 9(1) — निलम्बन — अपीलार्थी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रुप में पदस्थ और उसके विरुद्ध मा.द.सं. की धारा 420, 409, 467 व 120बी तथा मंद्राचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) व 13(2) के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया — इसके अनुसरण में उसे निलम्बन में रखा गया — अमिनिर्धारित — अपीलार्थी का प्रकरण नियम 1966 के नियम 9(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत आता है जो आज्ञापक स्वरूप का है — अपीलार्थी को उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के तुरंत बाद उसे निलंबित किया जाना चाहिये और उसे उचित रुप से निलंबित किया गया है — रिट अपील खारिज। (ए.पी. सिंह गहरवार वि. म.प्र. राज्य) (DB)...*51

सेवा विधि — अनुकम्पा नियुक्ति — उत्तराधिकार न्यायालय ने याची क्र. 1 के मृतक कर्मचारी के साथ विवाह की धर्मजता को, उसके पक्ष में निर्धारित किया — याची को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिये प्राथमिकता का अधिकार मिलता है — प्रत्यर्थी क्र. 4 (द्वितीय पत्नी के पुत्र) को दी गई नियुक्ति अवैध है। (सुरेन्द्र श्रीवास्तव वि. द जनरल मेनेजर) ...1244

Vs. The General Manager]

...1244

Service Law - Constitution - Article 226 - State Bar Council M.P. Service Rules, 1975 - Rule 5 - Writ of Mandamus - Termination of extended service - Petitioner attained the age of superannuation on 30th April, 2010 and was granted extension upto 30.04.2011 - On 30.04.2011 his extended service also came to an end and between 30th April, 2011 upto 04.09.2011, there was no order continuing him in service i.e. there was no contract of service subsisting as per law - Held -Once the contract of employment came to an end on 30.04.2011, the resolution of the Bar Council dated 04.09.2011 could not extend the service of the petitioner - The decision of the Council is a nullity and is unsustainable - The petitioner can not be deemed to be in service after 30.04.2011 - There could not be extension of a service which had already come to an end on 30.04.2011 - Court can not issue any mandamus for treating the petitioner to be in service - Petition dismissed. [Rajendra Jain Vs. State Bar Council of M.P.1 ...1196

Service Law – Departmental Enquiry – Application for adjournment – Employee sent telegram, registered letters requesting adjournment of enquiry on the ground of ailment – Later on also submitted application for recalling exparte order pregnant with medical certificate – Held – When adjournment is sought on medical ground whether or not it is accompanied by medical certificate, in the interest of justice, time should be granted. [Bhawani Shankar Singhal Vs. State of M.P.]

Service Law — Development Authority Services (Officers and Servants) Recruitment Rules, M.P. 1987 — Promotion on the post of Sub-Engineer — Can be made only as per the method prescribed in the rules — Rules prescribed a method by direct recruitment and promotion — Other methods are accordingly barred — Petitioner is senior to respondent No.3 on the feeder post, he was having requisite experience and eligibility to be considered on the promotional post of Sub-Engineer — Filling up the post of Sub-Engineer by way of regularization is impermissible in law. [Ram Kumar Baishander Vs. State of M.P.]

Service Law – DPC proceedings – Judicial Review – Scope of Judicial Review is limited to the extent of violation of statutory provision or where the proceedings are contrary to the Wednesbury Principles.

सेवा विधि — संविधान — अनुच्छेद 226 — राज्य अधिवक्ता परिषद म०प्र० सेवा नियम 1975 — नियम 5 — परमादेश रिट —बढ़ाई गई सेवा को समाप्त किया जाना — याची ने 30 अप्रैल 2010 को अधिवर्षता की आयु प्राप्त की और उसे 30. 04.2011 तक बढ़ोत्तरी प्रदान की गई — 30.04.2011 को उसकी बढ़ाई गई सेवा मी समाप्त हो गई और 30 अप्रैल 2011 से 04.09.2011 के बीच उसकी सेवा जारी रखने के कोई आदेश नहीं है अर्थात् सेवा जारी रखने की कोई संविदा विधि अनुसार नहीं थी — अमिनिर्धारित — एक बार जब नियोजन की संविदा 30.04.2011 को समाप्त हो गई, अधिवक्ता परिषद् का संकल्प दिनांक 04.09.2011 याची की सेवा नहीं बढ़ा सकता — परिषद् का निर्णय अकृत है और कायम रखने योग्य नहीं है — याची को 30.04.2011 के पश्चात् सेवा में रहना नहीं माना जा सकता — उस सेवा को बढ़ाया नहीं जा सकता जो पहले ही 30.04.2011 को समाप्त हो चुकी है — याची को सेवा में मानने के लिए न्यायालय कोई परमादेश जारी नहीं कर सकता — याचिका खारिज। (राजेन्द्र जैन वि. स्टेट बार कौंसिल ऑफ एम.पी.)1196

सेवा विधि — विमागीय जाँच — स्थगन के लिए आवेदन — कर्मचारी ने बीमारी के आधार पर जांच स्थगित किये जाने का निवेदन करते हुए टेलीग्राम, रिजस्ट्रीकृत पत्र मेजे — बाद में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन भी एक पक्षीय आदेश वापिस लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया — अभिनिर्धारित — जब चिकित्सीय आधार पर स्थगन चाहा गया हो, चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अथवा उसके बगैर, न्यायहित में समय प्रदान किया जाना चाहिए। (भवानी शंकर सिंघल वि. म.प. राज्य)

सेवा विधि — विकास प्राधिकारी सेवा (अधिकारी और सेवक) भर्ती नियम, म. प्र. 1987 — उप अभियंता के पद पर पदोन्नित — केवल नियमों में विहित पद्धित के अनुसार की जा सकती है — नियम सीधी भर्ती और पदोन्नित की पद्धित विहित करते हैं — तदनुसार अन्य पद्धित विबंधित हैं — याची प्रत्यर्थी क्र. 3 से फीडर के पद पर विरिष्ठ है, उसके पास उप अभियंता के पदोन्नित पद पर विचार किये जाने के लिए अनुभव व योग्यता थी — उप अभियंता के पद को नियमितीकरण द्वारा भरा जाना विधि में अननुज्ञेय है। (राम कुमार बेसंदेर वि. म.प. राज्य) ...*65

सेवा विधि — डीपीसी कार्यवाहियां — न्यायिक पुनर्विलोकन — न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र कानूनी उपबंध के उल्लंधन के विस्तार तक सीमित है या जहां पर कार्यवाहियां वेडन्सवरी सिद्धांत के प्रतिकूल हैं। (राम भरोसे कमल वि म.प्र. [Ram Bharose Kamal Vs. State of M.P.]

...1181

Service Law – Increment – Respondent was appointed as A.G.-3 – In his order of appointment a condition was imposed to pass Hindi Typing Examination within two years with a further stipulation that only after one year of passing of such examination he will be entitled for the benefit of regular increments – Thereafter, on his passing of Hindi Typing Examination, the appellant released the regular increments payable after passing of the examination – Held – Passing of typing examination being not essential qualification for the purpose of recruitment, the imposition of stipulation of passing of the Hindi Typewriting Examination as pre-requisite condition for release of the increment can not be said to be justified – The said condition can not be made basis to deny the benefit of regular increments after one year from the date of his initial appointment – Appeal dismissed. [State of M.P. Vs. Onkar Lal] (DB)...1105

Service Law – Panchayats (Appeal and Revision) Rules, M.P. 1995 – Rule 3 – Appointment of Panchayat Karmi – Appeal Against – Person aggrieved – Appellant was appointed as Pachayat Karmi vide order dated 11.08.2007 – Appeal before S.D.O. filed by 'I' was dismissed – A revision preferred by respondent No. 5 before Additional Collector was also dismissed – The respondent No. 5 challenged the order in appeal before the Additional Commissioner – Held – An appeal under Rule 3 can even be preferred by any person aggrieved – Order passed by the Additional Commissioner can not be said to be without jurisdiction. [Harish Chandra Yadav Vs. State of M.P.] (DB)...1107

Service Law – Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 86(2) – Appointment of Panchayat Karmi – Local Resident – Circular dated 13.08.2007, does not create any bar for a candidate who is not a local resident of Panchayat for which the Panchayat Karmi is to be selected. [Ram Lakhan Vs. State of M.P.] ...*66

Service Law – Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, M.P. 1993 (1 of 1994), Section 86(2) – Appointment of Panchayat Karmi – Panchayat was required to appoint Panchayat Karmi within 7 days from 01.12.2007 – Panchayat failed to discharge the duties within the time stipulated by the prescribed authority – It was then beyond the powers of the Gram Panchayat to have passed resolution on a

राज्य)

..1181

सेवा विधि — वेतनवृद्धि — प्रत्यर्थी सहायक गेड—3 के रुप में नियुक्त किया गया — उसके नियुक्ति आदेश में दो वर्षों के मीतर हिन्दी टायिंग उत्तीर्ण करने की शर्त अधिरोपित थी आगे और इस शर्त के साथ कि ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के एक वर्ष पश्चात ही वह नियमित वेतनवृद्धियों के लामों का हकदार होगा — तत्पश्चात, उसके द्वारा हिन्दी टायिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अपीलार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात देय नियमित वेतनवृद्धियों को मुक्त किया — अभिनिर्धारित — चूंकि मतीं के प्रयोजन हेतु टायिंग परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक अर्हता नहीं है, वेतनवृद्धि मुक्त करने के लिए पूर्वाकाक्षित शर्त के रुप में हिन्दी टाईपराईटिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता — उक्त शर्त उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष, पश्चात नियमित वेतनवृद्धियों का लाम अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती — अपील खारिज। (म.प. राज्य वि. अर्थेकारलाल)

सेवा विधि — पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, म.प्र. 1995 — नियम 3 — पंचायत कर्मी की नियुक्ति — के विरुद्ध अपील — पीड़ित व्यक्ति — अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.08.2007 द्वारा पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया — एसडीओ के समक्ष 'आई' द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की गई — अपर कलेक्टर के समक्ष प्रत्यर्थी क0 5 द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण भी खारिज किया गया — प्रत्यर्थी क. 5 ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील में आदेश को चुनौती दी — अभिनिर्धारित — नियम 3 के अंतर्गत अपील किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है — अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश बिना अधिकारिता के होना नहीं कहा जा सकता है। (हरीश चन्द्र यादव वि. म.प्र. राज्य)

सेवा विधि — पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), धारा 86(2) — पंचायत कर्मी की नियुक्ति — क्षेत्रीय निवासी — परिपन्न दिनांक 13.08.2007, अभ्यर्थी के लिए कोई वर्जन निर्मित नहीं करता है. जो कि पंचायत का क्षेत्रीय निवासी नहीं है जिनमें से पंचायत कर्मी नियुक्त किया जाना है। (राम लखन वि. म.प. राज्य)

सेवा विधि — पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, म.प्र. 1993 (1994 का 1), धारा 86(2) — पंचायत कर्मी की नियुक्ति — पंचायत के लिए यह आवश्यक था कि वह दिनांक 01.12.2007 से 7 दिनों के भीतर पंचायत कर्मी की नियुक्ति करे — विहित प्राधिकारी द्वारा बताये गये कर्तव्यों का समय पर निर्वहन करने में पंचायत असफल रही — तब, पश्चातवर्ती दिनांक को संकल्प पारित करना ग्राम पंचायत की

subsequent date – The resolution thus passed on 25.12.2007 by Gram Panchayat was without any authority and was thus, non est. [Ram Lakhan Vs. State of M.P.] ... *66

Service Law – Promotion – Power of DPC to fix a criteria for assessment – DPC has power to fix a criteria to decide whether employee is fit or not fit. [Ram Bharose Kamal Vs. State of M.P.] ...1181

Service Law – Promotion – Right of Promotion – Seniority subject to suitability – One has only a right of consideration – Promotion depends on his suitability which is to be assessed by DPC. [Ram Bharose Kamal Vs. State of M.P.]

Service Law – Punishment – In departmental enquiry, the petitioner was found guilty of concealing the fact that he was under detention (jail) for a week and he also submitted false medical certificate for this period – The order of dismissal from the service would not be said to be shockingly disproportionate – Petition dismissed. [Rajeshwar Rao Vs. Union of India] (DB)...1218

Service Law – Recruitment Process – Criteria – Selection Criteria has to be prescribed in advance – After process of selection is over, criteria for selection can not be changed. [Anil Bhatt Vs. State of M.P.]

Service Law — Recruitment Process — Minimum Qualifying Marks — Requirement of Minimum qualifying marks for written examination and interview was fixed by resolution which was passed before the commencement of selection process — Candidature of candidates was assessed on the basis of uniform criteria — Petitioners have not alleged any arbitrariness or bias in the process of selection — No prejudice caused to petitioners — No interference called for — Petition dismissed. [Jageshwar Prasad Raidas Vs. M.P. State Electricity Board]

Service Law - Recruitment Process - Qualifying Marks - Qualifying marks can be prescribed for written examination as well as for interview - However, such marks have to be prescribed in advance before the commencement of selection process. [Jageshwar Prasad Raidas Vs. M.P. State Electricity Board] ...1150

शक्तियों से परे था — इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प 25.12.2007 विना प्राधिकार के था और इसलिए अकृत था। (राम लखन वि. म.प्र. राज्य) ...*66

सेवा विधि — पदोन्नित — निर्धारण के लिए मानदंड तय करने की डीपीसी की शक्ति — डीपीसी को यह जानने के लिए कि क्या कर्मचारी योग्य है अथवा अयोग्य है, मानदंड तय करने की शक्ति है। (राम भरोसे कमल वि. म.प्र. राज्य) ...1181

सेवा विधि – पदोन्नित – पदोन्नित का अधिकार – उपयुक्तता के अधीन विष्ठता – किसी को केवल विचार में लिये जाने का अधिकार है – पदोन्नित उसकी उपयुक्तता पर निर्मर होती है जैसे कि डीपीसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। (राम भरोसे कमल वि. म.प्र. राज्य)

सेवा विधि — शास्ति — विमागीय जांच में याची को इस तथ्य के छिपाव का दोषी पाया गया कि वह एक सप्ताह के लिए अमिरक्षा (जेल) में था और उसने इस अविध के लिए मिथ्या चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया — सेवा से बर्खास्तगी का आदेश गंभीर रुप से अननुपातित होना नहीं कहा जा सकता — याचिका खारिज। (राजेश्वर राव वि. यूनियन ऑफ इंडिया) (DB)...1218

सेवा विधि - मर्ती प्रक्रिया - मानदंड - चयन का मानदंड पहले से विहित किया जाना चाहिये - चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात, चयन हेतु मानदंड बदले नहीं जा सकते। (अनिल मट्ट वि. म.प्र. राज्य) ...1146

सेवा विधि — मर्ती प्रक्रिया — न्यूनतम अर्डक अक — लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्डक अंकों की आवश्यकता चयन प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व पारित किये गये संकल्प द्वारा निश्चित की गई — अम्यर्थियों की अम्यर्थिता का निर्धारण समान मानदंड के आधार पर किया गया — याचीगण ने चयन की प्रक्रिया में कोई मनमानापन या मेदमाव का अभिकथन नहीं किया है — याचीगण को कोई प्रतिकूल प्रमाव कारित नहीं हुआ — हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं — याचिका खारिज। (जागेश्वर प्रसाद रैदास वि. एम.पी. स्टेट इलेक्ट्रिसटी बोर्ड) ...1150

सेवा विधि – भर्ती प्रक्रिया – अर्हक अंक – अर्हक अंक लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार होतु विहित किये जा सकते हैं – किन्तु ऐसे अंको को चयन प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व पहले से विहित किया जाना चाहिए। (जागेश्वर प्रसाद रैदास वि. एम.पी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) ...1150

Service Law - Recruitment Process - Short listing of Candidates - Short listing can be done on the basis of administrative instructions and the minimum qualifying marks can be prescribed for written examination as well as for interview provided the action is bonafide and reasonable. [Jageshwar Prasad Raidas Vs. M.P. State Electricity Board] ...1150

Service Law - Recruitment Process - Where Statutory Rules prescribe, the prescription of minimum qualifying marks for viva voce, the same should be mentioned in the advertisement. [Jageshwar Prasad Raidas Vs. M.P. State Electricity Boardl ...1150

Service Law - Regularization of Service - Petitioner was appointed as daily rated employee on the post of Chowkidar -Overwhelming material to hold that he is senior to respondent No. 5 who was regularized on 01.01.1990 - Held - Respondents No. 1 to 3 are directed to regularise the services of petitioner w.e.f. 01.01.1990 alongwith difference of wages to be paid to the petitioner - Petition allowed. [Santosh Kumar Vishwakarma Vs. M.P. Housing Board]

...1156

Service Law - State Bar Council M.P. Service Rules, 1975 -Writ of Mandamus -Termination of extended service - Misjoinder of parties - Chairman terminating the extended service of petitioner -Individual Members of the Bar Council impleaded as party - They were not required to be impleaded - But on said ground the petition can not be dismissed. [Rajendra Jain Vs. State Bar Council of M.P.]

...1196

Specific Relief Act (47 of 1963) - Suit for declaration - Suit for declaration of right in joint family property is maintainable without a separate prayer for consequential relief of possession - Bar of Section 34 of Act, 1963 not attracted. [Pheraniya Vs. Maujilal] ...968

Specific Relief Act (47 of 1963), Section 6 - Suit for recovery of possession - Plaintiff/respondent claimed title on the basis of an unregistered sale deed - Provisions of Act, 1963, Registration Act, Indian Stamp Act, and Contract Act are not to be ignored - Nothing on record that respondent No.1 was in lawful possession of the property-No decree can be drawn in her favor. [Aruna Gautam (Smt.) Vs. Smt. Arti] ...1410

सेवा विधि – भर्ती प्रक्रिया – अम्यर्थियों को सूचीबद्ध करना – सूचीबद्ध करना प्रशासनिक अनुदेशों के आधार पर किया जा सकता है एवं न्यूनतम अर्हक अंक लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु विहित किये जा सकते हैं इस उपबंध के साथ कि कार्यवाही सद्भावपूर्ण और युक्तियुक्त है। (जागेश्वर प्रसाद रैदास वि. एम. पी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड)

सेवा विधि – भर्ती प्रक्रिया – जहाँ कानूनी नियम में साक्षात्कार (वाईवा–वोस) हेतु न्यूनतम अर्हक अंक विहित करने के निदेश दिये गये हैं. उसे विज्ञापन में उ उल्लिखित किया जाना चाहिए। (जागेश्वर प्रसाद रैदास वि. एम.पी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड)

सेवा विधि — सेवा का नियमितीकरण — याची को दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप में चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया — यह धारणा करने के लिए प्रचुर सामग्री है कि वह प्रत्यर्थी क. 5 से वरिष्ठ है जिसे 01.01.1990 को नियमित किया गया था — अभिनिर्धारित — याची की सेवाओं को 01.01.1990 से प्रमावी रूप से याची को देय वेतन के अंतर के साथ नियमित करने के लिए प्रत्यर्थी क. 1 से 3 को निदेशित किया गया — याचिका मंजूर। (संतोष कुमार विश्वकर्मा वि. एम.पी. हाउसिंग बोर्ड)

सेवा विधि — राज्य अधिवक्ता परिधाद म.प्र. सेवा नियम 1975 — परमादेश रिट — बढ़ाई गई सेवा को समाप्त किया जाना — पक्षकारों का कुसंयोजन —अध्यक्ष द्वारा याची की बढ़ाई गई सेवा समाप्त की गई — अधिवक्ता परिषद् के व्यक्तिगत सदस्य पक्षकार के रूप में जोड़े गये — वे जोड़े जाना अपेक्षित नहीं — परतु उक्त आधार पर याचिका खारिज नहीं की जा सकती। (राजेन्द्र जैन वि. स्टेट बार की सिल ऑफ एम.पी.)

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनयम (1963 का 47) — घोषणा के लिए वाद — संयुक्त कुटुम्ब सम्पित्त में अधिकार की घोषणा के लिये वाद, कब्जे के परिणामिक अनुतोष हेतु पृथक प्रार्थना के बिना पोषणीय है — अधिनियम 1963 की घारा 34 का विवध आकर्षित नहीं होता। (फेरानिया वि. मौजीलाल)

विनिर्दिष्ट अनुताय अधिनियम (1963 का 47), घारा 6 — कब्जा वापसी हेतु वाद — अरिजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के आधार पर वादी / प्रत्यर्थी ने हक का दावा किया — अधिनियम 1963, रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, मारतीय स्टाम्प अधिनियम व संविदा अधिनियम के उपबंधों को अनदेखा नहीं किया जा सकता—अमिलेख पर कुछ नहीं कि सम्पत्ति प्रत्यर्थी क्र. 1 के विधिपूर्ण कब्जे में थी—उसके पक्ष में कोई डिक्री नहीं बनाई जा सकती। (अरूणा गौतम (श्रीमति) वि. श्रीमति आरती) ...1410

٠.

Specific Relief Act (47 of 1963), Section 6 – Suit for recovery of possession – Provisions of Section 6 are attracted only if a person is dispossessed of immovable property of which he is legal owner or is in possession of the said property by virtue of law. [Aruna Gautam (Smt.) Vs. Smt. Arti]

Specific Relief Act (47 of 1963), Sections 16 & 20 - Readiness and Willingness - Agreement containing a stipulation that to get the sale deed executed it is necessary that plaintiff should obtain permission from the Gram Panchayat for construction and should raise some construction - The plaintiff neither obtained any permission from the Gram Panchayat for construction nor raised any construction on the plot - Nearly after a period of three years from the date of execution of the agreement, the plaintiff for the first time sent a notice - No averment in plaint that plaintiff made any effort for execution of the sale-deed from the date of execution of the agreement till notice was sent - In plaint, the plaintff has merely stated that he is ready and willing to deposit the balance of amount of sale consideration in the CCD as and when the Court passes an order in this regard - Held -Plaintiff has neither pleaded his readiness and willingness to perform his part of the contract nor has proved the same - Merely because maximum part of the sale consideration has been paid by the plaintiff, it can not be inferred that plaintiff is ready and willing to perform his part of the contract. [Ashish Kumar Vs. Smt. Rukmani Devi] ...1275

State Bar Council Service Rules, M.P. 1975 – Rule 5 – See – Service Law [Rajendra Jain Vs. State Bar Council of M.P.] ...1196

Succession Act (39 of 1925), Section 372 – Mohemmedan Law, Sections 63, 65 – Succession Certificate – Female died leaving husband and other heirs – Parties governed by Hanafi Law of Inheritance – Husband would be entitled to ½ share and rest ½ share will be devolved in between the mother and other legal heirs treating it as residuary share. [Oliya Begum (Smt.) Vs. Abdul Rashid] ...1419

Succession Act (39 of 1925), Section 372 – Succession Certificate – Validity of marriage – Succession Court is not expected of first directing the party to seek a declaration as to validity of marriage, as the nullity thereof, as the case may be, and then set on to grant certificate. [Surendra Shrivastava Vs. The General Manager]...1244

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (1963 का 47), धारा 6 — कब्जा वापसी हेतु वाद — धारा 6 के उपबंध केवल तब आकर्षित होते हैं यदि व्यक्ति को अचल सम्पत्ति से बेकब्जा कर दिया गया हो जिसका वह विधिक स्वामी है या विधि द्वारा उक्त सम्पत्ति का कब्जा धारक है। (अरुणा गौतम (श्रीमति) वि. श्रीमति आरती)

...1410

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (1963 का 47), धाराएँ 16 व 20 – तैयारी और रजामंदी - अन्बंघ में यह शर्त समाविष्ट कि विक्रय विलेख निष्पादित कराने के लिये आवश्यक हैं कि वादी को ग्राम पंचायत से निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और कुछ निर्माण खड़ा करना चाहिए – वादी ने न तो ग्राम पंचायत से निर्माण की कोई अनुमति अमिप्राप्त की और न ही मूखंड पर कोई निर्माण खड़ा किया - अनुबंध के निष्पादन की तिथि से करीब तीन वर्ष की अवधि के पश्चात वादी ने प्रथम बार नोटिस मेजा – वाद पत्र में कोई प्रकथन नहीं कि अनुबंघ के निष्पादन की तिथि से नोटिस मेजने तक विक्रय विलेख के निष्पादन हेत् वादी ने कोई प्रयत्न किया - वाद पत्र में वादी ने मात्र यह अभिकथन किया कि वह सीसीडी में विक्रय प्रतिफल की बकाया रकम जमा करने के लिये तैयार व रजामंद है, जब कमी न्यायालय इस संबंध में आदेश पारित करेगा – अभिनिर्धारित -- वादी ने न तो संविदा का अपना भाग पूरा करने के लिए तैयारी व रजामंदी का अभिवचन दिया और न ही उसे साबित किया – मात्र इसलिए कि वादी द्वारा विक्रय प्रतिफल का अधिकतम माग अदा किया गया है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वादी संविदा का अपना भाग पूरा करने के लिये तैयार व रजामंद है। (अशीष कुमार वि. श्रीमित रुकमणी देवी) ...1275

राज्य अधिवक्ता परिषद सेवा नियम, म०प्र० 1975 – नियम 5 – देखें – सेवा विधि (राजेन्द्र जैन वि. स्टेट बार कौंसिल ऑफ एम.पी.)1196

जत्तराधिकार अधिनियम (1925 का 39), घारा 372 — मुस्लिम विधि, घाराएँ 63, 65 — जत्तराधिकार प्रमाणपत्र — पति एवं अन्य वारिस पीछे छोड़ते हुए महिला की मृत्यु हो गई — पक्षकार विरासत की हनफी विधि द्वारा शासित — पति 1/2 हिस्सा का हकदार तथा बाकी 1/2 हिस्सा माँ एवं अन्य विधिक वारिसों के बीच अवशिष्ट हिस्से के रुप में न्यायगत होंगे। (ओलिया बेगम (श्रीमित) वि. अब्दुल राशिद)

जत्तराधिकार अधिनियम (1925 का 39), घारा 372 — उत्तराधिकार प्रमाण पत्र — विवाह की मान्यता — उत्तराधिकार न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं कि पहले पक्षकार को विवाह की वैद्यता के बारे भें या उसके शून्य होने के सबंध में घोषणा चाहने के लिए निदेशित करे जैसी स्थिति हो और फिर प्रमाण पत्र प्रदान करे। (सुरेन्द्र श्रीवास्तव वि. द जनरल मेनेजर) ...1244

Tender – Giving counter offers to the highest tenderers does not amount to rejection of tenders – Such action of respondents can not be termed as illegal, being not violative of law relating to tenders – Petition dismissed. [Murtaza Malik Vs. Indore Development Authority]

(DB)...*63

The Hindu Law of Inheritance (amendment) Act (of 1929), Section 2 – See – Hindu Succession Act, 1956, Section 8 [Virendra Kumar Dwivedi Vs. Tirath Prasad] ...1286

Transfer of Property Act (4 of 1882), Section 116 – Renewal of Lease – Lease deed not containing any clause of renewal – Appellant accepted the rent after determination of the lease – The lease is renewed – After determination of the lease, the rent has been deposited in the account of the plaintiff – The plaintiff has failed to state in specific terms that he has not withdrawn any amount which was deposited after determination of the lease in his account. [Manohar Vs. Central Bank of India] ...991

Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Adhiniyam, M.P. 2005 (14 of 2006), Section 2(1), Urban Land (Ceiling and Regulation) Act (33 of 1976), Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act (15 of 1999), General Clauses Act (10 of 1897), Section 6(e) — Order of Additional Commissioner was just and proper as respondent was in possession and notice under Section 10(5) was not properly served—Possession of land was not taken over by the State Government—Single Bench considered all relevant questions and all aspects also inspected original record—No infirmity in the order in writ—Writ appeal dismissed. [State of M.P. Vs. Smt. Munni Bai] (DB)...847

Value Added Tax Act, M.P. (20 of 2002), Entry 6 of Part II Schedule II — In common parlance utensils means items of daily household use, generally used for preparing, serving or keeping food or beverages — Restricting the meaning of "utensils" to the items used in the kitchen can not be sustained. [P.K. Plastics Vs. Commissioner of Commercial Tax] (DB)...1112

Vanijyik Kar Adhiniyam (M.P.), 1994 (5 of 1995), Section 2(r) – Exemption from payment of Entry Tax – If an exemption was granted by the State Government by issuing continuous two notifications, then

निविदा — सबसे ऊँची निविदा वाले निविदाकारों को प्रति प्रस्ताव देना निविदाओं की अस्वीकृति की कोटि में नहीं आता — प्रत्यर्थीगण की ऐसी कार्यवाही निविदाओं से संबंधित विधि का उल्लंघनकारी ना होने से अवैध नहीं कही जा सकती — याचिका खारिज। (मुर्तजा मलिक वि. इंदौर डेव्हलपमेन्ट आथॉरिटी)

(DB)...*63

हिन्दू विरासत की विधि (संशोधन) अधिनियम (1929 का), धारा 2 – देखें – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का 30), धारा 8 (वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी वि: तीरथ प्रसाद)

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम (1882 का 4), धारा 116 — लीज का नवीनीकरण — पट्टा विलेख में कोई नवीनीकरण खंड अवर्विष्ट नहीं — पट्टा निर्धारण पश्चात अपीलार्थी ने माड़ा स्वीकार किया — पट्टा नवीनीकृत हो जाता है — पट्टा निर्धारण पश्चात, वादी के खाते में माड़ा जमा किया गया है — वादी विनिर्दिष्ट शब्दों में यह कथन करने में विफल रहा कि उसने पट्टा निर्धारण पश्चात अपने खाते में जमा की गई किसी मी रकम को नहीं निकाला (मनोहर वि. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

..991

जन्म न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, म.प्र., 2005 (2006 का 14), धारा 2(1), नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम (1976 का 33), नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम (1999 का 15), साधारण खण्ड अधिनियम (1897 का 10), धारा 6(ई) — अपर आयुक्त का आदेश न्याय संगत व जित्त था क्यों कि प्रत्यर्थी कब्जा धारक था और धारा 10(5) के अंतर्गत नोटिस जित्त रूप से तामील नहीं किया गया — भूमि का कब्जा राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया — एकल न्यायपीठ ने सभी सुसंगत प्रश्न तथा पहलू विचार में लिये — मूल अभिलेख की भी जांच की — रिट में पारित आदेश में कोई कभी नहीं — रिट अपील खारिज। (म.प्र. राज्य वि. श्रीमित मुन्नीवाई) (DB)...847

मूल्य वर्धित कर अधिनियम, म.प्र. (2002 का 20), अनुसूची II माग II की प्रविष्टि 6 — सामान्य बोलचाल में वर्तनों का अर्थ है घरेलू कामों में रोजाना उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ जो सामान्यतः खाना या पेय बनाने, परोसने या रखने के लिए उपयोग में लायी जाती हैं — बर्तनों को रसोई में उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ होने का सीमित अर्थ पोषणीय नहीं। (पी.के. प्लास्टिक वि. किमश्नर ऑफ कमिशियल टेक्स)

वाणिज्यिक कर अधिनियम (म.प्र.), 1994 (1995 का 5), घारा 2(आर) — प्रवेश कर के मुगतान से छूट — यदि राज्य सरकार द्वारा लगातार दो अधिसूचनाएं जारी कर छूट प्रदान की गई थी, तब राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त छूट को मूतलक्षी

the aforesaid exemption could not have been withdrawn by the State Government with retrospective effect. [Ambika Refinery (M/s.) Vs. State of M.P.] (DB)...1221

Vanijyik Kar Adhiniyam (M.P.), 1994 (5 of 1995), Section 62 – Revision – Duty of Revisional Authority – Original certificates specifying the materials in question as raw material and incidental goods were issued to the petitioner after following the due procedure prescribed under the Act – Subsequently, when the authorities intended to take a different view, then it was necessary for them to pass an order considering all the relevant aspects of the matter and give reasons for reaching to the conclusion as to why the petitioner is not a manufacturer – Impugned orders passed by the respondents can not be sustained and are hereby set aside with liberty to the respondents to pass fresh, reasoned and speaking order after giving proper opportunity of hearing. [Anand Construction (M/s) Vs. Divisional Dy. Commissioner, Commercial Tax, Indore]

Wakf Act (43 of 1995), Section 64 – Removal/appointment of Mutawali – If a Mutawali is to be removed, an enquiry is required to be conducted in the prescribed manner and then a decision is to be taken by majority of not less than 2/3rd members of the Wakf Board. [Managing Committee Dargah Sharif Vs. M.P. Wakf Board] ...1170

Water (Prevention and Control of Pollution) Act (6 of 1974) Sections 25 & 26 - Charge of Offence - It is crystal clear that the allegations alleged by the Pollution board were regarding offence defined in Section 26 - Framing of Charge under Section 25(1) read with Section 44 Act of the Water Pollution and Control Act, 1974 can not be countenanced in law. [Rakesh Kumar Dhingra Vs. M.P. Pollution Control Board]

WORDS AND PHRASES

"as far as possible" – Expression "as far as possible" is interpreted to be not prohibitory in nature but connote a discretion vested in the prescribed authority which can exercise that discretion – And that they are words of limitation and are merely directory. [Ram Lakhan Vs. State of M.P.]

प्रमाव से वापस नहीं लिया जा सकता था। (अविका रिफाइनरी (मे.) वि. म.प. राज्य) (DB)...1221

वाणिज्यक कर अधिनियम (म.प्र.), 1994 (1995 का 5), धारा 62 — पुनरीक्षण — पुनरीक्षण प्राधिकारी का कर्तव्य — प्रश्नगत सामग्री को कच्चा माल व अनुशांगिक माल विनिर्देष्टित करते हुए अधिनियम के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का सम्य्क अनुपालन करने के पश्चात याची को मूल प्रमाण पत्र जारी किये गये — तत्पश्चात, जब प्राधिकारीगण ने मिन्न दृष्टिकोण अपनाना चाहा तब उनके लिये और भी आवश्यक था कि मामले के सभी सुसंगत पहलुओं को विचार में लेकर आदेश पारित करे और निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण दें कि याची क्यों उत्पादक नहीं है — प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश कायम नही रखा जा सकता और एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है, प्रत्यर्थींगण को इस स्वतंत्रता के साथ कि सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात नया, सकारण एवं अर्थपूर्ण आदेश पारित करें। (आनंद कस्ट्रक्शन, (मे.) वि. डिवीजनल डिप्टी कमिश्नर, कमर्शियल टेक्स, इंदौर) (DB)...858

वक्फ अधिनियम (1995 का 43), धारा 64 — मुतावली को हटाया/नियुक्त किया जाना — यदि मुतावली को हटाया जाना है, तब विहित पद्धित में जांच की जाना अपेक्षित है और तब वक्फ बोर्ड के सदस्यों के 2/3 या उससे अधिक के बहुमत से निर्णय लेना होता है। (मेनेजिंग कमेटी दरगाह शरीफ वि. एम.पी. वक्फ बोर्ड) ...1170

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम (1974 का 6), धाराएँ 25 व 26 — अपराध का आरोप — यह सुस्पष्ट है कि प्रदूषण बोर्ड द्वारा अभिकथित आरोप धारा 26 में परिभाषित अपराध से संबंधित थे — जल प्रदूषण अधिनियम 1974 की धारा 25(1) सहपठित धारा 44 के अंतर्गत विरचित आरोप विधि में मान्य नहीं किये जा सकते। (राकेश कुमार ढींगरा वि. एम.पी. पोल्यूशन कन्द्रोल बोर्ड) ...1493

शब्द और वाक्यांश

- "यथासंभव" - "यथासंभव" शब्द का निर्वचन प्रतिषेघात्मक प्रकृति का होना नहीं है बल्कि विहित प्राधिकारी में निहित विवेकाधिकार होने का उपलक्षित अर्थ है जो उस विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है - और यह कि वे सीमित अर्थ के शब्द हैं और मात्र निर्देशक हैं। (राम लखन वि. म.प्र. राज्य) ...*66 - Fair Trial – Includes fair and proper opportunities allowed by law to the accused to prove innocence – Adducing evidence in support of defence is a valuable right and denial of that right means denial of fair trial – Denial of fair trial is crucifixion of human rights. [Rattiram Vs. State of M.P.]

Work Charged and Contingency Paid Employees Pension Rules M.P. 1979 – Rule 6 – Pension – Petitioner appointed as Gangman in the Public Works Department in March 1957 and retired on 31.12.1997 – Petitioner can not be made to suffer on account of inaction or delayed action on the part of the respondents – The case of the petitioner is covered by the earlier Division Bench judgment of this Court in the matter of State of M.P. Vs. Mohd. Sadiq (2010(4) MPLJ 367) and he is also entitled to the same benefit as has been extended in that case – Petitioner is entitled for the pension. [Hari Narayan Sharma Vs. State of M.P.]

— निष्पक्ष विचारण — में अभियुक्त को निर्दोषिता साबित करने के लिये विधि द्वारा मान्य निष्पक्ष और उचित अवसर सम्मिलित है — बचाव के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना एक मूल्यवान अधिकार है और उस अधिकार से वंचित करने का अर्थ है निष्पक्ष विचारण से वंचित करना — निष्पक्ष विचारण से वंचित करना, मानवाधिकारों को सूली पर चढाना है। (रत्तीराम वि. म.प्र. राज्य) (SC)...*47

कार्य मारित तथा आकस्मिकता निधि कर्मचारी पेंशन नियम म.प्र. 1979 — नियम 6 — पेंशन — याची मार्च 1957, को लोक निर्माण विमाग में गैंगमेन के रुप में नियुक्त था और 31.12.1997 को सेवानिवृत्त हुआ — प्रत्यर्थींगण की ओर से निष्क्रियता या विलंबित कार्यवाही के कारण याची को पीड़ित नहीं किया जा सकता — याची का प्रकरण इस न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य वि. मो. सादिक (2010 (4) एमपीएलजे 367) के मामले में पारित खंड न्यायपीठ के निर्णय द्वारा शासित होता है और वह उस मामले में जैसा लाम दिया गया है वैसे ही लाम का मी हकदार है — याची मेंशन का हकदार। (हरीनारायण शर्मा वि. म.प्र. राज्य) (DB)...865